खण्ड-164, अंक-6
सोमवार, 26 पौष, शक संवत् 1877
(16 जनवरी, 1956 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 164 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १६ जनवरी, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३३०)

अंसमानसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूपसिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसराउल हक़, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरप्रसादसिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री

छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जबन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्शदास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिनहा, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रतापसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रतापनारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेवसिंह, श्री (बनारस)
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसादसिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री

मृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नवी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ जाफरी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाख़री, श्री
मुहम्मद सआदत अली खां, राजा
मुहम्मद सुलेमान अथमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणजयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधामोहनसिंह, श्री
रामआधार तिवारी, श्री
रामआधीनसिंह यादव, श्री
रामआनन्त पांडेय, श्री
रामआवधसिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलामसिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री

लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशनारायणसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकरप्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्री
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री राय
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्दपन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, १६ जनवरी, १९५६

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

आजमगढ़ जिला भ्रष्टाचार निवारक समिति का चुनाव

१—श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिला भ्रष्टाचार निवारक समिति के अध्यक्ष एवं कमेटी का चुनाव हो गया है ? यदि हां, तो अध्यक्ष और कमेटी के सदस्यों का नाम सरकार बताने की कृपा करेगी ?

पुलिस उपमंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—जी हां, श्री मुक्तिनाथ राय सर्व सम्मति से समिति के अध्यक्ष चुने गये हैं तथा सर्वश्री उमराव सिंह, नागेश्वर प्रसाद, बागेश्वर यादव, अब्दुल लतीफ नोमानी और पंडोही राम सरकार द्वारा समिति के सदय मनोनीत किये गये हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह चुनाव कब हुआ था और उस दिन कितने आमंत्रित उपस्थित थे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—इसके लिये जो नोटिस की आवश्यकता है। मेरे खयाल में महीना, डेढ़ महीना हुआ इस बात को।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह भ्रष्टाचार निवारक कमेटी क्या-क्या काम करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—अभी तो कमेटी बनी है। उसके बाद जब कमेटी के पास शिकायतें आयेंगी तो उसकी बैठकें होंगी। तब काम का विवरण सामने आयेगा।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस कमेटी को बने कितने दिन हो गये हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—कुछ ही हफ्ते हुये हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो दरख्वास्तें इस आफिस में पड़ेंगी क्या इसके सदस्य उन दरख्वास्तों की जांच भी करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—स्वयं तो कोई सदस्य जांच नहीं करेगा।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समिति का सेक्रेटरी कौन होगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत—एक सीनियर मैजिस्ट्रेट इस कमेटी का सेक्रेटरी होगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यदि ये सदस्य जांच नहीं करेंगे तो किस अथारिटी द्वारा दरख्वास्तों की जांच होगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—यह तो कमेटी की जो बैठकें होंगी उसमें जैसा मामला होगा उसी के अनुसार वह सेक्रेटरी से कहेगी और फिर उसकी जांच का कोई न कोई प्रबन्ध किया जायगा।

श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—क्या यह सही है कि इस कमेटी की बैठकों में जिलाधीश और पुलिस सुपरिंटेंडेंट नहीं जाते और न उनके जाने के लिये यहां से कोई आदेश भेजा गया है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—वे उस कमेटी के सदस्य नहीं हैं लेकिन जब वे आवश्यकता समझेंगे तब आकर उस कमेटी से बातचीत कर सकते हैं और सलाह मश्विरा कर सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि प्रान्तीय स्तर पर भी इस प्रकार की कोई भ्रष्टाचार निवारक कमेटी बनाये जाने का विचार है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—अभी तो कोई ऐसा विचार नहीं है।

ऐण्टी-करप्शन कमेटी के प्रेसीडेंट की नियुक्ति के लिए डी० आई० जी०, पुलिस द्वारा चाल चलन की जांच

**२—श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिलों में Anti-Corruption Committee के President की नियुक्ति के लिये किसी D. I. G. (Police) से हर candidate की चाल-चलन की या कोई दूसरी Report मांगी गई है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी नहीं।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी मेहरबानी करके बतलायेंगे कि श्री जियाराम वर्मा, डी० आई० जी०, से इस संबंध में कोई जानकारी मुख्तलिफ जिलों से लाने के लिये सरकार की तरफ से कोई आदेश दिया गया है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी नहीं।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि इस ऐंटीकरप्शन कमेटी के प्रेसीडेंट कब तक चुन लियें जायंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—कुछ जिलों से जहां से सर्वसम्मति से चुनाव हो गया है उनको मान ही लिया गया है और जहां सर्वसम्मति से चुनाव नहीं हुआ है वहां के जो अध्यक्ष हैं उनको गवर्नमेंट यहां से मनोनीत कर देगी।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अध्यक्ष से उनका मतलब क्या है, जिला बोर्ड के या कौन से ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जिसके संबंध में माननीय सदस्य सवाल कर रहे हैं।

राज्य में गृह-समस्या को सुलझाने के लिए योजना

**३—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या न्याय मंत्री यह बतायेंगे कि नगर नियोजन अधिकारी (Village and Town Planner, U. P.) के सर्वे के अनुसार प्रदेश में किस शहर को कितने गृहों की आवश्यकता है ? क्या मंत्री यह बतायेंगे कि केन्द्रीय सरकार से उन्हें जो ऋण मकानों के लिये मिला उसका वितरण न होने के कारण कितना ब्याज सरकार को अपने खजाने से देना होगा ?

स्वशासन उप-मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—नगर तथा ग्राम नियोजन अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार १९५४ में उत्तर प्रदेश के नगरों में ५७३८१६ मकानों की कमी है जो उसी रिपोर्ट के अनुसार १९६१ में ८७६७९७ हो जायेगी।

सरकार जिस दर पर केन्द्रीय सरकार से ऋण प्राप्त करती है उससे कुछ अधिक दर पर मकान बनाने के लिये स्थानीय संस्थाओं इत्यादि को दे देती है। इस कारण ऐसी आशा नहीं है कि सरकार को इस ऋण पर ब्याज के रूप में कुछ हानि उठानी पड़ेगी। ऋण का अधिकांश भाग वितरित हो चुका है। शेषांक इस मास के अन्त तक वितरित हो जायगा।

नोट—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ३ श्री नारायणदत्त तिवारी ने पूछा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस सर्वे के अनुसार प्रदेश में गृहों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या योजना बनाई है ?

श्री कैलाशप्रकाश—मकानों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये कुछ योजनायें चल रही हैं जैसे मजदूरों के लिये, कुछ वाल्मीकियों के लिये मकान बनाये जा रहे हैं। एक लो इनकम हाउसिंग स्कीम चल रही है उसके अन्तर्गत रुपया उधार दिया जा रहा है, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आने वाली है। उसके अन्तर्गत भी कुछ और मकान बनाने की स्कीम चलने वाली है जिसका अभी अन्तिम रूप निश्चित नहीं हुआ है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार से अब तक गृह निर्माण के हेतु कितना ऋण मिल चुका है और उसके अन्तर्गत कितना वितरण किया जा चुका है ?

श्री कैलाशप्रकाश—इसके लिये तो सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि लो इनकम हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत कितना कर्ज प्रति मनुष्य दिया जाता है ?

श्री कैलाशप्रकाश—हर एक आदमी को ८ हजार रुपये तक कर्जा दिया जा सकता है।

श्री हरदयालसिंह पिपल (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि लो इनकम हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत जो ऋण दिया जाता है उसका ब्याज ज्यादा है ?

श्री कैलाशप्रकाश—ब्याज ज्यादा है यह तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन जिस ब्याज पर केन्द्रीय सरकार से आता है उससे कुछ जरा अधिक बढ़ा कर दिया जाता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार ने देहाती क्षेत्रों में गृह-निर्माण की आवश्यकता हेतु भी कोई सर्वे करवाया है ?

श्री कैलाशप्रकाश—उसके विषय में भी कराना चाहते हैं।

****४—श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)—[१७ जनवरी, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

तारांकित प्रश्न

***१—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य** (जिला जौनपुर)—[स्थगित किया गया।]

जौनपुर जिले में भूमि प्रबन्धक समितियों द्वारा भूमि का बन्दोबस्त

***२—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में अब तक भूमि-प्रबन्धक समितियों द्वारा कितनी परती भूमि का कितनी आबादी भूमि का एवं कितनी असामी को दी जाने वाली भूमि का प्रत्येक तहसील में बन्दोबस्त किया गया है ?

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—जौनपुर जिले की प्रत्येक तहसील में भूमि-प्रबन्धक समितियों के द्वारा अब तक बन्दोबस्त की गई परती भूमि, आबादी भूमि, एवं आसामियों को दी जाने वाली भूमि की सूची प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४९० पर)

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या मंत्री जी बतला सकते हैं कि कितनी-कितनी एकड़ भूमि गांव-समाज को मिली है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—तहसीलवार तो नहीं लेकिन जिले को पूरी भूमि १,३४,००० एकड़ मिली है जिसमें से ४४,००० एकड़ भूमि अनकल्टीवेटेड वेस्ट लैन्ड पर्ती नाकाबिल काश्त है और ९०,००० कल्टीवेटेड वेस्ट लैंड काबिल काश्त पर्ती है ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कितने एकड़ भूमि तालाबों के लिये गांव-समाज में निहित हुई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह तो डिटेल की बात है, इसके लिये सूचना की जरूरत होगी?

सेंट्रल पोल्ट्री फार्म लखनऊ में चिड़ियों का कम पाया जाना

*३—**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी** (जिला हमीरपुर)—क्या यह सत्य है कि १९४९ में स्टेट पोल्ट्री की एक फार्म में करीब दो सौ चिड़ियां जांच के समय कम पायी गईं ? यदि हां, तो किस फार्म में और यह कौन-सी चिड़ियां थीं ?

कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी))—जी हां, सेंट्रल पोल्ट्री फार्म, लखनऊ में अक्तूबर सन् १९४९ में जांच के समय निम्नलिखित चिड़ियां कम पाई गई :—

सफेद लेगहार्न	.. ..	३१
रोड आइलैंड लाल	.. ..	१९
ओसट्रे लोपर्स	.. ..	१
मुर्गी के बच्चे (कल्स)	.. ..	३४
चूजे (छोटे बच्चे)	.. ..	१११
कुल ..		१९६

*४—**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस प्रकार कितनी आर्थिक हानि सरकार को उठानी पड़ी ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—इस प्रकार सरकार को २४६३ रु० २ आना की हानि हुई ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सेंट्रल पोल्ट्री फार्म में कितनी चिड़ियां थीं और उनकी जांच कब-कब की गई ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—इसके लिये कितनी चिड़ियां थीं, सूचना की जरूरत होगी इसलिये कि १९४९ की बात है और इसमें दिया गया है कि ४९ के बाद जांच हुई ।

श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह जो चिड़ियां कम पाई गईं तो जांच से कितने समय से पहले चली आ रही थीं ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—मरने जीने के हिसाब से इनऐक्यूरेसी थी, इसलिये ट्रेस की गई लेकिन पता नहीं चला पुलिस ने बड़ी इंक्वायरी की ।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या यह सही है कि जो चिड़िया गायब हुईं, वह यहां से उड़कर बहराईच चली गई ?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब देने की आवश्यकता नहीं।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चिड़ियां मर गईं या उनका गबन हुआ?

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह)—संभवतः ज्यादा मर गईं।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस काम के लिये कौन लोग जिम्मेदार थे और जो आर्थिक हानि हुई है वह उनसे ली गई?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—हुआ यह था कि वहां बीमारी फैली जिसमें बहुत सी चिड़ियां मर गईं और उस समय लिखाने में गलती हो गई थी वर्ना सब चिड़ियां उसी में मरी थीं।

आजमगढ़ जिले में जूट विकास केन्द्र तथा तालाबों की खुदाई पर व्यय

*५—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में जूट विकास केंद्र कहां-कहां हैं तथा सन् ५३-५४ तथा ५५ में कुल कितना रुपया वेतन एवं तालाबों के खोदने में व्यय हुआ है?

श्री हुकुम सिंह—जिला आजमगढ़ में सूरजपुर और निजामाबाद में जूट विकास केंद्र हैं। वित्तीय वर्ष सन् १९५२-५३ से सन् १९५५-५६ तक उक्त केंद्रों में वेतन (मंहगाई सहित) तथा तालाबों के खोदने पर गिये गये व्यय का विवरण निम्नलिखित है:—

सन	वेतन	(मंहगाई सहित) रु०	तालाबों को खोदने का व्यय रु०
१९५२-५३	..	६,५८३	..
१९५३-५४	..	५,८८५	..
१९५४-५५	..	६,४४६	१,८००
१९५५-५६ (नवम्बर, १९५५ तक)	..	५,५०६	..

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या कृषि-मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९५४-५५ में जो १,८०० रुपयों के तालाब खुदवाये गये हैं वह कितने हैं और कहां-कहां खोदे गये हैं।

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—यह ५ सूरजपुर केंद्र में हैं और एक निजामाबाद में।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन दोनों विकास केंद्रों पर कितने कर्मचारी काम करते हैं?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—वहां एक-एक तो करने वाले हैं और कुछ सहायक हैं कामदार।

श्री व्रजविहारी मिश्र—क्या सरकार को मालूम है कि उन क्षेत्रों में केंद्र नहीं खोले गये हैं जहां अधिक जूट पैदा होता है?

श्री हुकुमसिंह—ऐसा तो नहीं मालूम है हमें।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन दोनों विकास केंद्रों में कितने गांव ऐसे हैं कि जो शामिल किये गये हैं ?

श्री हुकुम सिंह---इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सूरजपुर जो केंद्र खोला गया है वहां जूट पैदा होता है ?

श्री हुकुमसिंह---जी हां, होता तो है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में और बहुत से स्थानों में, जहां जूट पैदा होता है वहां विकास केंद्र नहीं हैं ?

श्री हुकुमसिंह---इसकी जांच करवाऊंगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जांच के बाद उन स्थानों पर भी जहां जूट अधिक पैदा होता है, वह केंद्र खोलने की कृपा करेगी ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---सवाल यह है कि अभी हमारे यहां जो जूट पैदा होता है उसकी बिक्री और उसको निकालने का कोई माकूल इंतजाम नहीं है । इसलिये शुरू में तो जूट चला लेकिन जब मन्दी का जमाना आया तो हमारे यहां का जूट बिका नहीं । तो हाल में एक कांफ्रेंस की गई थी जिसमें जूट के मिल मालिकों से बातचीत की गई है कि वह हमारे यहां का जूट खरीदें । पहले जूट की बिक्री का इंतजाम किया जायगा और फिर उसको बढ़ाने का ।

*६-७---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---[स्थगित किये गये।]

*८---**श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य**---[स्थगित किया गया ।]

*९-१०---**श्री रामकिंकर** (जिला प्रतापगढ़)---[१२ जनवरी, १९५६ को प्रश्न ४२-४३ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

जालौन जिले में कालपी परगना व बावनी रियासत में कृषि योग्य भूमि का सर्किल रेट

*११---**श्री बसन्तलाल** (जिला जालौन)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन में परगना कालपी व इसी परगने की विलीन रियासत बावनी में खेती करने वाली जमीन किस-किस किस्म की है और उसका प्रति एकड़ अलग-अलग सर्किल रेट क्या है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---परगना कालपी व उसकी विलीन रियासत बावनी में खेती करने वाली जमीन की किस्म व प्रति एकड़ सर्किल रेट की सूची प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ ४९१-४९३ पर)

श्री बसन्तलाल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विलीन रियासत बावनी में गोहन जमीन का जो सर्किल रेट है वह कालपी में भी और विलीन रियासत बावनी में पडुआ, मार, कावर और राकड़ जमीन का रेट है वह कालपी में, इस तरह पर कम से कम मौजूदा सर्किल रेट पूरे परगने कालपी में, जिसमें कि विलीन रियासत बावनी भी शामिल है, एक ही (सर्किल रेट) लगाने का विचार सरकार रखती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---यह तो नये सेटिलमेंट के बाद होगा और ऐसा अभी विचार नहीं है। यह फर्क इसलिये है कि जो परगने कालपी में सेटिलमेंट हुआ था वह १९०५ में हुआ था और दूसरा सेटिलमेंट १०,१२ साल पहले हुआ है, इसलिये गल्ले वगैरह की दरों में कुछ फर्क था इसलिये यह फर्क हो गया। लेकिन पूरा सेटिलमेंट कराने का अभी कोई विचार नहीं है।

जालौन जिले की विलीन बावनी रियासत में पाही लगान की वसूली पर आपत्ति

*१२---**श्री बसन्तलाल**---क्या सरकार को मालूम है कि उपर्युक्त विलीन रियासत बावनी में नवाब साहब के समय उन काश्तकारों से जो रियासत के बाहर रहते थे, लेकिन काश्त रियासत में करते थे उन पर पाही टैक्स लगान के साथ वसूल किया जाता था? अगर हां, तो प्रति एकड़ किस हिसाब से लिया जाता था?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी हां, रेट की सूची प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ ४९४ पर)

*१३---**श्री बसन्तलाल**---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उपर्युक्त पाही टैक्स अब भी वसूल किया जाता है? अगर हां, तो किस आधार पर?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी हां, शासकीय आदेश के अनुसार पाही लगान अब भी वसूल किया जाता है क्योंकि कोई नया बन्दोबस्त नहीं हुआ है और यह पाही लगान विलीन रियासत और उनके काश्तकारों के बीच निश्चित हो चुका था।

श्री बसन्तलाल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रियासत बावनी और उसके काश्तकारों के बीच में जो पाही टैक्स की दर तय हुई थी उसकी नकल सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी और वह कब तय हुई थी?

श्री चतुर्भुज शर्मा---पाही टैक्स रियासत बावनी काश्तकारों से वसूल करती थी और वह उनके बीच में मुजाहिदा था। तो उसको यहां पर सदन में रखने की बात नहीं है क्योंकि यह रिकार्ड उनकी रियासत का है?

श्री बसन्तलाल---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि बन्दोबस्त कब होगा और उस बन्दोबस्त में पाही टैक्स जो काश्तकारों से वसूल किया जाता है उसको माफ करने की सरकार कृपा करेगी?

श्री चतुर्भुज शर्मा---बन्दोबस्त के लिये तो मैंने बताया कि अभी उसको करने का विचार नहीं है। जमींदारी विनाश कानून में यह तय किया गया है कि बन्दोबस्त ४० साल तक नहीं होगा। लेकिन जहां तक पाही टैक्स का सवाल है, उस पर सरकार विचार कर रही है कि आया इसको माफ किया जाय या नहीं।

हाथरस तहसील के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र के किसानों की क्षतिपूर्ति

*१४---**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)---क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील हाथरस के गारवगढ़ी, नौपुरा आदि गांव की फसल पानी में डूब जाने और पानी का निकास न होने के कारण नष्ट हो गई? यदि हां, तो इस क्षेत्र की कितनी हानि हुई है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां। अधिक वर्षा तथा पानी का निकास न होने के कारण तहसील हाथरस, जिला अलीगढ़ के गारवगढ़ी, नौपुरा आदि गांवों की फसल को रुपये में लगभग १२ आना की क्षति पहुंची है। हानि-ग्रस्त क्षेत्रफल का ब्योरा इस प्रकार है:—

नाम ग्राम			हानि ग्रस्त क्षेत्रफल एकड़
गारवगढ़ी	..	..	६५
नौपुरा ..	..	..	७९
एवरनपुर	..	..	२९८
रहना	..	..	२२६
गढ़ी नन्दराय	..	..	७९
		योग ..	७४७

*१५—**श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ**—क्या माल-मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस नष्ट हुई फसल पर कितनी छूट वह किसानों को देने जा रहे हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इस हानि के कारण उपर्युक्त गांवों में ३,०१९ रु० ८ आना की मालगुजारी की वसूली मुल्तवी कर दी गई है। जिलाधीश से प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार मालगुजारी में छूट देने के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस तहसील में कुल मिलाकर कितनी एकड़ भूमि की फसल नष्ट हुई है और कितनी आर्थिक हानि हुई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—शायद ८० एकड़ के करीब डेमेज (नुक्सान) हुआ है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन स्थानों में ५० फीसदी से अधिक हानि हुई है उन स्थानों पर मालगुजारी की वसूली रोक दी गई है और वहां पर छूट दी जायगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—छूट देने के लिये नियम बने हुये हैं और जहां पर ५० फीसदी से ज्यादा हानि हुई होगी वह नियम के अनुसार आ जायेंगे तो जरूर छूट दी जायगी।

हाथरस तहसील में बाढ़ क्षेत्र से नाला निकालने की योजना

*१६—**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**—क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस पानी के निकास के लिये एक नाला निकालने पर सरकार सोच रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह नाला कितना लम्बा होगा और इसका मार्ग क्या होगा और इसका कार्य कब तक आरम्भ हो सकेगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह नाला २।। मील लम्बा होगा और इसका मार्ग तो वहीं पर तय किया जायगा और इसमें खर्चा, जहां तक मुझे मालूम है, १२ हजार रुपया इसका इस्टीमेट है ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन और बड़े-बड़े स्थानों पर और लम्बी जगहों पर आजकल पानी भरा हुआ है उन जगहों पर भी नाला बनाने की योजना है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अभी तो यही नाला बनाने का विचार है और फिर जैसी कोई रिपोर्ट आयेगी उस पर विचार किया जायगा।

बुलन्दशहर जिले में श्री लक्ष्मणप्रसाद शर्मा द्वारा रूरल यूनिवर्सिटी के लिए दान की गयी भूमि पर प्रादेशिक सरकार का बकाया

*१७—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा, बुलन्दशहर का ग्राम नगला-नगली-नलगढ़, चौगानपुर, लहदोनी तहसील सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर में कई सौ एकड़ भूमि का जो टुकड़ा दानस्वरूप भारत सरकार को रूरल यूनिवर्सिटी के लिये दिया गया है उस पर उत्तर प्रदेश की सरकार की कुछ देय रकमें भी हैं? यदि हां, तो कितनी और उनकी वसूली के लिये पिछले २ सालों से क्या कार्यवाही हुई?

श्री चतुर्भुज शर्मा—श्री लक्ष्मणप्रसाद शर्मा से इस समय कुल रु० १६६१३-९-६ सरकारी बकाया वसूल करना है जिसका ब्योरा इस प्रकार है:—

	रु०	आ०	पा०
१—मालगुजारी, ग्राम नगला नगली ..	१,८०८	१५	३
२—मालगुजारी, ग्राम नलगढ़ा	४५६	५	३
३—मालगुजारी, ग्राम खेड़ा चौगानपुर	४३	४	३
४—मालगुजारी, ग्राम हलदौना ..	४	२	९
५—ऐक्ट १९ के अधीन तकावी	९,८००	०	०
६—बीज गोदाम का बकाया	३,४९२	९	०
७—बीज गोदाम के बकाया धन पर ब्याज	९०९	१	०
८—सामाचार-पत्रों में भूमि के नीलाम की घोषणा के प्रकाशन का खर्चा ..	९९	४	०
योग ..	१६,६१३	९	६

श्री शर्मा से बकाया की वसूली के लिये गत दो वर्ष से सभी संभव उपाय किये गये और अन्त में ग्राम नगला-नगली तथा हलदौना में उनके हिस्से की भूमि को नीलाम करने की घोषणा की गई थी, परन्तु केंद्रीय सरकार के कहने पर यह नीलाम रोक दिया गया है, क्योंकि श्री शर्मा ने भारत सरकार को सूचित किया है कि वे अपनी भूमि को रूरल (rural) यूनिवर्सिटी बनाने के लिये दान कर देना चाहते हैं और प्रादेशिक सरकार के सभी बकाया ३० जून, १९५६ तक अदा कर देंगे। भूमि का नीलाम इस समय स्थगित है और यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है कि इस संबंध में आगे क्या कार्यवाही की जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार ने बुलन्दशहर के इस स्थान में रूरल यूनिवर्सिटी खोलने का निश्चय कर लिया है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—निश्चय का तो ठीक पता नहीं है लेकिन शर्मा ने प्रस्ताव किया है कि वह यह जमीन और और कुछ भी देने के लिये तैयार हैं। इस पर सरकार में विचार हो रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि भारत सरकार के शिक्षा-मंत्री ने प्रादेशिक सरकार के शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है कि वहां रूरल यूनिवर्सिटी खोली जा सकती है और इस संबंध में लगान आदि सब माफ कर दिया जाय?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या रूरल यूनिवर्सिटी के लिये केंद्रीय सरकार ने कुछ लिखा है कि कौन-कौन से गांव में खुलेगी?

श्री चतुर्भुज शर्मा—नोटिस की जरूरत है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी कि जब पूरी जमीन ही शर्मा जी दान देने के लिये तैयार हैं तो उस सब पर बकाया माफ कर दिया जाय ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इतना देने के लिये उन्होंने लिखा है, कोई लिखा-पढ़ी नहीं हुई है, अभी कानूनन ट्रांसफर नहीं हुआ है।

श्री बलवन्तसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—यह कुल भूमि जो दान में देने की योजना बनाई गई है उसकी कीमत क्या है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—ठीक नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जितना उनके ऊपर बकाया है उतने से तो ज्यादा की होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी उस पत्र को पढ़ देने की या उसका सारांश बताने की कृपा करेंगे जो भारत सरकार ने प्रादेशिक सरकार को नीलाम रोकने के संबंध में लिखा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—वह पत्र तो मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन उसमें इतना ही लिखा है कि शर्मा जी ने दान में देने का विचार प्रकट किया है, इसलिये थोड़े दिनों के लिये उसकी वसूली मुल्तवी कर दी जाय।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या श्री लक्ष्मणप्रसाद शर्मा ने जो जमीन देने का वचन दिया है वह जमीन स्टेट गवर्नमेंट ने उन्हें पट्टे पर दी थी या उनकी अपनी जमीन है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—उनकी अपनी जमीन है।

श्री बलवन्तसिंह—इस कुल भूमि का रकबा कितना था ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—कई जगह हिस्से हैं, इसलिये नोटिस चाहिये।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या यह सही है कि यह यूनिवर्सिटी खुलना असंभव है, क्योंकि यह बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है और इन गांवों में आपस में फासला भी अधिक है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—हो सकता है कि माननीय सदस्य की राय ठीक हो। न जाने किस कारण से उन्होंने लिखा है लेकिन यूनिवर्सिटी बनाने की कोई खास जरूरत अभी नहीं है। अगर वहां बनाने लायक होगी तभी बनेगी।

आजमगढ़ जिले की फूलपुर तहसील में जूट डेवलपमेंट स्कीम लागू करने की मांग

*१८—श्री ब्रजविहारी मिश्र—क्या सरकार फूलपूर (आजमगढ़) तहसील के उत्तरी क्षेत्र में जूट डेवलपमेंट स्कीम लागू करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—जी नहीं।

श्री ब्रजविहारी मिश्र—क्या सरकार को ज्ञात है कि इस क्षेत्र में प्रति वर्ष हजारों मन जूट पैदा होता है ?

श्री हुकुमसिंह—मालूम तो नहीं है।

श्री ब्रजविहारी मिश्र—क्या सरकार इस बात की जांच कराने का प्रयत्न करेगी कि इस क्षेत्र में बहुत अधिक जूट पैदा होता है ?

श्री हुकुम सिंह—हम सर्वे करा रहे हैं।

श्री व्रजविहारी मिश्र—अगर जूट वहां काफी मात्रा में हो तो क्या सरकार इस स्कीम को वहां लागू करने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह—अवश्य।

रामपुर जिलाधीश के बंगले में लगे पेड़ों से आय को सरकारी खजाने में जमा करने का सुझाव

*१९—श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकारी अधिकारियों के पास जो बंगले हैं और उनमें जो बागात हैं जिन पर अधिकारियों को कुछ भी पैसा व्यय नहीं करना पड़ता, उनकी आय सरकारी खजाने में जमा की जाती है ?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—नियमों के अनुसार सरकारी निवासों (residences) के किरायेदारों को उनमें लगे हुये पेड़ों के फलों का उपभोग करने की अनुमति है, यदि निवासों के अहातों (compounds) का रखरखाव किरायेदारों द्वारा अपने ही खर्चे पर किया जाता हो।

*२०—श्री धर्मदत्त वैद्य (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामपुर जिलाधीश के बंगले में फलों के कितने वृक्ष हैं और १९५३ और १९५४ में उनसे कितनी आय हुई और सरकारी खजाने में जमा की गई ?

श्री चरणसिंह—रामपुर के जिलाधीश के बंगले में फलों के वृक्षों का ब्योरा इस प्रकार है :—

१—आंवला	६५	
२—अमरूद	२०	हाल में लगाये गये
३—आम	१३	

इनके अलावा कुछ पेड़ आड़ू तथा पपीते के भी हैं।

इस बंगले के अहाते (compound) का रखरखाव जिलाधीश अपने ही खर्चे से करते हैं। इसलिये वृक्षों से आय के ब्योरे का तथा उसे सरकारी खजाने में जमा करने का प्रश्न नहीं उठता।

कानूनगो ट्रेनिंग स्कूल हरदोई से सर्वे ट्रेनिंग में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की नियुक्ति

*२१—श्री गज्जूराम (जिला झांसी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि तारीख १-११-५४ में जो सर्वे अमीन की ट्रेनिंग कानूनगो ट्रेनिंग स्कूल, हरदोई में हुई थी उसमें कितने विद्यार्थी बुलाये गये थे और कितने पास किये गये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सर्वे ट्रेनिंग जो कि १-११-५४ से कानूनगो ट्रेनिंग स्कूल, हरदोई में हुई थी उसमें १०१ विद्यार्थी बुलाये गये थे जिनमें से ९० विद्यार्थी पास हुये।

*२२—श्री गज्जूराम (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जो विद्यार्थी परीक्षा में पास हुये हैं उनमें से कितनों को स्थायी कर दिया गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जो विद्यार्थी परीक्षा में पास हुये हैं उनमें से कोई स्थायी नहीं किया गया है। उनको उन जिलों में जहां सर्वे तथा रिकार्ड संबंधी कार्यवाहियां हो रही हैं अस्थायी सर्वे अमीन के पदों पर नियुक्त किया जा रहा है।

नोट—तारांकित प्रश्न २१-२२ श्री लक्ष्मणराव कदम ने पूछे।

श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त विद्यार्थियों को कोई मासिक अलाउन्स दिया गया था, अगर हां, तो कितना ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अलाउन्स तो कुछ दिया गया था। लेकिन उसकी रकम मैं नहीं बतला सकता।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त विद्यार्थियों में हरिजनों की कितनी संख्या थी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसके लिये नोटिस की जरूरत होगी।

तहसील डुमरियागंज, जिला बस्ती में चकबन्दी योजना से संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतें

*२३—श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील डुमरियागंज जिला बस्ती की चकबन्दी योजना में सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की अब तक कितनी शिकायतें हुईं और उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—तहसील डुमरियागंज में चकबन्दी योजना में सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की ११ शिकायतें हुईं, जिनमें निम्नलिखित कार्यवाही की गई या हो रही है :—

१—कर्मचारी को बरखास्तगी का नोटिस दे दिया गया है,

२—संबंधित कर्मचारी दंडित किया गया और उसकी २ वर्ष की वेतन वृद्धि रोक दी गई,

३—जांच द्वारा शिकायत सत्य पाई गई तथा संबंधित कर्मचारियों को क्या दंड दिया जायेगा, के विषय में विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

४—शिकायतों के संबंध में प्रारम्भिक जांच हो रही है।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो यह शिकायतें आयी हैं वह किनकी तरफ से आयी हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—कभी पब्लिक की तरफ से आती हैं। कभी सुपीरियर आफिसर उन्हें पकड़ लेते हैं।

श्री शिवनारायण—जो जांच करायी जा रही है वह किन के द्वारा करायी जा रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—डिपार्टमेंटल आफिसर्स के जरिये से करायी जा रही है।

*२४-२५—श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—[स्थगित किये गये।]

*२६—श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—[स्थगित किया गया।]

देवरिया तहसील में हरिजन लेखपाल

*२७—श्री रामेश्वरलाल—क्या माल-मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि देवरिया जिला की देवरिया तहसील में कितने लेखपाल एवं कुर्क अमीन हैं और उन में कितने हरिजन हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—देवरिया जिले के देवरिया तहसील में कुल ११८ लेखपाल और २९ कुर्क अमीन हैं। लेखपालों में से ६ हरिजन हैं और कुर्क अमीनों में कोई हरिजन नहीं है।

नोट—तारांकित प्रश्न २३ श्री शिवनारायण ने पूछा।

श्री रामेश्वरलाल—क्या यह सही है कि देवरिया तहसील में पहले लगभग ३०० के पटवारी काम करते थे जिनकी जगह पर ११८ लेखपाल काम करते हैं और इस कारण नियत मियाद होने के कारण पड़ताल के कामों में लेखपालों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—पहले से काम भी कम हो गया है, इसलिये कोई खास शिकायत नहीं है।

श्री रामेश्वरलाल—क्या समय कम और काम अधिक होने के कारण पड़ताल के कामों में पिछली पड़तालों का सहारा लेकर ही लेखपाल अपनी रिपोर्ट भेज देते हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अभी तक ऐसी शिकायत नहीं है। अगर माननीय सदस्य कहेंगे तो इस पर विचार कर लिया जायगा।

श्री रामेश्वरलाल—क्या कारण है कि जिसके अन्तर्गत अमीनों में एक भी हरिजन नहीं है और लेखपालों में केवल ६ हरिजन नियुक्त किये गये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जो योग्यतायें मुकर्रर हैं उनके कैन्डीडेट नहीं मिलते हैं। अमीनों में मुकर्रर किये गये ५ आदमियों के करीब हरिजन थे लेकिन वे काम खराबी के कारण निकाल दिये गये और एक साहब इस्तीफा देकर चले गये।

*२८-२९—श्री सहदेवसिंह (जिला एटा)—[स्थगित किये गये।]

मलिहाबाद तहसील कार्यालय में कागजों की नकल मिलने में देरी

*३०—श्री श्याममनोहर मिश्र (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील मलीहाबाद (लखनऊ) के कार्यालय में किसानों को कागजातों की बाजाप्ता नकलें लेने में ३-३, ४-४ महीने लग जाते हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री चरणसिंह—इस तहसील में भूतकाल में कुछ विलम्ब अवश्य होता रहा है क्योंकि यहां पर नकल नवीस का कोई स्थायी स्थान नहीं रहा है।

*३१—श्री श्याममनोहर मिश्र (अनुपस्थित)—क्या सरकार को पता है कि उक्त तहसील में कई महीनों से नकलनवीस (कापीइस्ट) नहीं है जिसके कारण संबंधित किसानों को एक कागज के लिये बार-बार दौड़ने पर भी वह उन्हें नहीं मिलता है ?

श्री चरणसिंह—यह ठीक नहीं है। एक नकल नवीस ९-११-५५ से इस तहसील में काम कर रहा है और और अब नकलें यथा समय प्रार्थियों को दी जा रही हैं।

पडरौना तहसीलदार की अदालत में मुकदमों के फैसले में देरी

*३२—श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पडरौना तहसीलदार की अदालत में कितने मुकदमें १९५२ से अब तक दाखिल हुये और कितने फैसल हो गये ? सरकार शीघ्र न्याय के लिये क्या कदम उठा रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सन् १९५२ से १० जनवरी, सन् १९५६ तक ३१२४ मुकदमें माल के तथा १९६ मुकदमें फौजदारी के दाखिल हुये जिनमें से २८५९ मुकदमें माल के और १८० मुकदमें फौजदारी के १० जनवरी, १९५६ तक फैसल हुये। चूंकि ९१.५ प्रतिशत मुकदमें माल के तथा ९१.८ प्रतिशत मुकदमे फौजदारी के फैसल हो चुके हैं, इसलिये मुकदमों के शीघ्र निपटारे के लिये कोई कदम उठाना आवश्यक नहीं है।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या यह सही है कि जो ३०० से अधिक माल के मुकदमे विचाराधीन हैं उनमें से कुछ १ वर्ष से भी अधिक से विचाराधीन हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—एक साल से ज्यादा का कोई नहीं है ।

*३३-३५—श्री रामअनन्त पांडेय (जिला बलिया)—[स्थगित किये गये।]

डुमरियागंज तहसील में चकबन्दी कार्य में लगे कर्मचारी

*३६—श्री रामलखन मिश्र (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि तहसील डुमरियागंज, जिला बस्ती के चकबन्दी क्षेत्र में कितने राज-कर्मचारी काम पर लगे हुये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—तहसील डुमरियागंज, जिला बस्ती में इस समय ९५३ कर्मचारी चकबन्दी योजना में काम कर रहे हैं ।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कुल कितने हरिजन उसमें काम कर रहे हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—आप नोटिस दें तो बतला सकता हूं ।

*३७-३९—श्री जगदीशसरन (जिला बरेली)—[स्थगित किये गये ।]

*४०—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य [स्थगित किया गया ।]

*४१—श्री भोलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—[स्थगित किया गया ।]

*४२-४३—श्री उमाशंकर [स्थगित किये गये ।]

*४४-४५—श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)—[स्थगित किये गये।]

*४६—श्री गंगाप्रसादसिंह—[स्थगित किया गया ।]

*४७-४८—श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)—[स्थगित किये गये ।]

*४९—श्री कल्याणचन्द मोहिले—[स्थगित किया गया ।]

अधिवासियों के पास भूमि

*५०—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सन् १९५४ ई० में अधिवासियों के कब्जे में कितनी भूमि थी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—उत्तर प्रदेश में सन् १९५४ में अधिवासियों के कब्जे में २५,८६,०४६ एकड़ भूमि थी ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या माननीय मंत्री जी यह बतला सकते हैं कि १ जुलाई सन् ५२ को कितनी एकड़ भूमि पर अधिवासी थे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सन् ५२ में २१,१५,९७१ एकड़ के करीब पर अधिवासी लोग थे।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या माननीय उप मंत्री महोदय यह बतला सकते हैं कि सन् ४७ के कागजात का जो लेखा सरकार ने तैयार कराया था उसके हिसाब से कितने व्यक्तियों के पास जमीनें थीं जिनको सरकार ने अधिवासी बनाया ?

नोट—तारांकित प्रश्न ३६ श्री शिवनारायण ने पूछा ।

श्री चतुर्भुज शर्मा---सन् ४७ में क्या था यह आंकड़े (फिगर्स) मेरे पास नहीं हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार उन अधिवासियों की संख्या बताने का कष्ट करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---नोटिस की जरूरत है ।

*५१-५३---**श्री देवदत्त मिश्र** (जिला उन्नाव)---[स्थगित किये गये।]

कानपुर जिले में बीजाश्वों का रखरखाव

*५४---**श्री रामस्वरूप गुप्त** (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश में अरबी घोड़े (stallions) कहां कहां रखे गये हैं? प्रतिवर्ष उन पर क्या खर्च होता है और घोड़ा की नस्ल सुधारने का कितना काम हुआ? कानपुर जिले में जो (stallion) हैं उसके लिये उपर्युक्त आंकड़े क्या हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---आवश्यक सूचना संलग्न सूची तथा नोट में दी हुयी है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४९५-४९६ पर)

*५५-५७---**श्री रामेश्वरलाल**---[स्थगित किये गये।]

आगरा रीजन में बस सर्विस से आमदनी

*५८---**श्री देवकीनन्दन विभव** (अनुपस्थित)---क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में सिटी बस सर्विस की योजना के सम्बन्ध में क्या हो रहा है ?

श्री चरणसिंह---आगरा में सिटी बस सर्विस चलाने की योजना फिलहाल स्थगित कर दी गयी है ।

*५९---**श्री देवकीनन्दन विभव** (अनुपस्थित)---क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि आगरा रीजन के बस सर्विस से गत तीन वर्षों में अन्य रीजनों की तुलना में कितना लाभ हुआ ?

श्री चरणसिंह---इसकी सूची माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गयी है :

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४९७ पर)

रोडवेज बस दुर्घटनाओं से सरकार को हानि

*६०---**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५४ और १९५५ में रोडवेज बसों से दुर्घटना होने के कारण सरकार को कुल कितनी हानि हुयी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---दुर्घटना के कारण सरकार को कुल हानि सन् १९५४ में रु० १,०८५८०-६-५ और सन् १९५५ में रु० ५५,३५६-१-११ हुयी।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह हानि सरकार को किस प्रकार की दुर्घटनाओं के कारण से हुयी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---बहुत सी दुर्घटनायें हो जाती हैं और कई प्रकार से होती हैं जिनमें से बहुत सी दुर्घटनाओं में डेमेजेज भी देने पड़ते हैं।

श्री शिवनारायण---क्या यह सही है कि जो गाड़ियों में डेमेजेज होते हैं उनमें से मोटर ड्रायर के चार्जेज ड्राईवरों से काट लिये जाते हैं ?

नोट---तारांकित प्रश्न ५४ श्री रामदुलारे मिश्र ने पूछा ।

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी हां, लेकिन यह सरकमस्टेन्सेज पर मुनहसिर करता है। उसकी फाइनेंशियल स्थिति को भी देखा जाता है। मोटर ड्रायवर की सिक्योरिटी केवल २०० रुपया की होती है तो जो रिकवरी उससे की जाती है वह (डिफरेंट सरकमस्टेंसेज में डिफर करती है) भिन्न परिस्थितियों में भिन्न होती है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार ऐसा आदेश जारी करेगी कि जब किसी दुर्घटना की जांच से यही जाहिर हो कि उसमें ड्राइवर की ही जिम्मेदारी थी केवल उसी हालत में रुपया काटा जाय ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---यह तो जाहिर है कि जब उनकी जिम्मेदारी न होगी तो कोई रुपया उनसे न काटा जायगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५४-५५ में कुल कितनी दुर्घटनायें हुयीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---दुर्घटनाओं की संख्या तो नहीं है लेकिन जो डेमेजेज रीजन वाइज देना पड़े वह मैं बता सकता हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या इन दुर्घटनाओं में कुछ जाने भी गयी हैं ?

श्री अध्यक्ष---यह मूल प्रश्न आर्थिक हानि का है ।

आजमगढ़ जिले में गवर्नमेंट रोडवेज विभाग में हरिजन कर्मचारी

*६१-**श्री श्रीनाथराम** (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में गवर्नमेंट रोडवेज विभाग में विभिन्न पदों पर कितने-कितने कर्मचारी अलग-अलग कार्य कर रहे हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---वांछित सूचना सदस्य की मेज पर रख दी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ४९९ पर)

*६२-**श्री श्रीनाथराम**---इन कर्मचारियों में अलग-अलग पदों पर कितने हरिजन नियुक्त किये गये हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---यह सूचना भी सदस्य की मेज पर रख दी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ४८९ पर)

*६३-**श्री श्रीनाथराम**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इनकी नियुक्ति किस प्रकार होती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---इनकी नियुक्ति सेंट्रल सेलेक्शन कमेटी व रीजनल सेलेक्शन कमेटी द्वारा होती है ।

श्री श्रीनाथराम---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सेंट्रल सेलेक्शन कमेटी और रीजनल सेलेक्शन कमेटी में कितने कितने और कौन कौन सदस्य हैं और उनकी अवधि कितने दिन की होती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---यह अफिशियल्स कमेटी होती है और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर उसको मुकर्रर करते हैं उसके सदस्यों की कोई खास संख्या निर्धारित नहीं है ।

श्री श्रीनाथराम---क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि नियुक्ति करने के पूर्व प्रार्थना-पत्र उम्मीदवारों से कैसे मांगे जाते हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अखबारों में भी विज्ञापन दिया जाता है और एम्प्लायमेंट एक्सचेंज से भी प्रार्थना-पत्र मंगाये जाते हैं।

श्री ब्रजबिहारी मिश्र—यह समिति स्थायी है या अस्थायी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—यह तो बताया जा चुका है कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर नीचे के अधिकारियों को बनाने का अधिकार देते हैं।

श्री श्रीनाथराम—क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि संरक्षण के अनुसार सवर्ण कर्मचारियों के अलावा हरिजनों को स्थान नहीं दिया गया है जैसा कि सूची से प्रकट है, इस का क्या कारण है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—कारण तो यही है कि पर्याप्त संख्या में योग्य हरिजन उम्मीदवार नहीं मिलते।

श्री श्रीनाथराम—क्या यह सही है कि हरिजन प्रत्याशी ट्रेनिंग के बाद अभी तक बैठे हैं और उनको स्थान नहीं दिया गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—हो सकता है कि कुछ हरिजन और दूसरे लोग ऐसे हों जैसे जैसे जगह खाली होंगी उनको दी जायंगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—आजमगढ़ जिले में या अन्य जिलों में जनरल मेनेजर या असिस्टेंट जनरल मेनेजर की नियुक्ति कौन करता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—नीचे के केडर से इन्टरव्यू आदि के बाद प्रोमोशन से ऐसी नियुक्तियां होती हैं।

जालौन जिले की कोंच तहसील में ओला से नष्ट फसल का आबपाशी लगान मुआफी के लिये प्रार्थना

*६४—**श्री चित्तरसिंह निरंजन** (जिल जालौन)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन के अन्तर्गत तहसील कोंच के उन मवाजयात में जिनमें ओला पड़ने के कारण सन् १३६२ की रबी की फसल नष्ट हो गयी थी और सरकार की ओर से लगान में माफी की गयी थी उन खातों की आबपाशी वसूल की गयी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—तहसील कोंच, जिला जालौन के ९ गांवों में ओला पड़ने के कारण रबी १३६२ फसली में मालगुजारी की छूट दी गयी थी। इन में से ३ गांवों में सिंचाई न होने के कारण आबपाशी का कोई मुतालबा न था। २ गांवों में जिनमें कि अधिक हानि नहीं थी पूरी आबपाशी वसूल की गयी। शेष ४ गावों में ५६० रु० १५ आना ३ पाई की छूट दी गयी और बाकी आबपाशी वसूल की गयी।

*६५—**श्री चित्तरसिंह निरंजन**—यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह कौन कौन से मौजे हैं और उनसे कितना रुपया आबपाशी का वसूल हुआ है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—जिन गांवों में आबपाशी वसूल की गयी उनके नाम तथा वसूल की गयी रकम का ब्योरा इस प्रकार है :—

नाम ग्राम		रकम जो वसूल हुयी		
		रु०	आ०	पा०
१—चन्दुर्रा	..	४०८	१४	६
२—चांदनी	..	९२७	४	६
३—पिंडारी	..	१८	२	३
४—बिलाया	..	३२५	४	०
५—धमसेनी	..	४९०	१३	६
६—विरासनी	..	२६१	९	९
योग	..	२,४३२	०	६

श्री चित्तरसिंह निरंजन---क्या सरकार को मालूम है कि फसल पकने पर ओले पड़े थे ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---हो सकता है कि फसल पक रही हो तब पड़े हों।

श्री चित्तरसिंह निरंजन---क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि जिस हिसाब से लगान में माफी की गयी है उसी हिसाब से आबपाशी में माफी की जायगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---लगान में माफी के नियम अलग हैं जो रेवेन्यू मैनुअल में दिये हुये हैं और आबपाशी के नियम अलग हैं। बुंदेलखंड में खासतौर से रेवेन्यू में माफी ६ आने का नुकसान हो जाने पर और वह भी सारे गांव में जो डैमेज होता है उसके हिसाब से बांटा जाता है और आबपाशी में जो हिसाब है वह ५० फीसदी कम से कम नुकसान होना चाहिये और वह भी इर्रीगेटेड एरिया के बेसिस पर फील्ड वाइज जहां पर नुकसान होगा उसमें वह माफी दी जायगी ।

प्रदेश में प्रयोग किये जाने वाले ट्रैक्टरों की स्पीड

*६६–**श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी** (जिला आगरा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में जो विभिन्न Maker के ट्रैक्टर हैं उनकी maximum speed कितनी है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---वांछित सूचना माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत तालिका में दी है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ५०० पर)

पलिया, जिला खीरी की कालोनाइजेशन योजना के अन्तर्गत ट्रैक्टरों की खरीद

*६७–**श्री जगन्नाथप्रसाद** (जिला खीरी)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि पलिया, जिला खीरी की कालोनाइजेशन योजना के अन्तर्गत कितने ट्रैक्टर सरकार द्वारा खरीदे गये ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---खीरी उपनिवेशन योजना के लिये केवल एक ट्रैक्टर सरकार द्वारा खरीदा गया ।

*६८–**श्री जगन्नाथ प्रसाद**---क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि इन ट्रैक्टरों का दुरुपयोग हो रहा है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---जी नहीं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिस खीरी कालोनाइजेशन योजना के लिये ट्रैक्टर खरीदे गये वह कब शुरू हुआ और अब तक क्या प्रगति है ?

श्री हुकुमसिंह---साल डेढ़ साल से चालू है और अभी चालू रहेगी जब तक काम नहीं हो जायगा ।

श्री जगन्नाथप्रसाद---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यह ट्रैक्टर कब और कितनी कीमत में खरीदा गया था ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---१५ हजार रुपये में यह ट्रैक्टर खरीदा गया था।

श्री जगन्नाथप्रसाद---अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया था कि कब खरीदा गया था ?

श्री हुकुमसिंह---पिछले साल ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस कालोनाइजेशन योजना के अधीन कितनी जमीन तोड़ी जा चुकी है और इसमें कितने व्यक्ति बसाये जा चुके हैं ?

श्री हुकुमसिंह---इस साल हम १० हजार एकड़ जमीन तोड़ना चाहते हैं।

श्री जगन्नाथप्रसाद---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अब इन ट्रैक्टर्स से कितनी जमीन तोड़ी जा चुकी है ?

श्री हुकुमसिंह---काफी तोड़ रहे हैं लेकिन रकबा तो इस वक्त ठीक नहीं बताया जा सकता।

श्री नारायणदत्त तिवारी---इस कालोनाइजेशन योजना के अधीन किस श्रेणी के व्यक्ति बसाये जाने वाले हैं ?

श्री हुकुमसिंह---लैन्डलेस और एजूकेटेड अनएम्प्लायड।

बाढ़ से विस्थापितों को बसाने के लिये दुवारी और गजियापुर में भूमि प्राप्त करना

*६९---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिलाधिकारियों ने बसने के लिये भूमि देने की और क्या व्यवस्था की है ? क्या यह सही है कि दुवारी और गजियापुर में वे जमीन एक्वायर करने जा रहे हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---बाढ़ से विस्थापित लोगों को भूमि देने के लिये जिलाधिकारी ग्राम गजियापुर, कुंवरपुरवा, लक्ष्मीपुर तथा परसिया में भूमि हस्तगत करने की कार्यवाही कर रहे हैं। जैसा कि ऊपर के उत्तर से स्पष्ट है यह सही है कि वे लेखपाल क्षेत्र दुवारी के ग्राम लक्ष्मीपुर तथा गजियापुर में भूमि हस्तगत करने की कार्यवाही कर रहे हैं।

*७०---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो परिवार अब तक बस नहीं पाये हैं वे किस गांव के निवासी हैं तथा सम्पत्ति कहां है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---कोई परिवार ऐसा नहीं है जो अब तक कहीं न कहीं बस न गया हो।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गजियापुर, कुंवरपुरवा, लक्ष्मीपुर और परसिया में कुल कितनी जमीन ऐक्वायर की जा रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---यह कार्यवाही हो रही है और यह जमीन अभी ऐक्वायर की जा रही है। कार्यवाही वहां पर चल रही है, कुछ स्थगित हो गया क्योंकि कुछ मुकदमें उन लोगों ने गोरखपुर कमिश्नर के यहां दायर कर दिये हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि जो परिवार बस गये हैं उनको घर बनाने के लिये सरकार की ओर से कुछ सहायता नहीं दी गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---यह तो कई दफा बतलाया जा चुका है कि जो सहायता साधारण तौर से दी जा सकती है या अनुदान दिया जा सकता है वह दिया गया होगा और वह यहां भी किया गया होगा।

श्री ब्रजविहारी मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि परसिया की तरफ भी नदी का कटाव आरम्भ हो गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---इसलिये तो कार्यवाही रोकने की हो रही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि गजियापुर में जो जमीन एक्वायर की जा रही है उसके सम्बन्ध में सन् १९५४ में माननीय माल-मंत्री जी ने एक प्रश्न के उत्तर में यह कहा था कि यह बाग की भूमि है और इसे एक्वायर नहीं किया जा सकता ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसकी मुझे सूचना नहीं है। नोटिस की जरूरत होगी तब मालूम होगा क्या जवाब उस वक्त दिया गया था।

देवरिया पंजाबी केन यूनियन में किसानों से लिया गया रोड फण्ड का रुपया

*७१—श्री रामेश्वरलाल—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि देवरिया पंजाबी केन यूनियन में कितना पैसा रोड फण्ड के लिये किसानों से लिया गया जमा है ?

श्री मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री—वांछित विवरण एकत्रित किया जा रहा है और शीघ्र ही सदन में प्रस्तुत किया जायगा।

श्री रामेश्वरलाल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि यह विवरण कब तक सदन में उपस्थित कर दिया जायगा ?

श्री हुकुमसिंह—शीघ्र ही।

अतारांकित प्रश्न

१—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—[स्थगित किया गया।]

'रायबरेली जिले के वर्षा पीड़ितों को अनुदान के रूप में सहायता

२—श्री रामेश्वरप्रसाद—(जिला रायबरेली)—क्या सरकार १०-१०-५५ के प्रश्न १२ के उत्तर के सम्बन्ध में बतायेगी कि १, २, ३ प्रकार की जो सहायता सरकार द्वारा दी गई है वह रकम वापस ली जायगी या मुफ्त दी गयी है ?

श्री चरणसिंह—प्रश्न में पूछी गयी सहायताएं अनुदान रूप में दी गयी हैं और वापस नहीं ली जायंगी।

३—श्री रामेश्वरप्रसाद—क्या मुख्य मंत्री कोष से भी कुछ सहायता दी गई है ? यदि हां, तो उसका वितरण किसके द्वारा हुआ है और वह रकम कितनी थी ?

श्री चरणसिंह—मुख्य मंत्री कोष निजी कोष है और उसका सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं है।

४—श्री रामेश्वरप्रसाद—सस्ते अन्न व खाद्य पदार्थों की दुकानें कहां पर खोली गयी हैं और उनमें किस भाव पर कौन-कौन सा गल्ला दिया जाता है ?

श्री चरणसिंह—रायबरेली जिले में सस्ते अन्न व खाद्य पदार्थों की दुकानें खोली नहीं गयी थीं।

५-६—श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)—[स्थगित किये गये।]

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में कृत संशोधन

माल उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—मैं मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ (३) के अनुसार वाहन विभाग की विज्ञप्तियां संख्या ३२२८-टी-एम/३०—४४५८-टी—५५, दिनांक ७ अक्तूबर, १९५५ संख्या ४०५०-टी-एम/३०—४४३४-टी ५४, दिनांक ७ नवम्बर, १९५५ तथा संख्या ४०९४—टी-एम/३०-४४६०-टी-५५, दिनांक ११ नवम्बर, १९५५ को जिनसे यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० में संशोधन किए गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं चाहूंगा कि इस पर विवाद हो जाय।

श्री अध्यक्ष—तो कोई समय आप को मुकर्रर करना होगा। इस वक्त तत्काल तो नहीं होगा।

श्री चतुर्भुज शर्मा—समय निर्धारित कर दिया जाय फिर विवाद हो जाय।

श्री अध्यक्ष—तो इसके ऊपर विवाद के लिये किसी रोज समय दे दिया जाय।

विधान सभा के भावी कार्य-क्रम के विषय में जानकारी

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सरकार से जानना चाहूंगा कि यह सदन की बैठक किस तारीख को खत्म होगी और फिर सदन कब से बैठेगा ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—मेरे खयाल में यह तो तय हो गया है कि शायद १८ जनवरी तक सदन बैठेगा और उसके बाद कब मीट होगा यह मैं अभी नहीं बता सकता।

मोटर वेहिकिल्स रूल्स में कृत संशोधनों पर विवाद की मांग

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन्, जब से हमारी यह असेम्बली हुई होगी सन् १९५२ से बहुत दफ़ा हमारे रूल्स हाउस के सामने पेश हो गये और उन पर बहस भी हम लोगों ने मांगी है लेकिन अभी तक एक दफ़ा भी बहस नहीं हो पायी है, मेरा मतलब रूल्स से है, खासकर मोटर रूल्स पर, तो माननीय मंत्री जी उन रूल्स पर अगर जल्दी बहस करा दें तो अच्छा हो नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—तो अगली दफ़ा जब मीट करें उस वक्त जल्दी कर दी जायगी।

*उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों और सदस्यों, मन्त्रियों, उप-मन्त्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भतों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का विधेयक, १९५५

श्री अध्यक्ष—अब माननीय न्याय मंत्री के प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के अधिकारियों और सदस्यों, मन्त्रियों, उप-मन्त्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का विधेयक, १९५५, पर विचार किया जाय तथा अन्य संशोधनों पर विवाद जारी होगा जो कि उपस्थित किये जा चुके हैं।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—मान्यवर, गत बृहस्पतिवार को प्रस्तुत विधेयक पर विचार व्यक्त करते हुये मैंने उद्देश्य और कारणों की तरफ चेयर के द्वारा इस सदन का ध्यान आकर्षित किया था और हमने चेष्टा की थी कि मैं यह बता सकूं कि स्टेटस बढ़ाने की बात जो उद्देश्य और कारणों में कही गयी है वह क्या सचमुच हमारा स्टेटस या हमारे उप-सभापति या जो हमारे और माननीय सदस्य हैं उनका स्टेटस बढ़ाने का सरकार इस बिल द्वारा कुछ आगे बढ़ने की बात कर रही है। मान्यवर, जब स्टेटस बढ़ाने की बात या सम्मान देने की बात सामने हो और इस विधेयक के उद्देश्य और कारण में इस तरह की चर्चा की गई हो तो

*१२ दिसम्बर, १९५५ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री रामेश्वरलाल]

हमें विचारना होगा कि यह स्टेटस किसकी नजरों में बढ़े, जनता की नजरों में या सरकार की नजरों में । जनता की नजरों में हमारे सभापति, उप-सभापति या इस सदन के माननीय सदस्यों का सम्मान और स्टेटस है वह आज से नहीं है, श्रीमन्, उस जमाने से है जब हमने अपनी जेल और त्याग और तपस्या की जिन्दगी में जो कुर्बानियां दीं और उन कुर्बानियों के आधार पर इस देश को १५ अगस्त, १९४७ को स्वतंत्रता मिली। वे कुर्बानियों और उन कुर्बानियों के आधार पर मिले हुये प्रतिफल जो हमारे देश को प्राप्त हुए उसकी वजह से हमारा सम्मान, आबरू और इज्जत कम नहीं थी और न आज है। किन्तु आज हमारी सरकार कुछ लोगों का स्टेटस बढ़ाना चाहती है। मैं यह समझता हूं यह सरकार का नुक्तेनजरिया है। सरकार अपनी नजर से कुछ लोगों का स्टेटस बढ़ाना चाहती है। मैं सरकार से आप के द्वारा निवेदन करूंगा कि यदि सरकार अपने दृष्टिकोण से अपनी नजरों द्वारा कुछ लोगों का स्टेटस बढ़ाना चाहती है तो उसे स्वयं त्याग करना चाहिये। अच्छा होता कि यदि सरकारी कर्मचारी या सरकार के मंत्रीगण या सरकार के शीर्षस्थ नेता जो आज बड़ी बड़ी तनख्वाहें इस गरीब राज्य में ले रहे हैं वह उनमें कटौती करते और अपने दूसरे सहयोगियों को वह स्टेटस बढ़ाने के नाम पर, सम्मान प्रदान करने के नाम पर या और किसी नाम पर अगर वह उनको आगे बढ़ाती आर्थिक मामले में तो कोई एतराज नहीं होता। लेकिन श्रीमन्, यह तो सीधा भार जनता के खजाने पर जाने वाला है। जो आर्थिक सहायता सरकार अपने सहयोगियों को देने जा रही है उसका सीधा भार जनता के खजाने पर पड़ेगा। श्रीमन्, ऐसे केस में जब हम योजनाओं के मातहत काम कर रहे हों, जब पहली पंचवर्षीय योजना समाप्त हो चुकी हो, दूसरी चल रही हो, और हमारे देश के शीर्षस्थ नेता छोटे से बड़े सभी योजनाओं की सफलता में अपने देश की सफलता देखते हों और सदन के अन्दर और बाहर चिल्ला चिल्ला कर जनता से पुकार पुकार कर कह रहे हों कि त्याग करो, श्रम करो, मेहनत करो, कटौती करो ऐसी हालत में एक तरफ जनता से कटौती की बात करना, मेहनत की बात करना, मुफ्त श्रम की बात करना और दूसरी तरफ श्रम नहीं कहलाने वाला जो आज का श्रम है, उस श्रम के लिये बढ़ोत्तरी की बात करना कहां तक उचित है, यह श्रीमन्, मैं आपके द्वारा इस सदन से पूछना चाहूंगा । क्या वजह है कि वही गांधी जी, वही नेहरू जी, वही हमारे सदन के कुछ नेतागण जब देश को पुकारते हैं विदेशी कपड़े जला दो, थाने जला दो, डाकखाने फूंक दो, अपनी कुर्बानी कर दो, तो तमाम अवाम आगे बढ़ कर के अपनी कुर्बानी देने को तैयार हो जाता है। नेता जी सुभाष चन्द्र बोस ने जिन्दगी की कुर्बानी मांगी, गांधी जी ने "करो या मरो" का नारा लगाया और हमारे कुछ नेताओं ने भी नवयुवकों से उनकी जिन्दगी की मांग की और उसके लिये वह तैयार हुए। लेकिन क्या वजह है कि आज जीवनदान नहीं सिर्फ श्रमदान मांगते हैं नेतागण और जनता आज देने को तैयार नहीं है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि माइक्रोफोन जो आपके सामने है वह काफ़ी आवाज़ दे सकता है।

श्री रामेश्वरलाल—श्रीमन्, तो मैं यह कह रहा था कि आखिर कारण क्या है कि हम श्रम मांगते हैं, हम कटौती मांगते हैं, हम न्यायाचरण मांगते हैं लेकिन आज जनता देने को तैयार नहीं है और हमारी असफलता पर असफलता होती चली जा रही है। हम राजकीय कर्मचारियों से ईमानदारी की कामना करते हैं लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि करप्शन बढ़ता जाता है। इसका एक मात्र कारण यही है कि अगर इसी तरह के बिल इस सदन में आते रहें और हम यह सिद्ध करते रहें कि आर्थिक इमदाद अपने लिये हम ज्यादा से ज्यादा लेने के लिये तैयार हैं तो देश का अवाम या राज्य के काम करने वाले कर्मचारी हमारी ईमानदारी को चैलेंज कर अपनी ईमानदारी को भी वैसा ही रखने की कोशिश करेगा। वह क्यों अपनी ईमानदारी को ऊंचा उठाने की कोशिश करेगा। हमारी बेईमानी को देखते हुये वह भी हमारा अनुकरण करने की कोशिश करेगा। इसलिये श्रीमन्, आवश्यकता इस बात की

है कि इस बिल को वापस ले लिया जाय। श्रीमन्, कुछ माननीय सदस्यों के भाषण उस दिन सुनने को मिले। माननीय परिपूर्णानन्द जी ने भी हमें बड़ी सीख दी और पश्चिम के मिनिस्टरों और पश्चिम के देशों से हमारे इस राज्य की तुलना कर डाली।

मैं माननीय परिपूर्णानन्द जी से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या उन्होंने यह भी चेष्टा की, क्या सदन ने यह भी सुना कि उन्होंने जहां मिनिस्टरों की तनख्वाहों की तुलना अपने यहां के तनख्वाहों से की तो उन्होंने वहां की आर्थिक स्थिति की और वहां के अवाम की स्थिति की तुलना भी हमारे यहां की आर्थिक स्थिति और अवाम की स्थिति से की? क्या यह भी उन्होंने बतलाने की चेष्टा की कि पश्चिम में मिनिस्टरों और राजनीतिक दलों की क्या हालत है? क्या वहां भी हिन्दुस्तान के मंत्रियों और राजनीतिक दलों की तरह पार्टी प्रचार होता है और क्या वे भी जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग करते हैं? क्या उन्होंने इसकी भी तुलना की? श्रीमन्, उन्होंने यह चेष्टा नहीं की। मैं साफ़ कह देना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की जगह पर पश्चिम की मिनिस्टरी होती चाहे वह केन्द्र की या राज्य सरकार की होती और गांधी जी की हत्या हुई होती तो उसको इस्तीफा देना पड़ता और वह अपनी स्थिति साफ़ करने के लिए इस्तीफा दिये होती। लेकिन आज तो चाहे राज्य सरकार हो या केन्द्र की सरकार, जब कि हमारी नैतिकता बिगड़ रही है इसलिये देश की, प्रजा की, अवाम की नैतिकता बिगड़ रही है और हमें इस नैतिकता को ऊपर उठाना पड़ेगा और उसको उठाने के लिये हमें त्याग करना पड़ेगा। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपके द्वारा कि हमारे देश का इतिहास है कि भोग लिप्सा से जितना भी आदमी दूर रहा उतना ही उसको इज्जत और आबरू मिलती रही, चाहे संतों में लें या राजनीतिक पार्टियों में लें। क्या वजह है कि जिस समय हम जेल में थे तो वहां जब तक गुड़ और दलिया को पकवान समझा और चना चबैना हर एक को मेवा और मिष्ठान का भण्डार समझा और कारागार और फांसी को तख्त और ताज समझा तब तक जनता ने हमको इतना बल दिया, इतनी हिम्मत दी और हमारे पीछे चलने की सामर्थ्य भी प्रकट की और हमारे पीछे चलने में तत्परता दिखलायी। आज जब नेता लोग दलिया और गुड़ के पकवानों से दूर हट कर सही पकवानों से मोह करने लगे और अट्टालिकाओं और दूसरी चीजों— श्रीमन्, मैं क्या कहूं— उनमें अपने को लिप्सित करने लगे तो क्या जनता नाराज नहीं होती? जनता नाराज होती है, कर्मचारी और राज्य वर्ग नाराज होता है और जब नाराजगी का वातावरण होता है तो सबसे पहले नये राज्य की व्यवस्था में जो योजनाएं होती हैं वह निष्फल होती हैं और मैं चुनौती देना चाहता हूं और आगाह करना चाहता हूं सरकार को कि सरकार का रवैया यदि इसी प्रकार का रहा तो आगे आने वाली पंचवर्षीय योजनाएं आपको फेल होंगी। हो सकता है कि आप पूंजीवाद से लेकर या जनता के ऊपर टैक्स लगा कर पूंजी इकट्ठा कर योजनाओं को संचालित करने में आप को सफलता मिल जाय, लेकिन उन योजनाओं में लगी हुई पूंजी का अधिक धन दूसरे लोगों की जेबों में जायगा, देश का उससे कल्याण नहीं होगा—व्यक्तियों का निर्माण प्रारंभ हो जायगा। इसलिये आवश्यकता है कि बड़ी सतर्कता से, कदम फूंक फूंक कर हम आगे बढ़ाएं और अपनी योजनाओं की सफलता के लिये लोगों में नैतिक बल और नैतिकता प्रदान करने के लिये, आत्म-विश्वास पैदा करने के लिए आवश्यकता है कि हम भोग-लिप्सा से दूर रह कर आगे बढ़ने की बात सोचें। हमारे नेताओं की जो देन है, जो बापू की देन है, जो त्याग-तपस्या उनकी रही उसको अपने सामने रख कर, उसको आदर्श मानकर हम चलें और आगे बढ़ने की चेष्टा करें। हो सकता है कि ऐसे बिलों को बहुमत के बल पर पास कराने में सफलता हो जाय, लेकिन हमारे भारतीय समाजवाद की कल्पना जो नेहरू अपने सपनों में देखा करते हैं वह पूरी होने की नहीं है। हो सकता है कि अमरीकी पूंजीवाद यहां आ जाय और उसकी प्रस्थापना में हम अपने को आगे बढ़ते हुये देखें, लेकिन वह सही समाजवाद की रूपरेखा जो समाजवादी कल्पना में है वह यहां पर स्थापित करने में आप सर्वदा असमर्थ रहेंगे और यदि

[श्री रामेश्वरलाल]

आप असमर्थ रहे तो निश्चित है कि पूंजीवादी कल्पना में जो आपकी बढ़ोत्तरी होगी वह स्थित बढ़ोत्तरी नहीं होगी। इसलिये श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप उसे वापस लें।

मैं तो इस बिल को समझता हूं कि यह बिल सदस्यों को केवल ज्यादा सुविधा देने के लिये या मंत्रियों को कुछ बढ़ोत्तरी देकर उन्हें सम्मान देने के लिये, स्थान देने के लिये नहीं है मैंने तो इस पर बड़ी गम्भीरता से विचार किया है कि क्यों यह इस समय लाया गया और इसी राज्य के मंत्रित्व के पंचवर्षीय काल में यह बिल क्यों नहीं पहले उपस्थित हुआ? क्यों अन्त में आया? जब हमारा चुनाव नजदीक है तब यह क्यों आया? मैं तो यह समझता हूं कि सरकार राजनीतिक पीड़ितों को जो सहायता देने जा रही है एम० एल० ए० होने के बाद कुछ बन्धु पीड़ित होने के नाम पर जो सहायता लेना अस्वीकार कर देंगे अप्रत्यक्ष रूप से उनको बढ़ोत्तरी दे करके राजनीतिक पीड़ित सहायता देना है। मैं यह भी समझता हूं कि कहीं सम्पूर्णानन्द मिनिस्ट्री के फ़ेल्योर के लिये कांग्रेस के कुछ लोगों की साजिश न हो कि यह मंत्रिमंडल ही बदल दिया जाय। क्या वजह है कि चार वर्षों की जिन्दगी में यह बिल सदन के सामने नहीं आया? श्रीमन्, आप के द्वारा मैं माननीय सम्पूर्णानन्द जी से निवेदन करूंगा कि जो मैं समझता हूं विद्वान भी हैं और पंडित भी कि वे राजनीतिक पांडित्य को इस विधेयक में देखें। और यदि वे देखेंगे तो उनको दिखायी पड़ेगा कि चालाक लोगों की प्रेरणा से उनकी मिनिस्ट्री को तबाह व बर्बाद करने के लिये जो आने वाली परिकल्पना है उसके लिये यह विधेयक लाया गया है। मैं माननीय सम्पूर्णानन्द जी से कहूंगा कि वे इस बिल को वापस ले लें। यदि उन्होंने इसे वापस नहीं लिया तो मैं समझता हूं कि यह उनकी मिनिस्ट्री और इसके साथ-साथ जो आने वाला जमाना है उसके लिये भी बड़ा खतरनाक सिद्ध होगा। इससे हमारी नैतिकता गिरेगी। हमारे नेता नैतिकता की दुहाई देते हैं। इस सदन में मैंने उधर बैठने वालों से बार बार सुना है कि हमारा नैतिक स्तर गिर गया है। नेता अगर गिरे तो जनता तो गिरती ही है चूंकि जनता नेता के पीछे चलने वाली होती है। नेता का आदर्श जैसा होता है उसी की अनुपादक जनता होती है। यदि जनता को सही रास्ते पर लाना है तो आप आदर्श पेश कीजिये, आप बलिदान पेश कीजिये।

श्रीमन्, यह कहां का न्याय है कि आज ये त्याग के बकरे, ये बलिदानी लोग ३०० रुपये महीने की मांग करें और १००—१५० रुपये के भत्ते की मांग करें। लेकिन क्या मैं जान सकता हूं कि राजनीति में काम करने वाले वे त्यागी और बलिदानी लोग जिन्होंने अपनी जिन्दगी की जवानी जिसमें वे काम कर के पैसा पैदा कर सकते थे और अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकते थे जेलों की चहारदीवारों में बितायी और आज बाहर पड़े हैं उनको कुछ पूछा गया? श्रीमन्, मैं जानता हूं कि हमारे जिले देवरिया में ९ अगस्त, ४२ को रामचन्द्र शहीद हुये थे। और उनके बाप गोरखपुर के अस्पताल में कोढ़ी के रूप में आज पड़े हुये हैं। मुझे उनसे मिलने का अवसर मिला है और मैं जानता हूं कि कम से कम पार साल तक उन्हें कुछ भी सहायता नहीं मिल रही थी। मैं सैकड़ों आदमियों को जानता हूं जिन्होंने जेल की जिन्दगी काटी, ईमानदारी से कांग्रेस की सेवा की आज वे भूखे तड़प रहे हैं। उनकी आपको परवाह नहीं है। आप चूंकि यहां चुन कर चले आये हैं इसलिये अपनी परवाह करते हैं। चूंकि कारूं का खजाना, जनता की गाढ़ी कमाई का धन आप को मिल गया है इसलिये जैसे चाहें उसका बटवारा कर लें। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं उन लाखों लाखों आदमियों की जो गांवों में फैले हुये हैं जिनकी यह गाढ़ी कमाई है। उनको आपने नहीं देखा है। आपने न जनता को देखा और न अपने सहयोगियों को देखा और आज अपने को देखने चले हैं, बढ़ाने चले हैं अपनी तनख्वाह।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सदन के सम्मानित सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जो १० दिन के भत्ते की बात हमसे कही गयी है उसे तो वे एक मत से छोड़ देने की बात घोषित करें। श्रीमन्, आप देखेंगे कि इस बिल का शीर्षक है "उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल

के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों और उपमंत्रियों और सभासचिवों (के वेतन तथा भत्ते और प्रकीर्ण उबपन्धों) का विधेयक" इसके सब से पहले अधिकारियों और सदस्यों का नाम आया है और सबसे ज्यादा मिलने वाला मंत्रियों, उप मन्त्रियों और सभा सचिवों को है। हमारे माननीय सदस्य तो सब ईमानदार हैं मैं किसी को नहीं कहता कि कोई बेईमान है और मैं जानता हूं कि बेईमानी से कोई भत्ता लेना उचित नहीं समझेगा और अगर बेईमानी नहीं की गई तो इस बिल से माननीय सदस्यों को कुछ भी नहीं मिलने वाला है, उनकी इसमें कुछ भी बढ़ोत्तरी होने वाली नहीं है, बढ़ोत्तरी तो डिप्टी चेयरमैन, डिप्टी स्पीकर, मंत्री, उपमंत्री और सभा सचिवों की होने वाली है और इस विधेयक में श्रीमन्, नाम सब से पहले सदस्यों का आया है। इसलिये श्रीमन्, मैं आप के द्वारा सम्मानित सदस्यों पर जोर डालूंगा कि यदि उन्हें ईमानदारी से व्यवहार करना है तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है, इसमें मिल रहा है मंत्री, उपमन्त्री तथा सभासचिवों को और बदनाम हमें किया जा रहा है या हमारे लिये यह टुकड़ा फेंका जा रहा है, इसलिये हमें इस पर ठोकर मारनी चाहिये। इसलिये मैं सदन का ज्यादा समय न लेते हुए अर्ज करूंगा कि सदन के माननीय सदस्य एकमत होकर मंत्री महोदय पर इसको वापस लेने के लिये जोर डालें क्योंकि इससे हमें नैतिक चोट लगने वाली है और इसको हमने कभी बरदाश्त नहीं किया है और आगे भी नहीं करना चाहते हैं, इसलिये आवश्यकता है कि इसे वापस लेने के लिये सब जोर डालें।

*वित्त मंत्री (श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम)—जनाब स्पीकर साहब, मैंने जो बहस इस बिल पर हुयी वह शुरू से इस वक्त तक मैंने सुनी और यह अर्ज करूंगा कि मुझे इसको गौर से सुनना पड़ा। इसलिये कि वह बहस गैर मामूली तरीकेकी थी मैंने बहुत सोचा कि कौन बातें इसमें ऐसी आयंगी जो मेरी समझ में कोई खास ताल्लुक इस बिल के आम बहस या उसकी क्लाजेज की बहस से रखती नहीं थी। वह भी इस सदन में कही गयी और जिस किस्म के खयालात का इजहार किया गया। मैं समझता था कि उसका कोई मौका इस बिल ने पैदा नहीं किया था और इस बिल मे कोई ऐसी बात नहीं थी जिसकी निस्बत वह कहा जाता जो कि मैंने अपने कानों से सुना। हमारे लीडर आफ अपोजीशन ने एक तकरीर की, मैं उनका मशकूर हूं कि वह बहुत ही सुलझी हुयी और माकूल बात कहने के आदी हैं, मगर इस दफा जो मैंने उनकी तकरीर सुनी उसमें यह तो मैं नहीं कहता कि वह माकूल नहीं थी लेकिन उनका इस सिलसिले में ऐसा कहने की मेरे नजदीक कोई खास जरूरत नहीं थी। उनमें से कुछ ऐसी थीं जो कि गलतफहमी पर मबनी थीं उनके अन्दर तो मेरे लिये यह मुमकिन नहीं होगा कि जितनी तकरीरें मैंने सुनीं, उनम से हर एक में जो कुछ कहा गया, उसकी बाबत अलग अलग अर्ज कर दूं। लेकिन कुछ खयालात मैंने कलेक्टिव किस्म के, मजमूई तौर के अपने दिमाग में कायम किये, उसके लिहाज से मैं इस वक्त कुछ अर्ज करना चाहता हूं और उसको अर्ज करूं उसके पहले एक दो बातें ऐसी हैं जिनका जवाब बतौर वाके के हो जाना जरूरी है क्योंकि वह बातें यहां कही गयीं और वह कुछ एक किस्म की शिकायत मैं समझता हूं। उनके मुताल्लिक इस हाउस में पोजीशन आ जानी चाहिये कि वह क्या है, जिसके मुताल्लिक यहां कहा गया है। उसके मुताल्लिक एक बात तो मैंने यह सुनी कि यहां जो रजिस्टर रहता है मेम्बर साहबान का उसमें एक साहब के यहां आने पर रजिस्टर देखने के मौके पर यह पाया कि उनका नाम पहले से ही लिखा हुआ है। वह रजिस्टर इस बात का है कि जो मेम्बर साहबान यहां अटेंड करें वह अपना नाम लिख दें। तो उन्हें यह ताज्जुब हुआ। मैं तो अभी आया और मेरा नाम इसमें लिख गया? कैसे लिख गया? तो उन्होंने, अगर मुझको ठीक याद है तो यह बतलाया कि असेम्बली के आफिस से उन्होंने कुछ शिकायत की उसके मुताल्लिक और असेम्बली आफिस ने उनसे यह कहा कि आप तहरीर में हमको

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम]

इसकी बाबत इत्तला दे दीजिये कि इस किस्म की सूरत पायी गयी है। और मालूम मुझको यह हुआ कि वह इत्तला तक नहीं दी गयी जो असेम्बली आफिस ने मांगी थी तहरीरी उनको इस वक्त तक नहीं मिली। लेकिन मैं अपने इल्म की बिना पर यह बात कहूं और मैं वाकया अर्ज करूंगा कि मेरा भी दिल यह चाहता है कि गर्दन झुका लूं और आंखें नीची कर लूं। इस बात पर अफसोस भी होता है कि इस किस्म की बातों का चर्चा इस ऐवान के अन्दर आना किसी जरूरत के लिहाज से जरूरी नहीं था। अगर कोई उसके मुताल्लिक बात करना चाहता, जितनी बात आप सुनेंगे पूरी, जो मैं आपके सामने अर्ज कर दूंगा। तो उसके बाद आप इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि वह बात ऐसी थी कि जो एक आफिस से तालुक रखती थी और उसके मुताल्लिक जो भी सही तरीका आपको कायम करना था वह आप यहां कायम कर सकते थे। लेकिन उसके लिये इस सदन के सामने आना, मेरे नजदीक तो इस सदन की तारीख में पहली बात है जो मैंने देखी। कभी ऐसा नहीं हुआ। चाहे वह बात पहले होती रही हो, जिसकी शिकायत उनकी है। मेरे इल्म में नहीं है कि वह होती रही या नहीं होती रही, लेकिन अगर यह माना जाय कि वह होती भी रही लेकिन उसका इस सदन में कभी चर्चा नहीं सुना गया। सरकारी मेम्बर भी उस वक्त होते थे और गैर सरकारी मेम्बर भी होते थे और उसके बाद सारी मेजारिटी में गैर सरकारी मेम्बर निकल गये थे लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। तो यह मामला कि कोई शख्श किसी की तरफ से दस्तखत करे उस किताब के ऊपर, मोज्जिज स्पीकर साहब के दफ्तर में चल रहा है। अब मैं यह कहूं कि दुनियां में इस बात को पहुंचाया जाय कि फलां के रजिस्टर में इस तरह का मामला स्पीकर साहब के दफ्तर में चल रहा है, काबिले गौर है और वहां इस तरह की बात होती है, मैं नहीं जानता कि मेम्बर इसको कैसा समझेंगे, इसको सही समझेंगे या गलत समझेंगे। मुमकिन है कि मेरी राय गलत हो। मैं ही इस किस्म का जलील आदमी होऊं कि जिसको इस किस्म की बात बुरी मालूम होती हो। वरना मुझे को तो यह बात बहुत बुरी मालूम हुयी और मैं नहीं चाहता था कि इस बात को उस जगह से ऊपर उठाया जाता जिस जगह की यह बात थी, अगर उठाया जाता तो उस वक्त जबकि उसके लिये कोई चाराकार बाकी न रहता। मैं इत्तफाक से यहां बैठा था और सुन रहा था।

दूसरी बात यहां तनख्वाहों के कटने का एक मामला था। मैं अभी भी हुजूर से अर्ज करता हूं और हुजूर के जरिये से मेम्बरान से कि मैं समझा नहीं इस बात को बिल्कुल कि इस बिल से और उस रजिस्टर से क्या ताल्लुक था। मैं इसको समझने से बिल्कुल कासिर रहा हूं। दूसरी बात यह है कि मुझे समझिये कि मैं एक मेम्बर हूं और मैं एक गवर्नमेंट के मकान में रहता हूं और उसका किराया देता हूं। तो जहां तक मेम्बरों से किराये के वसूल होने का सम्बन्ध है उसके मुताल्लिक एक बात तो खुली हुयी है और सभी या कम से कम बहुत से मेम्बरान को मालूम है कि अगर किराया अदा न हो, मैं अदा न करूं तो जहां तक कांग्रेस पार्टी का ताल्लुक है, इनका तो एक फैसला था और पार्टी ने उसको तय किया था उनकी तनख्वाह में से उसको काट लिया जाय। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर मैं सरकारी कोठी में रहता हूं तो उसका किराया देता हूं। मेरे पास किराये की मांग आती है तो मैं देता हूं। जैसा कि यहां एक एक्जिक्यूटिव इंजीनियर लखनऊ में होता है जो तमाम सरकारी इमारतों के किराये के वसूल करने की लिखत-पढ़त करता है। उसने यहां असेम्बली आफिस को लिखा कि साहब फलां साहब के ऊपर इतना रुपया किराये का वाजिब है और उस किराये को उसमें से काट लिया जाय यानी उस सैलरी में से। वह एक बिल था जो आया और उसके बाद दूसरे बिल भी पहुंच गये और उसकी नौबत यहां तक पहुंची कि उनको स्पीकर साहब से गुफतगू करनी पड़ी। अगर मुझे वह याद है और मैंने उस स्टोरी को सुना तो मैंने यह समझा कि स्पीकर साहब से गुफतगू हुयी और उनसे यह वायदा हुआ कि हम रुपया भेज देंगे। अब उसमें यह बात आ गयी कि रुपये के पहुंचने के पहले वह जो एक्जिक्यूटिव इंजीनियर की इत्तिला किराये के मांगने की थी वह किसी आफिस में भेजने के साथ

ट्रेजरी को भी भेजी जाती है ताकि ट्रेजरी को यह मालूम हो कि उसको क्या अदा करना है। हमारे बहुत से मेम्बर विल्लिग्ली भी अपनी तनख्वाहों में से कटवाते रहते हैं जो कि उनके ऊपर चाहता हो तो वहां वह १२०० रुपया इकट्ठा हो गया था वह उसमें से काटा गया। स्पीकर साहब की तरफ से तो यह हो गया कि वह अदा हो जाय और भेज दिया जायगा लेकिन में इस बात की बाबत समझा नहीं कि मैं खुद यहां मौजूद हूं, मैं जानता हूं कि यह एक तरीका मेम्बरों की तनख्वाह में से काट लेने का है। तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से जो तनख्वाह अदा हो, जो ड्यूज गवर्नमेंट के मेम्बरों के ऊपर हों उनमें से उसको लेना कोई ऐसी बात नहीं है। इस केस की यह असलियत है कि १८० रुपया उस बिल्डिंग का किराया है और १२०० रुपये की वह रकम हो गयी थी तो १२०० रुपये के बनने में कोई ६ महीने या ७ महीने लग गये। इतने दिनों का वह एरियर था वह वसूल किया गया। तो उसमें शिकायत क्या और क्या उसमें असेम्बली आफिस की ऐसी बात ? वह जुमले जबानी तो मैं याद नहीं रख सका, लेकिन मैंने महसूस ऐसा किया और जो मैंने सुना उससे मुझे ऐसा लगा कि कुछ असेम्बली आफिस से उनको शिकायत है मेरी समझ में यह बात आयी नहीं कि असेम्बली आफिस से किस बिना पर वह बात कही जाय। असेम्बली आफिस ने तो ट्रेजरी आफिस को यह जवाब तलब किया है कि हमने तो लिखा नहीं तब तुमने किस प्रकार से काट लिया। तो उसमें असेम्बली आफिस की गरीब की क्या शिकायत ? उनको कोई मौका निकलता नहीं था लेकिन वह निकाला और फिर दूसरी बात यह भी समझ में नहीं आयी कि उसका इस बिल से ताल्लुक क्या ?

तीसरी एक बात और कही गयी। मेरे सामने उसका भी कोई ताल्लुक नहीं है गो कि मैंने सुनते में बहुत गौर किया। कहा गया कि एक जमाना था करप्शन का, उस जमीने में लोग ब्लेक मार्केटिंग करते थे। मैंने तो कभी की नहीं, मैं तिजारत नहीं करता था। तो लोग ब्लैक मार्केटिंग करते थे। उसका कानून भी यहां बना हुआ था और ब्लेक मार्केटिंग के मुकदमे भी चलते थे लोगों पर। इसके मुताल्लिक जो बात इस हाउस में आयी वह यह कि वह मेम्बर जो हमारे यहां हैं, तो जो ब्लैकमार्केटियर्स थे उनके कुछ मसले भी आये लेकिन उन पर मुकदमें नहीं चलाये गये। यह एक बात।

दूसरी बात यह कही गयी। मैं बड़ी मुश्किल से उन अल्फाज को अदा करने के लिये अपनी तबियत को आमादा करता हूं। मेम्बर जो इस हाउस के हैं, मुझ मिनिस्टर को ही ले लीजिये, तो मैं यह कोशिश करूं कि मैं करप्ट हो जाऊं और मुझमें करप्शन ऐसा हो जाय कि दूसरों को करप्ट करने की कोशिश करूं। इस तरह से कि लाइसेंस और परमिट लोगों को दूं। तो मैंने यह सुना कि कोई मिनिस्टर हैं, यहां की गवर्नमेंट के ही रहे होंगे, मैं समझता हूं कि यहां की गवर्नमेंट से ही उनका मतलब होगा, और कहीं से नहीं होगा, वे परमिट और लाइसेंस देकर खुद करप्ट बनते हैं और दूसरों को बनाते हैं। नीज और और किस्म की बातें जो करप्शन में होती हैं वह हुयीं। मुझको इस बात पर बड़ा ताज्जुब हुआ कि इस कदर स्पेसिफिक तौर पर यहां खड़ा होकर कोई बात कहूं तो मुझे यह जानना चाहिये कि मैं जिस जमीन पर खड़ा हूं वह जमीन कैसी है। हां, वह जमीन अगर ऐसी हो कि जब बोझ पड़े तो मुझको संभाले रहे तब तो मैं अपनी जगह पर कायम रह सकता हूं। वरना वह ऐसी बात है कि अगर किसी के करीब वह पहुंच जाय और वह कहे कि क्या सबूत। उसका क्या सबूत है। एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं रहूं और सब मामले को अन्दर से देखूं। माफ कीजिये, मान लिया अली जहीर साहब हैं तो मैं अली जहीर साहब को यह देखूं कि यह करप्शन कर रहे हैं और उस वक्त जब वे मेरे साथी हैं। तो उस वक्त कभी किसी हैसियत से भी यह खयाल मेरे सामने न आता हो, जिसे कहते हैं कि ख्वाब में भी किसी को वह चीज नजर न आती हो और यह कि अगर मैं नगीना चला जाऊं और लखनऊ में न रहूं तो फिर मैं अली जहीर साहब के लिये कहूं, तो मैं तो नहीं समझता कि कहां तक मेरी तबियत इजाजत देगी और कहां तक दूसरे लोग मेरी बात को मानेंगे और सुनेंगे। पहले

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

सो सवाल होगा कि तुमने इस बात को कैसे माना, यह भी नहीं मालूम, यह बात है भी कब की, कितने दिनों की ? कभी मैंने वाकई करप्शन किया हो और फिर दुनियां ने गलती से, धोखे में पड़कर मुझे यहां रहने दिया हो और यह समझा हो कि कभी किया होगा, लेकिन फिर भी यह आदमी मिनिस्ट्री में रहने के काबिल है तो फिर कब तक इसको रोओगे कि इब्राहीम ऐसा है। फिर दूसरी यह बात कि इस बिल पर उसका क्या असर पड़ता है, किस तरीके से वह बात रिलेवेंट बनती है यह भी मैं नहीं समझ पाया। जो बातें मैंने इस बहस में सुनीं और इस बिल में एक जगह ....

श्री अध्यक्ष—आपने इरिलेवेन्ट बातों की सफाई पहले कर ली, अब रिलेवेंट बातें शुरू कीजिये।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह बिल जो है इसमें एक क्लाज है "वेलिडेशन" की और वह है मेम्बरान के मुताल्लिक। उसके मुताल्लिक यह कहा गया है कि रिट्रास्पेक्टिव अफेक्ट नहीं देना चाहिये। मैं अर्ज करूं कि इसके जो आबजेक्ट्स एन्ड रीजन्स हैं उनमें अगर कोई अच्छी तरह से पढ़कर समझे तो समझ सकता है कि यहां इस स्टेट में मेम्बर्स को जो एलाउन्सेज और तनख्वाह वगैरा दी गयी उसके लिये कोई कानून पहले से नहीं था और अब वह बनाया गया है। वह मैं पढ़ दूं उसमें यह है कि—

"Doubts having been expressed on the validity of the amendments made in the rules relating to payment of travelling allowances to members of the Legislature."

इसके अल्फाज जो हैं वह क्या बतलाते हैं ? वह यह बतलाते हैं कि मैं जो इस कानून को लाया हूं वह यह मानकर नहीं लाया कि पहले से जो कुछ यहां हो रहा था वह गलत या खिलाफ कानून था। जो यह लिखा है उसके माने यह नहीं हैं, उसके माने यह हैं कि किसी तरह से उसके मुताल्लिक कुछ शुब्ह जाहिर किया गया। कानूनी प्वाइन्ट्स ऐसे होते हैं कि उन पर लोगों की दो या तीन राय हो सकती हैं, मेरी राय कुछ हो किसी दूसरे की कुछ और हो, तो ऐसे में मजीद अहतियात का तकाजा यह होता है कि अगर किसी कानून के मुताल्लिक कोई २ राय जाहिर हो रही हैं तो उसके मुताल्लिक ऐसी जमाअत जो उनको दूर करने के काबिल हो और जो उन डाउट्स को खो देना चाहे, वह दूर कर दे। इसलिये इसमें शामिल कर दिया वरना तो जिस तरीके से मैंने सुना उसके माने तो यह लोगों ने समझा मेम्बर साहबान के मुताल्लिक तो मैं नहीं कहता लेकिन जिन साहबान से मैंने सुना उन्होंने कम से कम यह समझा कि उस वक्त से लेकर आज तक बिलकुल खिलाफ कानून कार्यवाही होती रही और अब कानून बनाया जा रहा है। तो यह बात नहीं है बिलकुल वह कानूनी थी और जिस तरह से कानूनी मुशीरों की राय थी उसी तरह से वह होती रही। अब कितनी रूलिंग्ज इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुप्रीम कोर्ट में बदल जाती हैं और खुद सुप्रीम कोर्ट की पहली रूलिंग के बजाय दूसरी रूलिंग हो जाती है। तो यह सब बातें कानून के अन्दर होती रहती हैं तो फिर यहां की या किसी भी गवर्नमेंट से यह तवक्को की जाय कि वह अपने कामों के अन्दर डाउट्स को दूर करने के लिये कोई कार्यवाही न करे तो कोई भी अपनी जगह उसको माकूल बात नहीं समझेगा। बात कही गयी है कि उसको रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट क्यों दिया जा रहा है। तो उन डाउट्स को हटाया जा रहा है और कुछ खास बात नहीं है।

एक बात यह भी कही गयी है कि जो चीजें इस कानून में रखी गयी हैं वह एलेक्शंस के पहले क्यों लाई गयीं। एलेक्शंस आने वाले हैं इसके पहले यह कानून न लाया गया होगा और अब भी आगाही की गयी है कि बेहतर यह है कि इसमें से जो बातें जरूरी हैं उनको रखकर बाकी कानून को वापस ले लिया जाय। यह बात ऐसी है कि जिसके ऊपर मैं अपनी राय नहीं देना चाहता लेकिन यह कोई दलील इस बात की नहीं हो सकती कि अगर किसी का कांशेंस प्रिक करता हो कि वह गलत किस्म की बात कर रहा है लेकिन यहां ऐसी बात नहीं है कि एलेक्शन होने वाला है तो दुनिया क्या कहेगी,

लेकिन जब गवर्नमेंट को यकीन है कि यह बात जिस तरीके से रखी गयी है वह ठीक है और फिर एक अजीब बात मुझे मालूम हुयी कि ऐसे मेम्बर साहबान भी यहां हैं जो यह महसूस करते हैं कि यह तो एक अनहोनी सी बात इस हाउस के अन्दर आगयी है जिसको किसी तरीके से नहीं आना चाहिये था और ठीक नहीं थी। मैं उस ऐटीट्यूट को बिलकुल नहीं समझा इसलिये कि कौन सा ऐसा मुल्क है जहां पर मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी और मेम्बर्स कुछ भी न होते हों और बाहर के मुल्कों को छोड़ दें अपने हिन्दुस्तान के अन्दर ही कौन स्टेट है जहां पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी न हो, जहां डिप्टी मिनिस्टर न हो, जहां मिनिस्टर न हों और जहां मेम्बर्स न हों। तो उनकी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिये जिन कामों को करने की जरूरत हो उनको कैसे ऐवायड किया जा सकता है और कैसे उनको न लाया जाय ? उसको लाना होगा। मैं अपनी यह फीलिंग जाहिर करूं कि चूंकि मेरा भी बहैसियत मिनिस्टर नहीं है मैं भी एक मेम्बर हूं और मेम्बर होने की हैसियत से मैं अपनी जगह पर शरमाऊं, मेरे दोस्त अली जहीर साहब अपनी जगह पर शरमायं और लीडर आफ अपोजीशन अपनी जगह पर शरमायें इसलिये कि हमारा भी उसमें किस्सा है और हमारे ऊपर भी वह बात लगती है जो बात इसके अन्दर मेम्बरों के लिये लिखी हुयी है तो उसमें क्या तो शरमाने की बात है और क्या उसमें बुरी बात है ? कोई चीज मैंने यह नहीं सुनी किसी की तकरीर में कि फलां बात जो इसमें की जा रही है वह बुरी है। कोई पर्टिक्युलर बात कहते कि इस ऐक्ट में फलां चीज प्रोवाइड की जा रही है वह बुरी है, उसको न होना चाहिये लेकिन ऐसी मैंने तकरीरें नहीं सुनीं। और-और बातें तो मैंने सुनीं। हां इस किस्म की फीलिंग शर्मीले आदमियों को होना मुमकिन है जो उनके जाति के मुताल्लिक हुआ करती हैं लेकिन मेम्बर गरीब अगर शर्मीला रहा तो उसकी कांस्टीट्यएंसी भी गायब। और क्या हो मैं जानता नहीं लेकिन मेम्बर को इतना शर्मीला नहीं होना चाहिये। लीडर आफ अपोजीशन भी कह रहे थे कि नहीं आता तो अच्छा होता।

माफ कीजियेगा। एक बात और थी वह कह दूं मैं भूल गया था। टेस्ट जो है किसी चीज की संगत और असंगत का वह क्या है ? यह कहा गया कि अब यह हो रहा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के पास नौकरियां नहीं भेजी जातीं बल्कि और-और तरह से लोग रक्खे जाते हैं। होगी कुछ यह बात लेकिन जिस तरह से कही गयी वह सही नहीं है। लेकिन अगर सही भी हो तो यह गवर्नर साहब के एड्रेस की बहस नहीं थी, बजट का जनरल डिसकशन नहीं था, किसी सप्लीमेंटरी एस्टिमेट्स की सीरीज का जनरल डिसकशन नहीं था जो बीच में पब्लिक सर्विस कमीशन, गरीब, आ गया। फिर पब्लिक सर्विस कमीशन की दो रिपोर्ट्स तो शायद हाउस के सामने हाल में आ भी चुकी हैं। एक तो आ चकी है और दूसरी गालिबन रक्खी जा चुकी है। तो पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट के अन्दर तो वे शिकायतें हैं नहीं जो शिकायतें कि उन्होंने यहां पेश कीं। उसमें उन्होंने कब लिखा है जिस तरह से यहां कहा गया, जो लिमिट मुकर्रर है रूल्स के अन्दर, जो रूल्स कि ऐक्ट के मातहत बने हुये हैं उसमें हर केस पब्लिक सर्विस कमीशन के पास जाता है। लेकिन कितनी पोस्ट्स ऐसी निकलती हैं, न जाने कितनी जरूरतें हो रही हैं, न जाने कितने आदमियों को रखना होता है लेकिन हर आदमी की वह पोस्ट जिसके लिये वह एप्लाई कर रहा है पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्व्यु की नहीं होती। हजार, हजार, १२००, १२०० आदमी आते हैं। सिलेक्शन कमेटी बना दी है। मिनिस्टर कोई मुकर्रर नहीं करता। किसी मिनिस्टर ने आज तक किसी को मुकर्रर नहीं किया। कछ शब्द मैंने सुने। लेकिन शायद वे जानते नहीं और न उनका पर्सनल तजुर्बा ही है। किसी ने कह दिया कि मिनिस्टर साहब ने कहा था कि फलां साहब को नौकर रख लो। मेरी जान में तो वह गुनाह भी नहीं है, न फेवरटिज्म है। मौका हो सकता है। मैं मिनिस्टर हूं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का और कोई शख्स है जिसकी खास क्वालिफिकेशंस हैं और दुनिया जानती है कि ऐसे क्वालिफिकेशंस का वह आदमी है और हर आदमी उसकी काबलियत को समझता है। मैं अगर कह दूं कि इसे नौकर रख लो तो वैसे

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

वह गुनाह तो नहीं है हालांकि कहने का तजर्बा और इल्म मुझे नहीं है। जो मैंने यहां सुना उसमें कोई मिनिस्टर इंवाल्व नहीं है। कमेटी बनती है, मेम्बर्स होते हैं। जो मेरा इल्म है कमेटी में कुछ आफिसर्स भी होते हैं जो सिलेक्शन करते हैं। उस सिलेक्शन के जरिये से लोग लिये जाते हैं। लेकिन वह पोस्ट वह हैं जो उस लेविल से नीचे हैं जो लेवेल पब्लिक सर्विस कमीशन का है। बाकी पब्लिक सर्विस कमीशन के पास बराबर जाती हैं। और उनके यहां से नोटीफिकेशन निकलता है, और आदमी बुलाये जाते हैं। तो अब यह बातें तो खैर मैं ज्यादा किसी के मुताल्लिक कुछ कहता नहीं हूं। और यह चाहता हूं कि मेम्बर साहबान इस बिल को उस के असली मानी में देखें और उसके असली मतलब को समझें और इस निगाह से उसको देखें कि क्या उसके बनाये बगैर वह काम चल सकते हैं। उसके बनाये बगैर एक बात तो हो सकती है। इसमें डाउट्स रेज करने का जो क्लाज रख दिया गया अगर वह निकाल दिया जाय तो वह डाउट अपनी जगह पर रह जायगा और चीजें जो हैं उनमें किसी ने प्वाइंट आउट नहीं किया है इसमें इस बात को निकाल दिया जाय बिलकुल। यह मुझे मालूम है कि इसके फेवर में बहुत सी ओपीनियन है।

एक और दिक्कत हिन्दुस्तान में हुजूर यह है, हमारे यहां ही नहीं, बल्कि आम शिकायत है कि जो सोबर और सच्ची मैजारिटी ओपीनियम होती है वह तो खामोश बैठी रहती है और माइनारिटी ओपीनियन अपने आप को जाहिर करती है, उसका मामला चलता है। पब्लिक के अन्दर हाउस के अन्दर और और जगह भी। तो वह बातें हाउस के जरिये से निकल कर के वहां पहुंचती हैं। मेरे नजदीक पहुंचनी नहीं चाहियें। मैं आपके जरिये अदब से मेम्बरान साहबान से अर्ज करता हूं कि खैर जो कुछ इसकी बाबत अब तक कर लिया वह कर लिया लेकिन अब इस बात को छोड़ा जाय और जो असली मैरिट्स हैं उनके हिसाब से उसको देख कर जहां कहीं किसी तरह की कमी वेशी और तब्दीली किसी को महसूस होती हो वह उसको मिनिस्टर साहब बैठे हैं उनको बतलावें ताकि उसकी रोशनी में देखकर इसका फैसला कर लें कि इस बिल को ऐसे ही पास हो जाना चाहिये या इसमें किसी किस्म की तब्दीली होनी चाहिये मैं तो इरादा नहीं रखता था बोलने का इसलिये कि आप यहां मौजूद थे। मगर मुझे यह खयाल हुआ कि यह कल नहीं थे इसलिये मैंने आप का वक्त इतना ले लिया। उसके लिये मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---(श्री अध्यक्ष के खड़े होने पर) अध्यक्ष महोदय, अभी इस पर बहस कम हुयी है।

श्री अध्यक्ष---१३ सदस्य भाषण कर चुके हैं। तो मैं यह समझता हूं कि जब वह प्रस्ताव आ गया तो वह अनुचित नहीं आया है। कोई अन्याय नहीं हो रहा है।

प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

***न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)**---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जनाब मिनिस्टर हाफिज मुहम्मद इब्राहीम साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरे बोझ को बड़ी हदतक हल्का कर दिया है। इत्तफाक से जिस दिन, से दूसरा दिन था इस बिल के ऊपर बहस होने के लिये उस दिन मैं मौजूद नहीं था। इसलिये जाहिर है कि मेरे लिए जवाब देना मुश्किल होता।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बहुत सी बातें कह दी गयी हैं। मुझे सिर्फ यह अर्ज करना है कि हाउस के सामने यह बिल जो हम पेश कर रहे हैं इसको महज इस नुक्ते निगाह से देखना है कि आया दुनियां की जो इस वक्त हालत है या उन मुल्कों की हालत है जहां जमहूरियत और जनतंत्र रायज हैं उन दूसरे मुल्कों के अलावा जहां पर इसी किस्म की पार्लियामेंट्स हैं उनमें मंत्री हैं उपमंत्री वगैरह हैं। वहां पर इन मामलात में क्या होता है। यह सही है कि अगर हमारे लिये यह मुमकिन होता तो हम या लाखों करोड़ों रुपया, इतनी बड़ी इमारतें बनाने में न सर्फ करते। अगर मुमकिन होता तो हम जो कुछ इतना बड़ा डिपार्टमेंट चला रहे हैं लेजिस्लेटिव असेम्बली का वह भी न होता और इतना बड़ा यहां का हाउस न होता, यह सब मुमकिन था। लेकिन सवाल यह होता है कि आजकल जिस तरह से डेमोक्रेसी चलती है, जिस तरह से पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के जो बेसिक उसूल हैं, उस उसूल को सामने रख कर इन सब अखराजात का करना लाजिमी और जरूरी होता है। उसमें सभी होते हैं, मेम्बर भी होते हैं, मंत्री भी होते हैं और उन सब के लिये कुछ न कुछ जरूरी सहूलियतें, कुछ जरूरी आसानियां पहुंचानी पड़ती हैं ताकि वे अपने फरायज को अच्छी तरह अन्जाम दें। पुराने जमाने में बादशाह होता था उसका बहुत बड़ा दरबार होता था, खानदान होता था और जो कुछ आमदनी होती थी उसमें सबसे पहले खर्च वही होता था कि जो वह बादशाह अपने ऊपर करना चाहता थ[illegible] सब को हमने खत्म किया। मगर यह तो नहीं है कि शासन को चलाने में, किसी इंस्टीट्यूशन के चलाने में जो जरूरी और लाजिमी अखराजात हों वह भी उस पर न किये जायं। हां यह ऐतराज अगर हो, यह बताया जाता कि साहब और सूबों में या और दूसरे मुल्कों में इसी पद के ऊपर जो लोग हैं उनको जो सहूलियतें मुहैया नहीं हैं वह आपने अपने यहां इस बिल के द्वारा बहुत ज्यादा बढ़ाये हैं, आप कोई ऐसा नाजायज फायदा मेम्बरों को पहुंचाना चाहते हैं कि जो उनको नहीं पहुंचाना चाहिये जिसके वे मुस्तहक नहीं हैं, तो मैं उन एतराजात को समझता। लेकिन मेरे खयाल में इस तरह के उसूल पर बहसें महज इस वजह से कि गवर्नमेंट मेजारिटी द्वारा चुनी हुयी गवर्नमेंट है, अक्सरियत की चुनी हुयी है, उसने एक बिल पेश किया है और बहुत से मेम्बरान इसको यह समझते हैं कि जब बिल पास हो जायगा तो उसका जो फायदा है वह उनको भी पहुंचेगा लेकिन उसकी मुखालिफत करना इसलिये जरूरी है कि हम जनता में जाकर यह कह सकें कि हमने मुखालिफत की थी लेकिन गवर्नमेंट ने जबरदस्ती अपनी पार्टी के जोर से, बहुमत के जोर से इसको पास कर लिया, जाहिर है यह बहस बहुत देर चलने वाली नहीं है। हमारी जनता जो और मुल्कों की बनिस्बत कम पढ़ी लिखी हो, उनमें उतनी ज्यादा समझ न हो, लेकिन इतनी बात वे समझते हैं अगर हूकूमत चल रही है, हमारे सूबे का इंतजाम उनकी भलाई के लिये, मुल्क के फायदे के लिये किया जा रहा है, उसके मुकाबिले में जो इस किस्म के अखराजात हैं वे जहां तक होते हैं वे जरूरी हद के अन्दर ही रखे जाते हैं और कहीं इस तरह की फजूल खर्ची या इस तरह इस्तेमाल रुपये का नहीं किया जाता कि जिसके ऊपर कोई नुक्ताचीनी कर सके। अगर इस नुक्तेनिगाह से देखेंगे तो मेरा खयाल है कि आप मुझसे इत्तिफाक करेंगे कि इस बिल में कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके ऊपर एतराज किया जाय या कहा जाय कि कोई चीज बेजा इसमें रख दी गयी है या नामुनासिब चीज कोई की जा रही है। कुछ तरमीमें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो बाद में बातचीत करके जरूरी समझी गईं वह तरमीमें इसमें आवेंगी और उस वक्त पर बहस होगी और जवाब दिया जायगा। लिहाजा जहां तक पूरे बिल का सवाल है उसमें कोई ऐसी बात नहीं जिसकी वजह से हम यह कहें कि इलेक्शन के पहले इसको नहीं करना चाहिये। मेरे खयाल में यह एक गलत नुक्तेनिगाह है और सही उसूल नहीं है। यही बातें मुझे अर्ज करनी थीं और बाकी जहां तक अलग-अलग तकरीरों के जवाबात थे वे जवाबात हाफिज साहब ने आपके सामने दे दिये हैं और मैं अब ज्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाहता।

श्री अध्यक्ष—मैं पहले श्री जगन्नाथ मल्ल का संशोधन उपस्थित करता हूं क्योंकि वह जनता से राय प्राप्त करने के सम्बन्ध में है।

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उप-मंत्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्ते और प्रकीर्ण उपबन्धों) का विधेयक, १९५५ को जनता की राय प्राप्त करने के हेतु घुमाया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—दूसरा संशोधन है जयपालसिंह जी का जो कि सीताराम शुक्ल जी के संशोधन में संशोधन है। सीताराम शुक्ल जी का संशोधन यह है—"उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उप-मंत्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का विधेयक, १९५५ को एक संयुक्त प्रवर समिति को भेज दिया जाय।"

इसमें श्री जयपालसिंह का जो संशोधन है वह मैं रखता हूं। प्रश्न यह है कि "श्री सीता राम शुक्ल के संशोधन की पंक्ति ३ के शब्द "एक" और शब्द "प्रवर समिति" के बीच का शब्द "संयुक्त" निकाल दिया जाय"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—अब मैं श्री सीताराम ा संशोधन लेता हूं।

(श्री सीता राम शुक्ल के खड़े होने पर) क्या आप वापस लेना चाहते हैं?

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—मैं अपने विचार व्यक्त कर चुका हूं। हाउस की राय है कि मैं वापस कर लूं, तो मैं वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—अब मैं मुख्य प्रस्ताव उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारियों और सदस्यों, मंत्रियों, उप-मंत्रियों और सभा सचिवों (के वेतन तथा भत्तों और प्रकीर्ण उपबन्धों) का विधेयक, १९५५ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में—८७
विपक्ष में—१२)।

खण्ड २

परिभाषायें

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में "विधान मंडल के अधिकारी" का तात्पर्य अध्यक्ष (Speaker) सभापति (Chairman) उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) और उप-सभापति (Deputy Chairman) से है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३

सभासचिवों के वेतन तथा भत्ते।

३—(१) प्रत्येक सभासचिव (Parliamentary Secretary) को ६०० रु० मासिक वेतन दिया जायगा।

(२) प्रत्येक सभा सचिव अपने कार्यकाल की पूरी अवधि में, ऐसे परिमाण में, जिसकी व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों में की जायगी, सज्जित (furnished) लखनऊ में बिना किराया दिये एक निवास स्थान के उपयोग का अधिकारी होगा और ऐसे समय तक, जिसमें पूर्वोक्त निवास स्थान की व्यवस्था न की जाय एक सौ रुपये मासिक प्रतिकर भत्ता (compensatory allowance) पाने का अधिकारी होगा ।

श्री रामेश्वरलाल—माननवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (१) की पंक्ति २ में अंक "६००" के स्थान पर अंक "४००" रख दिया जाय ।

श्रीमन्, इस संशोधन को उपस्थित करने का कारण सिर्फ यह है कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरियों की तनख्वाहें जो बढ़ोत्तरी करने के लिये ६०० रुपया रखी गयी हैं वह कम कर दी जायं, पहला कारण तो इसका यह है कि यदि आप इस विधेयक को गौर से देखेंगे तो इसमें जिस प्रकार से रखा गया है कि उसमें हर एक पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी को एक मकान मिलेगा और वह मकान जब तक नहीं मिलेगा उसे एक सौ रुपया मासिक प्रतिकर भत्ता मिलेगा और एक बड़ी अजीब सी बात तो यह है कि यह प्रतिकर भत्ता, मेरा अनुमान है कि मकान मिल जाने के बाद भी माननीय पार्लियामेंटरी सेक्रटरियों को प्राप्त होता रहेगा। आप खण्ड ३ के उपखंड २ की भाषा को देखें। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि "प्रत्येक सभा सचिव अपने कार्यकाल की पूरी अवधि में, ऐसे परिमाण में, जिसकी व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों में की जायगी, सज्जित लखनऊ में बिना किराया दिये एक निवास स्थान के उपयोग का अधिकारी होगा" । इसके बाद आप गौर से देखें श्रीमन्, ऐसे समय तक, जिसमें पूर्वोक्त निवास स्थान की व्यवस्था न की जाय एक सौ रुपये मासिक प्रतिकर भत्ता पाने का अधिकारी होगा" । तो फिर यह साफ नहीं किया गया है कि वह निवास स्थान किस प्रकार से सुसज्जित किया जायगा । यदि इसकी व्याख्या नहीं, यह साफ नहीं है तो मेरा यह अनुमान लगाना ठीक है कि कोई भी गृह जो उनके निवास के हेतु दिया जायगा कि वह पूर्णरूपेण सुसज्जित नहीं होगा और इस प्रकार वह एक सौ रुपया प्रतिकर दिया जाता रहेगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सभासचिव को एक सौ रुपया मासिक प्रवहन भत्ता दिया जायगा । उसके बाद सार्वजनिक कार्यों में जाने के लिये, यात्राओं के लिये प्रत्येक यात्रा के लिये उन्हें आवागमन का खर्च मिलेगा, चाहे वह रेल से जायं, या मोटर से या वायुयान से जायं । उसके बाद दैनिक भत्ता मैदानी इलाकों में १० रुपया और पहाड़ी इलाकों में १५ रुपया और उसके साथ परिवार के लोगों को मुफ्त सरकारी अस्पतालों में निवास और दवा की व्यवस्था, उपचार की व्यवस्था होगी । तो मैं यह समझता हूं कि ६०० रुपये की जगह पर ४०० रुपया रखा जाय तो कम से कम १५०० रुपया सभा सचिव को प्राप्त होंगे। श्रीमन्, मैं यह समझता हूं कि आज के युग में, नियोजन और प्लानिंग के युग में हमें त्याग करना चाहिये और अपना खर्चा कम से कम करके दूसरों से कम करने को कहना चाहिये इसलिये ६०० रुपये की जगह पर ४०० रुपया हो जाना चाहिये । इसी हेतु मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है । मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह इस संशोधन को अवश्य बल देंगे और सर्वसम्मति से मत देकर सरकार को मजबूर करेंगे कि वह इस संशोधन को स्वीकार करे।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन भी इसी तरह का है केवल कुछ रकम का हेर फेर है, इसलिये मैं अपने साथी रामेश्वरलाल के संशोधन का समर्थन करता हूं । अध्यक्ष महोदय एक कहावत देहाती याद आती है :—

गोसयां भूंई कूकर पोरौटी

जिन लोगों का इन्तजाम करने के लिये हम लोग यहां बैठे हैं उनकी क्या हालत है उधर न तो सरकार का, न हम लोगों में से किसी का ध्यान है । श्रीमन्, कुछ खराब आदमियों में जो भी

[श्री उमाशंकर]

अच्छाई हो मैं समझता हूं उसकी भी मिसाल लेनी चाहिये। जर्मनी के पयोरर को हम सब लोग कहते हैं कि यूरोप का रावण था। मगर उसकी जिन्दगी ऐसी थी कि उसने एलान किया कि जर्मनी की जनता जिस तरह से रह रही है, जो खाना उसको मिल रहा है हमको वही खाने का इन्तजाम होना चाहिये। वह एकतंत्र राज्य था यह जनतंत्र राज्य है। हमको जनता के रहन-सहन को देखते हुये उसमें ज्यादा घुलमिल जाने के लिये उसी तरह का रहन-सहन बनाना चाहिये सो हमारी हालत यह है कि हम यह नहीं देखते हैं कि जिनके टैक्सों से यह पैसा आता है उनकी कितनी गिरी अवस्था है और उनके पैसे को हम किस तरह से खर्च करें। हम कागजों में बेशर्मी के साथ लिखते हैं कि सुसज्जित मकान हमको मिलना चाहिये। उनके लिये झोपड़ी भी नहीं जिनका इन्तजाम करने के लिये हम यहां बैठे हैं। हमारा यह संविधान, जिसका मैं समझता हूं, एक-एक वाक्य इस विधान सभा के लिये वेद वाक्य होना चाहिये, इसमें कहीं भी यह नहीं लिखा है कि उपमंत्रियों और सभासचिवों के वेतन के लिये हम कोई अधिनियम बनायेंगे। मैं आपकी आज्ञा से बताना चाहता हूं कि संविधान के अनुसार राज्य के मंत्रियों में वे लोग आते हैं जो चार किस्म की योग्यता रखते हों। एक तो वे जो इस सभा के प्रति उत्तरदायी होने की शपथ लेते हों और दूसरी गोपनीयता की शपथ लेते हों और तीसरी विधान मंडल के मेम्बर हों और चौथे राज्यपाल ने मुख्य मंत्री की मंत्रणा से नियुक्त किया हो। जिनके लिये यह हम लोगों का संशोधन है उन्होंने मेरे खयाल में इस सभा के प्रति मंत्री की हैसियत से कोई प्रतिज्ञा नहीं की है। यह मैं नहीं जानता हूं कि और तीनों योग्यतायें उनमें हैं या नहीं। मैं माननीय न्याय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि हाफिज जी ने एक दिन मेरे प्वाइन्ट आफ आर्डर का जवाब देते हुये बताया कि इस सभा को असीम अधिकार है, जो चाहे सो अधिनियम बनाये। जब मैंने संविधान उलट कर देखा तो मुझको तो मालूम हुआ कि इसके महदूद अख्तियार हैं।

श्री अध्यक्ष--अब हम उठते हैं और सवा २ बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजकर १६ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २४ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

श्री उमाशंकर--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संविधान की कुछ धाराओं के बारे में बात हो रही थी। माननीय हाफिज जी ने बतलाया कि इस विधान सभा को वसीअ अधिकार मिले हुये हैं। माना, ठीक है, वसीअ अधिकार मिले हुये हैं। लेकिन फिर भी वह लिखे हुये अधिकार हैं। संविधान की सप्तम सूची राज्य सूची है यह सब इस तरह के विधेयक जो आज प्रस्तुत हैं, राज्य सूची के अनुसार बनाये जा सकते हैं। इसमें विधान सभा के सदस्य उपसमिति तथा विधान परिषद् हो तो उसके सभापति, उपसभापति इत्यादि के लिये, राज्य के मंत्रियों के लिये, पब्लिक सर्विस कमीशन इत्यादि के लिये यह विधान सभा अधिनियम बना सकती है। लेकिन जब पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी और उपमंत्री महोदय मंत्रियों की कतार में आते ही नहीं हैं तो मेरी समझ में नहीं आता है कि हम कैसे अधिनियम बनायेंगे। पिछला जो अधिनियम है उसमें भी पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी का नाम नहीं है। यह जो चार शर्तें बतलायीं उनमें से दो शर्तें तो पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी तथा उपमंत्री महोदय निश्चय ही पूरा नहीं करते हैं। एक तो यह कि गवर्नर महोदय नियुक्त करें मुख्य मंत्री की मंत्रणा से, और दूसरी मंत्री के रूप में जो प्रतिज्ञा की जाती है, वह।

अब दूसरी बात यह है कि हम लोग जिस जनता के प्रतिनिधि हैं, उसकी जिन्दगी किस तरह से चल रही है, यह देखने की बात है। यहां से जैसे ही हम छूटते हैं उनमें जाकर खड़े होते हैं, कल जब हम पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी नहीं थे उपमंत्री नहीं थे और मंत्री नहीं थे। तब हम कैसे आदमी थे। हम सब लोग देश भक्त हैं, हम लोगों को विचार करना चाहिये और हमें उसी रूप में रहना चाहिये जिस रूप में कि पहले थे। यह मैं नहीं कहता कि आप फटेहाल हो जायं और

यह भी नहीं कहता कि आप आसमान में उड़ने लगें। इसी माने में मैंने वह कहावत कही थी। आज हमारी हालत यह होती जा रही है कि जनता की रहन-सहन तो गिरती चली जा रही है और हम लोगों की रहन-सहन उठती चली जा रही है, आज हम लोग बिल पेश करें कि हमारा वेतन कम है, बढ़ा दिया जाय, यह हमारे लिये बड़े शर्म की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे मुख्य मंत्री सौभाग्य से डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी हैं, उनको हम बहुत दिनों से अपना नेता मानते चले आ रहे हैं और हम लोग तो उनसे यह उम्मीद किये हुये थे कि अगर हम लोग कहीं गल्ती करने लगें तो वह मुख्य मंत्री की हैसियत से नहीं बल्कि हमारे वयोवृद्धि नेता की हैसियत से अपने बच्चे की तरह डांट कर मना करेंगे क्योंकि हम उनके शिष्य रहे हैं, इसलिये वह हमारे कान पकड़ कर बतला सकते हैं कि यह तुम गल्ती करने जा रहे हो, मत करो। मगर आज उल्टा हो रहा है। आज उनकी छत्रछाया में यह बिल आ रहा है कि थोड़ा और रुपया जनता के खजाने का हम लोगों को मिल जाय। यह बड़ी शर्म की बात है। श्री परिपूर्णानन्द जी उस दिन बोले और उन्होंने कहा कि फ्रांस में बहुत ज्यादा मंत्रियों पर खर्चा किया जाता है। उन्होंने न जाने कितने योरोपीय मुल्कों का हवाला दिया। ४० करोड़ की आबादी वाले चीन के शासक माओ का उदाहरण उन्होंने क्यों नहीं लिया। वह भी तो आखिर शासक हैं। जहां से वह देखते हैं कि हम को मदद मिलने वाली है वहीं का उदाहरण पेश करते हैं आप सब देशभक्त हैं और इस विधान सभा के मेम्बर हैं हम लोग साथी भी हैं। इसलिये मैं चाहूंगा और आपसे कहूंगा कि यह विधेयक पास न किया जाय और अगर ऐसा किया गया तो हम लोग कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं रह जायेंगे। संविधान में जो लिखा हुआ है उसके शब्दों को जरा आप सुनिये। संविधान हम से यह उम्मीद रखता है कि अगर वह समय आ जाय कि जब हमको एक पैसा भी न मिले तब भी हम काम करेंगे। स्वतंत्रता संग्राम में हमने अपना घर तबाह करके भाग लिया था अपने देश की सेवा की। आज भी संविधान हमसे वही उम्मीद रखता है। हम को उससे उल्टे नहीं चलना चाहिये। इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस बिल को वापस कर दीजिये और जो आज आप को मिल रहा है उसी पर संतोष कीजिये।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रामेश्वरलाल जी ने जो संशोधन रखा है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, माननीय उमाशंकर जी ने जो एक कहावत कही थी कि "मालिक भुइयां कुकुर पुअरौटी" वह यहां बिल्कुल चरितार्थ होती है। हम उनके चुने हुये नुमाइन्दे हैं और उनके सेवक हैं जो देहात कि आज फटेहाल है। हम जिस वक्त सरकार में नहीं थे, उस वक्त जिस वक्त कि यहां ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस वक्त हम जेलों में जाते थे, अनेक प्रकार की यातनायें सहते थे, जेलों की सूखी रोटियां और साग खाते थे और अनेक तकलीफें बरदाश्त करते थे इसलिये कि उन फटेहालों की तकलीफ दूर करें। श्रीमन्, स्वतंत्र होने के बाद शासन की बागडोर हम लोगों ने अपने हाथ में ली लेकिन देश के लोग आज उसी तरह से फटेहाल दिखायी दे रहे हैं। आज जाड़े का दिन है लेकिन देहातों में जाने के बाद दिखायी देता है कि लोग आग के पास बैठ कर सारी रात व्यतीत कर देते हैं इसलिये कि उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि जिससे वह अपना और अपने बाल बच्चों का कपड़ा पूरा सिलवा सकें, उनको अच्छी तरह से आराम दे सकें। आज माघ के महीने में उनको एक वक्त खाने को नहीं मिलता। उनके १०० में ७५ फीसदी घरों में दिन के वक्त चूल्हा नहीं जलता। कोदो भी उनको खाने को नहीं मिलता है। आज वह परेशान हैं। आज उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है जो कि हमारे मालिक हैं जिनको हम कहते हैं कि तुम मालिक हो और हम तुम्हारे सेवक हैं और तुम्हारी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये और तुम्हारी भलाई के लिये हमने इस शासन को लिया है। जब तक हम उनकी हालत को सुधार नहीं लेंगे तब तक हमको चैन नहीं लेना चाहिये। लेकिन जब हमको आज यह अधिकार मिले हैं उनकी फटेहाली को

[श्री रामसुभग वर्मा]

दूर नहीं करते, उनकी गरीबी को दूर नहीं करते । आज उनको देहातों में ४ आना मजदूरी भी नहीं मिलती है । जिन लोगों को ४ आना के हिसाब से मजदूरी मिलती है उनको ७।। रुपया महीने में मिलता है । हमको इतना पाने पर भी आज सन्तोष नहीं है । इस बिल को ले आये हैं कि हमारा वेतन बढ़ना चाहिये । रहने के लिये सुसज्जित मकान मिलना चाहिये और हम कहीं भी रहें लेकिन हमको दैनिक भत्ता भी मिलना चाहिये । यह सुविधायें हम लेना चाहते हैं । उन लोगों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है जो चार आना के हिसाब से मजदूरी पाते हैं और वह भी उनको रोजमर्रा नहीं मिलती है ! तो ऐसी हालत में यह संशोधन जो माननीय रामेश्वरलाल जी ने पेश किया है कि ४०० ही मिलना चाहिये ठीक है । हमारे बहुत से सदस्य ऐसे हैं जो इस बात को जानते हैं कि वहां जेलखाने में रह कर, सूखी रोटी खाकर दिन व्यतीत करते थे । कुछ ही लोग ऐसे हमारे में से होंगे जिनको 'बी' क्लास मिला होगा वरना सब 'सी' क्लास में रहे हैं । लेकिन जो वहां पर रोटी मिलती थी उसको वह आज भूल गये हैं । आज हमको इतने साधन मिल गये हैं कि ज्यों-ज्यों हम सुविधायें पाने के लिये तैयार होते हैं त्यों-त्यों हमारा असन्तोष बढ़ता जाता है । हमारा कर्त्तव्य है कि हम पहले जनता की दशा का सुधार करें तब हमारी हालत खुद ही सुधर जायेगी । इस कारण रामेश्वरलाल जी ने जो संशोधन रखा है कि ६०० रु० के बजाय ४०० रुपये कर दिये जायं यह बिल्कुल उचित है । हम तो यह कहेंगे कि उन लोगों को ४०० रु० पर ही सन्तोष करना चाहिये । इसके बाद उनको मकान है और आने-जाने का भत्ता है वह सब मिला कर ६०० रु० हो जाता है । इस कारण उनको ४०० रुपये मंजूर करने चाहिये । माननीय मंत्री जी को इस संशोधन को स्वीकार करना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं ।

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)--इसके बाद जो संशोधन हैं उनको भी इसके साथ ले लिया जाय तो सहूलियत रहेगी । मेरा यह सुझाव है ।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि सहूलियत जरूर होगी । नम्बर,२,३, ४, ५ पर जिन लोगों के संशोधन हैं यदि वह माननीय सदस्य भी इसी सिलसिले में बोल लें तो ठीक होगा ।

***श्री सुरेशप्रकाश सिंह** (जिला सीतापुर)--मैं माननीय रामेश्वरलाल जी के संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मेरा विरोध केवल इस कारण नहीं है कि मैं समझता हूं कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब को ६०० रुपये मिलना चाहिये, मगर मेरा विरोध इसलिये भी है कि जो कहकर यह संशोधन रखा गया है और जो कारण दिये गये हैं और जिसके लिये उन्होंने यह संशोधन रखा है वह बिलकुल गलत है । वे यह कहते हैं कि सरकार के इस बिल में १०० रु० महीना पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज को भत्ता मिलेगा, जब तक सरकार उनको सुसज्जित मकान नहीं दे देती है । वे सरकार में इतनी बेईमानी देखते हैं कि मालूम होता है कि सारी ईमानदारी का ठेका उन्होंने ही ले लिया है, इसी पार्टी ने ले लिया है । फरमाते हैं कि यहां से यह बिल पास करा लिया जायगा और सुसज्जित बंगला देने के बाद भी पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज को १०० रुपया मिलता रहेगा । क्योंकि अगर ड्राइंग रूम में एक मेज न होगी, या बाथरूम में एक कमोड न होगा तो यह मान लिया जायगा कि वह सुसज्जित बंगला नहीं है, और इस प्रकार से उनको १०० रुपया माहवार मिलता रहेगा । मालूम नहीं सुसज्जित के वे क्या माने समझे बैठे हैं ? क्या वे समझते हैं कि वह बंगला सुसज्जित है जिसमें झाड़ फानूस हों, जिसमें मोटर हो, जिसमें मेज, कुर्सियां और आलमारी हो ? श्रीमन्, सुसज्जित बंगले से मतलब होता है जिसको अंग्रेजी में फरनिश्ड कहते हैं । अब मान लीजिये कि कोई साहब मुरादाबाद से यहां आते हैं, उनको एक बंगला असुसज्जित दे दिया जाय । अब वे सोचें कि क्योंकि हम असुसज्जित बंगले में जा रहे हैं इसलिये चारपाई यहां से ले चलें या उस बंगले में जा कर लेनी होगी यह कहां तक ठीक होगा ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दूसरे मित्र फरमाते हैं कि ६०० रुपया इसलिये न दिया जाय क्योंकि वह अनकास्टीट्यूशनल है और वह इसलिये कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी का नाम कांस्टीट्यूशन में नहीं है। लेकिन अगर यह अनकांस्टीट्यूशनल है तो इसको फाड़ कर फेंक दिया जाय। ६०० रु० देना अगर अनकांस्टीट्यूशनल है तो यह ४०० रु० देना भी अनकांस्टीट्यूशनल है। अगर वह अनकांस्टीट्यूशनल है तो इस बिल को फाड़ कर फेंक देना चाहिये। शायद प्वाइंट आफ आर्डर भी उठाया गया। एक तरफ तो यह कहना कि संविधान में पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी का कहीं नाम नहीं है, गवर्नर उसको मुकर्रि नहीं करता, लेकिन दूसरी तरफ यह कहना कि इसलिये हम उसको ६०० नहीं ४०० रुपया देंगे, बिलकुल असंगत है। यह आदत तो हमारे उन मित्रों की जो हमारी दाहिनी तरफ बैठते हैं, है ही कि न मालूम वे किस तरह की और कैसी बातें करते हैं। चुनाव में, घर में और इस भवन के बाहर वे यह दिखलाया करते हैं कि यह हुकूमत कितनी बेईमान है और यह कह कर वोटरों की आंखों में धूल झोंकते ही हैं। लेकिन वोटरों की बात तो और है, यह भवन है, यहां समझ बूझ कर बातें कहना चाहिये। कहा जाता है कि बड़ी गरीब जनता है, उसके पास रहने को झोंपड़ी नहीं है, पानी और बरसात में लोग ठिठुरते हैं, लेकिन आज हम इस भवन में बैठते हैं जो इस प्रकार से सजा हुआ है और यहां बैठ कर उस गरीब जनता के सुख-सुविधा का प्रबन्ध करते हैं और इस लिये इस पर स्टेट इतना रुपया खर्च करती है। अब अस्पताल में गरीबों की देखभाल के लिये एक डाक्टर है जिसको २,००० रुपया माहवार तनख्वाह दी जाती है। अगर आप कहें कि यह डाक्टर काबिल नहीं है इसलिये इसको २,००० रुपया न दिया जाय तब तो ठीक है, लेकिन यह कहना कि गरीब जनता है, उसके सिर पर झोंपड़ी नहीं है अतः इस अस्पताल में बीस रुपया महीना का डाक्टर होना चाहिये। यह कैसे ठीक हो सकता है? हमारे जहां जो मेम्बरान आते हैं वे स्वयं समझते होंगे कि जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे अपनी कांस्टीट्यूयेंसी में इतना अधिक रहते हैं कि वे घर का और कारोबार नहीं कर सकते। फिर हम में से एक दो को कुछ जिम्मेदारियों को निभाने के लिये अगर बारहो महीने या ११ महीने लखनऊ में ही रहना पड़े तो उसको इसके लिये अगर ६०० रुपया देते हैं तो क्या बुरा करते हैं?

हां, यह मैं मान सकता हूं कि यदि यह कहा जाय कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरियों की आवश्यकता नहीं है, यह भी मैं मान सकता हूं कि डिप्टी मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स काम कम करते हैं ज्यादा काम करें लेकिन यह कहना कि हम पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रखेंगे अवश्य ही, लेकिन तनख्वाह कम देंगे, तो जैसा माननीय परिपूर्णानन्द जी ने कहा कि टैलेंट को आप ऐट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे। और 'टैलेंट' तो बहुत व्यापक शब्द है। यह बात दूसरी है कि ६ सौ रुपये पर टैलेंटेड आदमी आते हैं या नहीं लेकिन आप तो यह कहते हैं कि उतना भी उनको न दो, जिनसे उनका काम चल सके, उनके बच्चे पढ़ सकें और काम उनसे चौबीसों घंटे लो। उदाहरण यह रखा जाता है कि हमारे मित्र भी और हमारे नेतागण भी आजादी की लड़ाई में थे और कहा यह जाता है कि हम लोग चना खाते थे और उस पर गुजर करते थे, लेकिन मैं बगैर हिचक के यह कहता हूं और यह जानता हुआ कहता हूं कि मेरे कहने को भवन के भीतर भी और बाहर भी न जाने क्या-क्या रंग दिया जायगा, लेकिन मैं बगैर हिचक के कह सकता हूं कि एजीटेटर्स में और ऐडमिनिस्ट्रेटर्स में बड़ा फर्क है। एक समय था जब आप ने एजीटेशन द्वारा स्वतंत्रता हासिल की और वह समय उसके लिये ठीक था, लेकिन वह समय आज नहीं है। अब हमें एडमिनिस्ट्रेशन करना है। वही आसमानी बातें हैं जिनका वास्तविकता से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, आपके लिये यह शोभा देता है क्योंकि सन् ५७ नजदीक आ रहा है। आपको यह गलतफहमी है कि आप यह कह कर कि जनता कितनी परेशान है, कितनी गरीब है और यह निकम्मे एम० एल० ए०, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, डिप्टी मिनिस्टर्स तथा मिनिस्टर्स आज इस गरीब जनता की ओर न देखते हुये अपनी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं।

[श्री-सुरेशप्रकाश सिंह]

मैं श्रीमन्, आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस प्रकार की बातों से और प्रोपेगेंडा से वोट नहीं मिलता है। काम करने से मिलता है, कुछ सेवायें कर के। मैं यह नहीं कहता कि कांग्रेस पार्टी के लोग ही सेवायें करते हैं। यदि आपकी सेवायें होंगी तो अवश्य वोट मिलेंगे। लेकिन यदि सेवायें नहीं हैं और ये ही असंगत बातें हैं तो सन् ५७ में उनका यह भाषण काम नहीं देगा।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, मैं इस समय विधेयक के इस क्लाज के ऊपर संशोधन पर इसलिये बोल रहा हूं ताकि सदन का समय बचे और ट्रेजरी बेंच के लोग जो और बोलने वाले हैं माननीय सुरेशप्रकाश जी को सुन कर अपने को बोलने से बचा सकें। श्रीमन्, माननीय सुरेशप्रकाश जी ने ६ सौ रुपये मासिक वेतन रखने पर बड़ा जोर दिया, और जो माननीय रामेश्वर लाल जी और माननीय उमाशंकर जी के तर्कों का खंडन किया उनकी उस तकरीर को जब मैं सुन रहा था तो मुझे ऐसा लगा मानो कोई व्यक्ति बताशा न पाने से मन्दिर ही ढहा रहा हो। एक कहावत है कि "क्या बताशे के लिये मन्दिर ढहाना चाहिये ?" किसी व्यक्ति को प्रसाद में बताशा नहीं मिला तो उसने सोचा कि अब इस मन्दिर को ही न रहने दो। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। (कुछ सदस्य—जमी नहीं।) "जमी नहीं" पर भी कहावत है कि एक ने कहा कि "सेख के मुंह में मेख" तो उसने कहा "पठान के मुंह में चैला", तो इसी तरह से जब लोगों ने कहा कि 'जमी नहीं' तो उसने कहा कि जमी नहीं, लेकिन मुंह तो फट गया। नहीं जमी तो जम कर रहेगी। ध्यान से समझिये, जमेगी और खूब जमेगी। मैं यह कहना चाहता था। कि माननीय सुरेश प्रकाश जी जरा ध्यान से सुनें। उन्होंने यह तर्क नहीं रक्खा कि ६०० रुपये मासिक वेतन रहना ही आवश्यक क्यों ?

श्री सुरेशप्रकाश सिंह—मैंने यह नहीं कहा।

श्री राजनारायण—वह यह कहते हैं कि मैंने यह नहीं कहा कि ६०० रुपये ही वेतन रहे मगर जो रामेश्वरलाल जी और उमाशंकर जी ने कारण बतलाये तो उन्होंने कहा कि मैं उनका विरोध नहीं करता बल्कि उनके कारणों का विरोध करता हूं। वह कहते हैं कि हिन्दुस्तान गरीब है। अगर गरीब देश है तो इसके क्या मानी कि दो हजार रुपये महीना डाक्टर न पाये, इसके क्या मानी कि मंत्री लोगों के ऊपर ६,००० रु० महीना खर्च न हो ? श्रीमन्, हमने नोट किया है उनके वाक्यांश को। अगर उन्होंने नहीं कहा तो ठीक है। उनका कथन है कि गरीब जनता अगर गरीब है तो इस कारण डाक्टर तनख्वाह कम पाये यह कहां का तर्क है ? डाक्टर ने सुई गलत लगाई, दवा गलत दी, इसलिये तो डाक्टर को कम तनख्वाह मिले, लेकिन देश गरीब है इसलिये डाक्टर को कम तनख्वाह मिले यह तर्क किसी के समझ में नहीं आयेगा। डाक्टर का पार्लियामेंट से, मिनिस्टर से या डिप्टी मिनिस्टर से क्या सम्बन्ध ? उन्होंने कहा कि "We are not agitators, we are administrators" हम यह फर्क करना सीखें। पहले तो हम एजिटेट करते थे, मगर अब रूल करते हैं। मैं माननीय सुरेशप्रकाश जी से कहना चाहता हूं कि पहले भी जब हम एजिटेट करते थे तो अंग्रेजों को निकालने की बात करते थे, क्विट इंडिया के प्रस्ताव की बात करते थे। उस समय भी कहा गया था कि अंग्रेजी राज्य खत्म होने के बाद हिन्दुस्तान की हुकूमत जायगी गरीब किसानों और मजदूरों के हाथ में जो खेतों में काम करते हैं या फेक्ट्री में। तो फिर इस समय क्यों आश्चर्य हुआ माननीय उमाशंकर और रामेश्वरलाल जी की बात को सुन कर ? महात्मा गांधी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जवाहरलाल की जगह गरीब किसान का बेटा प्राइम मिनिस्टर हो और जवाहरलाल उसका

सलाहकार हो। गांधी जी ने यह भी कहा था कि हिन्दुस्तान के गवर्नर जनरल को ५०० रुपये से ज्यादा तनख्वाह न मिले। महात्मा गांधी ने कहा था कि जो मुल्क इतना गरीब है, जहां की औसत आमदनी ६ पैसे, तीन आने प्रति दिन प्रति मनुष्य होती है, वहां के मंत्री गरीब अवस्था में अपना जीवन व्यतीत करें। माननीय रामेश्वरलाल जी और उमाशंकर जी ने जिन बातों का उद्घाटन किया मैं समझता हूं कि इस देश की ९५ परसेंट जनता उनके साथ होगी, चाहे माननीय सुरेशप्रकाश जी यहां रहें या न रहें। माननीय सुरेशप्रकाश जी का जीवन बड़े लाड़ प्यार में बीता होगा, आनन्दमय और सुखमय जीवन रहा होगा। पिछले दिन जब मैं जनरल डिसकशन में भाग लेने के बाद बाराबंकी चला गया तो माननीय परिपूर्णानन्द जी , जो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, ने कहा कि तीन आने की बात राजनारायण ने कही। "मुझे मालूम है कि तीन आने में ही राजनारायण जी के शरीर के बनाने में खर्च होते होंगे।" मैं उनसे कहता हूं कि हमारे शरीर के बनाने में तीन आने खर्च हों चाहे साढ़े चार आने खर्च हों, मगर परिपूर्णानन्द जी के शरीर को बिगाड़ने में जितना खर्च हो रहा है उससे कम ही खर्च होता है। परिपूर्णानन्द जी को समझ लेना चाहिये कि राजनारायण तो चना खा कर भी दिन काट सकते हैं। मैं अब भी आप लोगों को बता दूं कि सुबह जहां मैं जाऊंगा बेहात में सेर भर चना भुजा कर के रख लूंगा और शाम तक वही चने खाता रह जाऊंगा। यह मैं आपकी जानकारी के लिये बताता हूं — खाओ चना रहो बना। गरीब मुल्क की जनता परिपूर्णानन्द जी की तरह मोहन भोग और रसगुल्लों पर नहीं चल सकती। वह जरा चना खाना सीखें और चना खाने वाला अपनी तनदुरुस्ती को जितनी अच्छी रख सकता है मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बड़ी-बड़ी सामग्री का उपभोग करने वाले व्यक्ति भी नहीं रख सकते। इसलिये किसी व्यक्ति की तन्दुरुस्ती और शरीर को देख कर यह नहीं कहा जा सकता कि यह अपने शरीर के बनाने में ज्यादा पैसा खर्च करता होगा।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य संशोधन पर विशेष ध्यान दें।

श्री राजनारायण—उसी पर आ रहा हूं। इसलिये श्रीमन्, मैं यह कह रहा हूं कि इस सदन के सम्मानित सदस्यों के जो संशोधन हैं और जो सरकार का विधेयक है इन दोनों का अन्तर समझें। किसी में ६ सौ के स्थान पर चार सौ रखने का सुझाव है, किसी में ६ सौ की जगह तीन सौ रखने का सुझाव है और किसी में छः सौ की जगह चार सौ रखने का सुझाव है। मेरे कहने का मतलब यह है कि तीन सौ भी काफी हैं, माननीय उमाशंकर जी के नाम का जो संशोधन है, मैं तो ढाई सौ रुपये से ज्यादा देने का पक्षपाती नहीं हूं। मैं समझता हूं कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी को ढाई सौ से ज्यादा तनख्वाह नहीं लेनी चाहिये। हमने जब कि माननीय मंत्रियों सम्बन्धी तनख्वाह का विधेयक आया था उस समय भी और गत वर्ष जब बजट पर सामान्य विवाद चल रहा था उस समय भी आंकड़े प्रस्तुत करके कहा था कि यदि सारे प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों, मंत्रियों, सब की तनख्वाहों को १०० और एक हजार के अन्दर लिमिट किया जाय तो करीब एक करोड़ रुपये की बेसिक सैलरी में बचत है। पूरा हिसाब लगा कर के हमने माननीय मंत्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम को सेवा में एक नोट उसी समय भेज दिया था और उनसे हमने अर्ज भी किया था कि तनख्वाहों की अपार विषमता को कम किया जाय। इस तरीके से सरकारी कर्मचारियों को कई भागों में विभक्त कर दिया जिससे एक हजार रुपये से ज्यादा किसी की तनख्वाह न हो और १०० रुपये से कम भी किसी की तनख्वाह न हो। मंत्रीगण इस तरीके से एक हजार रुपये से ज्यादा हरगिज-हरगिज न लें, और श्रीमन्, जब यह बात संशोधन के रूप में आती है तो माननीय सुरेश प्रकाश जी या और कांग्रेसी पार्टी के सम्मानित सदस्य जो आज यहां पर विराजमान हैं, वह कहने लगते हैं कि हम लोग एजीटेशन की बात करते हैं। अगर जनमत को अपने पक्ष में लाना है तो जनता के बीच में काम कर के ला सकते हैं, एजीटेशन कर के नहीं ला सकते। उपाध्यक्ष महोदय, द्वितीय पंच वर्षीय योजना की चर्चा हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष---इसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सरकारी पक्ष के लोग जिस भाव को प्रदर्शित करते हैं और जिन तर्कों को समर्थन में रखते हैं उनका समुचित उत्तर देने का हमें मौका श्रीमन्, देंगे। द्वितीय पंच वर्षीय योजना का नाम इसलिये ले रहा हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब अध्यक्ष के पद पर बैठते हैं और प्लानिंग पर बात करते हैं तो वहां पर भी बड़ी आमदनी और छोटी आमदनी की विषमता को कम करने की बात करते हैं। हमेशा इस सिद्धांत को मानने के बाद कहा जाता है कि हमें द्वितीय पंच वर्षीय योजना में ऐसी योजना बनानी चाहिये जिससे कि छोटी आमदनी वालों और बड़ी आमदनी वालों को असीम विषमता कम हो। मैं जानना चाहता हूं कि किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया जा रहा है इस विधेयक के दायरे में, माननीय सुरेश प्रकाश या दूसरे सदस्य बतायें कि यह सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी का स्केल है, गरीब मुल्क का स्केल है, या कैपिटलिस्टिक स्केल है या कौन सा स्केल है? कौन सी बुनियादी बात रख कर यह ६ सौ रुपया दिया जा रहा है ? कौन सी बुनियादी बात सामने रख कर सौ रुपया भत्ता उनको आने-जाने का दिया जा रहा है ? कौन सा सिद्धांत सामने रख कर सौ रुपये मासिक मकान का किराया दिया जा रहा है ? कोई सिद्धान्त बतायें। सरकारी पक्ष की ओर से आज तक किसी सिद्धान्त को सामने नहीं रखा गया है और किसी मूल बात को सामने रख कर यह बात नहीं बतायी गयी कि आज कौन सी आवश्यकता आ पड़ी है, कौन सा आसमान फट पड़ा है, कौन सी धारा धंस गयी है कि इस विधेयक को लाने की आवश्यकता पड़ रही है ? अगर सरकारी पक्ष की ओर से कोई दलील दी गयी होती, कोई तर्क उपस्थित किया गया होता तो हम सोचते, उस पर विचार करते कि हां, यह तर्क रखा गया है । यहां तो इस प्रकार यह बिल लाया गया है जैसे हम मनुष्य ही नहीं हैं, मशीन ला कर रख दी गयी है । हम भी आखिर कांशेशस हैं, मैटर और माइंड में फर्क समझते हैं । ब्लाइंड फ़ोर्सेज यहां पर नहीं बैठे हुये हैं । कांशस हो कर तर्कों को जब समझेंगे तो देखेंगे कि सारा विधेयक रद्दी की टोकरी में जाने के लायक है । इसकी कोई आवश्यकता ही मालूम नहीं होती । हां, एक ही आवश्यकता है । वह है कि सरकारी एक रूलिंग क्लास क्रिएट कर रही है । इसके मानी यह हैं कि सरकार यह चाहती है कि एक ऐसा तबका पैदा हो जो शासन की बागडोर हमेशा अपने हाथ में रखे और उस सम्बन्ध में जो पैसा खर्च करने की आवश्यकता हो, चाहे तनख्वाह के रूप में हो चाहे भत्ते के रूप में, आवागमन के साधन के रूप में उसको दिया जाय। वरना, श्रीमन्, यही कांग्रेस सरकार १९३७ में बनी थी। यही कांग्रेस सरकार सन् १९४६ में बनी थी। यही कांग्रेस सरकार सन् १९५२ में भी बनी। जब १९५२ में बनी थी, उसके बाद पार्लियामेंट में समाजवादी समाज बनाने की घोषणा हुई, कांग्रेस के राजनैतिक रंगमंच से सोशलिस्टिक पैटर्न बनाने की घोषणा हुई। उसके बाद भी ऐसा विधेयक क्यों आता है ? कोई कारण है माननीय सुरेश प्रकाश जी के पास ? बहुत से कारण हैं क्योंकि अब वे कांग्रेस में आ गये। श्रीमन्, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब लोग कांग्रेस की शक्ल को देखें कि आज कांग्रेस के अन्दर कौन सा तबका आया हुआ है, आज कांग्रेस की पार्टी किस मनोवृत्ति से प्रभावित है ? किस मनोवृत्ति को मूर्तिमान स्वरूप देना चाहती है ? क्या वह समाजवादी नक्शा है ? नहीं, वह है पूंजीवादी नक्शा । आज कांग्रेस संगठन के ऊपर जो प्रतिक्रियावादी, पूंजीवादी मनोवृत्ति से प्रभावित लोगों का बोलबाला है और चारों तरफ से जो कुछ थोड़े से लोग कभी-कभी कांग्रेस समाजवाद और क्रांति का नारा उठाते हैं वह कोई कांग्रेस की शक्ति का परिचायक नहीं है और न उससे गरीबों की गरीबी कम होगी। यह भ्रम की बात है और यह अपने को भ्रम में डालना है और भ्रम के चक्कर में पड़ कर हटना है। इसलिये श्रीमन्, मैं अपना यह संशोधन देता हूं कि न तीन सौ हो, न चार सौ हो, किसी भी माने में ढाई सौ रुपये से ज्यादा तनख्वाह नहीं होनी चाहिये। सब कहते हैं कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी अगर ६०० रुपया तनख्वाह नहीं पायेंगे तो काम नहीं कर पायेंगे, इनके शासन की कुशाग्रता कम हो जायगी, कुशलता कम हो जायगी। यही तो तर्क है माननीय सुरेशप्रकाश जी

और कांग्रेस के सरकारी पक्ष के सदस्यों का ? अगर यही तर्क है तो पैसे को घटा-बढ़ा कर के, ६०० के ७०० और ७०० के १,००० करके न तो शासन की कुशाग्रता पैदा की जा सकती है, न दृढ़ता पैदा की जा सकती है। मेरा कहना यह है कि सरकार चाहती है, चाहे इस सदन के सम्मानित सदस्य हों, चाहे उनका स्वरूप पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी का या डिप्टी मिनिस्टर का हो गया हो, या मिनिस्टर का, हर नुक्ते नजर से, हर तरीके से सरकार उनको खिलाना चाहती है, ज्यादा पैसा देना चाहती है ताकि वह अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर एक अच्छी रक़म बचा कर के रखें और आगे आने वाले एलेक्शन में मनमाने तरीके से रुपया उड़ायें और रुपया उड़ा कर के जनता को भ्रम में डालें। मोटरों में बैठ कर प्रचार करने में, प्रोपेगेंडा में, कार्यकर्त्ताओं को खर्चा देने में अपनी शक्ति को सरकारी गद्दी पर जमाये रखने के लिये, पैसे की कमी में न रहें। सरकार के सामने यही एक योजना है और इसी योजना को कार्यान्वित करने के लिये आने वाले एलेक्शन के साल भर पहले सरकार इस तरह का विधेयक ला रही है। वरना और कोई औचित्य नहीं है, चाहे गरीबी की दृष्टि से देखा जाय, चाहे नागरिकता की दृष्टि से देखा जाय, चाहे समाजवादी प्रकार के समाज बनाने की दृष्टि से देखा जाय, किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाय, ऐसा विधेयक सदन में प्रस्तुत करना सदन का अपमान करना है।

बड़ा मजाक उड़ाया माननीय सुरेशप्रकाश सिंह ने माननीय रामेश्वर लाल जी का और माननीय उमाशंकर जी का, कि वह कहते हैं कि यह विधेयक अवैधानिक है। मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने अवैधानिक कहा या नहीं कहा, मगर यह वैधानिक है क्योंकि इसके उद्देश्य और कारण में संविधान की १६४ और १८५ धाराओं को रेफ़रेंस दिया है माननीय मंत्री जी ने संविधान के अन्दर इस विधान सभा को हक़ हासिल है कि वह मंत्रियों, डिप्टी मंत्रियों, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरियों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, चेयरमैन, उपचेयरमैन आदि इनकी तनख्वाहों के बारे में विधेयक पेश करे, यह है कानून के अन्दर। मगर ऐसे विधेयक को लाना और सदन में चर्चा कराना क्या यह सदन के समय का दुरुपयोग करना नहीं है। बिल्कुल दुरुपयोग करना है और दुरुपयोग ही नहीं, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि आज जो सचेत सदस्य इस सदन में बैठते हैं उनका अपमान करना है और उस दृष्टि से इस सदन का अपमान करना है। इस सदन में बैठ कर के बिना किसी आवश्यकता के जब भी चाहें जो संविधान के अन्दर अधिकार मिले हुये हैं, उनका दुरुपयोग करें, उनका नाजायज इस्तेमाल करें, यह किसी भी तरह से उचित नहीं है। हम श्रीमन्, अपने इन्हीं भावों को आपके द्वारा सदन के सम्मानित सदस्यों की सेवा में रखना चाहते हैं। हमने समाचार पत्रों में माननीय परिपूर्णानन्द जी के भाषण को भी पढ़ने की कोशिश की। उनके भाषण में भी हमें कोई ऐसे तर्क नहीं मालूम हुये जो कि उन्होंने अपने विदेश भ्रमण के बाद अपने भाषण में यहां रखे हों, या जो अनुभव प्राप्त कर के वह लौटे थे उस अनुभव से कोई ऐसी चीज उन्होंने रखी हो, जिससे इसकी पुष्टि होती हो। कौन सा ऐसा मुल्क है जो क्रान्तिकारी विचारों का अपने को कहता हो, जो अपने को प्रगतिशील समझता हो, जो नयी जिन्दगी, नयी दुनियां, नया समाज बनाने के लिये कटिबद्ध हो ! चाहे यूगोस्लाविया को ले लीजिये, चाहे स्वीडेन को ले लीजिये, चाहे स्विटजरलैंड को ले लीजिये, चाहे रशा को ले लीजिये, चाहे चाइना को ले लीजिये, चाहे बर्मा को ले लीजिये, कौन सा ऐसा मुल्क है जहां बड़ी आमदनी और छोटी आमदनी की खाई को कम करने की कोशिश न हो रही हो ?

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य विषय से बहुत दूर जा रहे हैं। यह सामान्य वादविवाद नहीं है।

श्री राजनारायण—उसी पर आऊंगा श्रीमन्। माननीय रामेश्वरलाल जी का संशोधन यह है श्रीमन्, कि खंड ३ के उपखंड (१) की पंक्ति २ में अंक "६००" के स्थान पर अंक "४००" रख दिया जाय। माननीय उमाशंकर जी का संशोधन यह है कि

[श्री राजनारायण]

खंड ३ के उपखंड (१) की पंक्ति २ के अंक "६००" के स्थान पर अंक "३००" रख दिया जाय। अब तो शायद श्रीमन्, सदन के सम्मानित सदस्य समझेंगे कि राजनारायण विधेयक की धाराओं पर बात कर रहे हैं। माननीय जयपाल सिंह का संशोधन यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) की पंक्ति २ में संख्या "६००" के स्थान पर "५००" रख दी जाय.....

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि जयपाल सिंह जी का संशोधन प्रस्तुत नहीं हुआ है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, आपने ही कहा कि ये चारों एक ही तरह के हैं, इनको एक ही साथ ले लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य को यह बतला दूं कि माननीय सदस्यों का नाम लिया गया था, वह उपस्थित नहीं थे।

श्री राजनारायण—मैं एक जानकारी चाहता हूं श्रीमन्, आया हम इन चारों संशोधनों पर एक साथ बोलें या आप यह कहना चाहते हैं कि इस समय माननीय रामेश्वर लाल के संशोधन पर बोलूं, फिर दूसरा जो इन चारों में उपस्थित किया गया हो, उस पर बोलूं और फिर तीसरे पर बोलूं, इस तरह से हर एक पर अलग-अलग आप बोलने का अवसर देंगे?

श्री उपाध्यक्ष—इन चारों में से जो उपस्थित किये गये हों इस सदन में, उन पर आप एक साथ बोलें।

श्री राजनारायण—आपकी व्यवस्था बहुत अच्छी है श्रीमन्, मैं आपके सामने नतमस्तक हूं। मैं तो चाहता था कि आप ऐसी व्यवस्था दें ताकि लोगों को बार-बार बोलने का मौका मिले। एक सुझाव फिर से आया था कि चारों एक साथ ले लिये जायं। इसलिये मैंने चारों के नाम ले लिये। अब आपने हमारा भ्रम दूर कर दिया और इस सदन के माननीय सदस्यों का भी भ्रम दूर हो गया है। अब श्रीमन्, रामेश्वरलाल जी के संशोधन पर ही मैं अपने को निहित रखना चाहता हूं। उसके आगे दूसरे लोगों के संशोधनों पर आपकी आज्ञा से फिर बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—मैं आपको बतला दूं कि दो संशोधन उपस्थित हो चुके हैं। श्री उमाशंकर जी बोल चुके हैं और उनका संशोधन भी उपस्थित मान लिया गया है। बाकी दो संशोधनों के लिये उन सदस्यों का नाम लिया गया था लेकिन वे उपस्थित नहीं थे।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—श्रीमन्, उमाशंकर जी ने कोई संशोधन पेश नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—मैं मानता हूं कि उन्होंने पेश नहीं किया, लेकिन उन्होंने भाषण दिया और समय बचाने के लिये यह मान लिया गया है कि उनका भी संशोधन पेश हो चुका।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं रामेश्वरलाल जी और उमाशंकर जी, इन दो के संशोधन प्रस्तुत हुये हैं और दो व्यक्तियों के, श्री जयपाल सिंह और श्री श्रीचन्द के प्रस्तुत नहीं हुये।

श्री उपाध्यक्ष—वे प्रस्तुत नहीं करना चाहते, वे सदन में मौजूद नहीं हैं।

श्री राजनारायण—ठीक है। तो हमारा कहना केवल इतना ही है कि ६०० की जगह पर ४०० रामेश्वरलाल जी, ३०० उमाशंकर जी क्यों रखना चाहते हैं और २५० मैं क्यों चाहता हूं। इस "क्यों" को मैं साफ करना चाहता हूं।

This "why" should be explained क्यों इसलिये है कि हमारा देश ग़रीब है, हमारे देश की औसत आमदनी, अपने प्रदेश की औसत आमदनी किसी भी माने में ढाई सौ रुपये प्रति व्यक्ति से ज्यादा नहीं है । तो जब सारे प्रदेश की पर कैपिटा इन्कम २५० रुपये है तो क्या इस सदन में मंत्री, उपमंत्री या किसी भी नाम से कोई व्यक्ति इस ढाई सौ रुपये से सौ गुना या हजार गुना से ज्यादा लेने का हक़ रखता है ? जब हमारे हाथ में कानून बनाने का अधिकार आया तो हम उसका सदुपयोग करेंगे या दुरुपयोग करेंगे । आज कौन सा तर्क ऐसा है जिससे अपने ही से कानून बनाने के लिये विधेयक पेश करें कि हमारी तनख्वाह ६००, १००० या १,२०० रुपये कर दी जाय । जब भी तनख्वाह मुकर्रर होने की बात आती है तब देश की आमदनी अवश्य सामने रखी जाती है, हमारा इतना ही कहना है । और जब देश की आमदनी सामने रखी जायगी, हर व्यक्ति की आमदनी सामने रखी जायगी तो किसी भी बड़े से बड़े सरकारी पद पर विराजमान व्यक्ति से इतनी विषमता नहीं होनी चाहिये जो कई हजार गुना की तादाद में हो । चाहे आज विषमता रख लें, कोई विशेष योग्यता रखता हो, लेकिन वह विषमता किसी भी हालत में दस गुने से ज्यादा नहीं होनी चाहिये । अगर हमारे राज्य कोष में इतनी आमदनी है कि जो यहां के ऊपर चपरासी या और छोटे-छोटे कर्मचारी हैं उनके जीवन के स्तर को हम ऊंचा कर सकते हैं तो हमें भी अपनी तनख्वाह को उससे दस ही गुना ज्यादा रखना चाहिये । इस अवसर पर हमको टाल्सटाय का एक कथन याद आता है । उन्होंने एक बार सुख की परिभाषा बताते हुये कहा था कि हमारा सुख वही है जो हमको समाज के गरीब तबके से अलग रखता है । (एक सदस्य—समझ में नहीं आया) मैं समझाऊंगा और अब मेरा कहना है कि आज जो सुखमय समाज है और जो दुःखमय समाज है तो वह कौन सी चीज है जो कि सुखमय समाज का सुख है ? वह वही चीज है जो कि दुःखमय समाज से सुखमय समाज को अलाहिदा करने के लिये दुःख बन कर सामने आती है । जैसे माननीय मंत्री जब अपनी टेबिल पर बैठेंगे और खाना परोसा जायगा तो उनके यहां मुर्ग मुसल्लम, अंड़े का चोखा, मीठा देकर मोहन भोग होगा और षटरस सामान, ६४ प्रकार का सामान होगा मगर उस मंत्री की टेबिल पर जो नौकर होगा उसके खाने के लिये यह सामग्री नहीं होगी । मन्त्री और नौकर को अलग करने वाली क्या चीज हुई, वही बढ़िया बढ़िया भोजन, वही जो सुखी जीवन व्यतीत करने के लिये मौजूद है, वही सामग्री हमारा सुख है, यही टाल्सटाय ने कहा था । अब शायद आप समझ गये होंगे । यही हम चाहते हैं और यही बात महात्मा जी ने कही थी कि हमारे मंत्रियों को अपना जीवन ऐसा नहीं करना चाहिये जिससे मंत्री और समाज में बिलगाव की एक बड़ी भारी दीवार खड़ी हो जाय, डिप्टी मिनिस्टर और समान्य सामाज में ऐसा न हो कि बीच में खाईं खड़ी हो जाय जो दोनों को अलग करती हो । अगर हम सही माने में जनता के सेवक हैं तो सही माने में हमें जनता का होना चाहिये । जनता के साथ रहने से काम नहीं चल सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसीलिये जब डेमोक्रेसी की परिभाषा की जाती है तो कहा जाता है कि:—

" Government by the people, of the people and for the people" यह तीन शब्द होते हैं कि सरकार 'प्रजा की है, सरकार प्रजा के लिये है, और सरकार प्रजा द्वारा है ।' अगर मंत्री महोदय सही माने में इस पर विचार करेंगे तो मालूम होगा कि यह विधेयक निकम्मा है, प्रतिक्रियावादी है । इसलिये हम इसका जोरदार, डटकर, विरोध करना चाहते हैं और इन संशोधनों का समर्थन करते हुये हम अपनी आवाज को बुलन्द करना चाहते हैं कि सरकार इसको वापस ले ले । सरकार जितना पाप कर चुकी है वही काफी हो गया है और ज्यादा पाप करने के लिये वह आगे न बढ़े, इससे उसका भी नुक्सान होगा और समाज का भी नुक्सान होगा और सरकार के कर्मचारी भी पथ भ्रष्ट हो जायंगे । अगर आप सादा जीवन में रहते हुये ६ हजार तनख्वाह लेकर इतन पाप कमाते हों' और सरकारी कर्मचारी जिन्हें १५-२०,

[श्री राजनारायण]

२५-५० रुपये मिलते हैं उनसे कैसे कहते हो कि ईमानदार रहो, रिश्वत मत लो ? वह कहेंगे कि आप तो बड़े तीसमार खां बने हैं। अपनी तनख्वाह तो मोटर, किराया, बंगला वगैरा मिला कर ६,००० रु० लेते हैं और हमको त्याग और बलिदान का पाठ पढ़ाते हैं। जैसे "Example is better than precept".

पहले अपने को आप मूर्तिमान स्वरूप बनाइये तब काम बनेगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह विधेयक जल्द से जल्द वापस हो।

*श्री कुंवरकृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस छोटे से संशोधन पर इतना लम्बा चौड़ा व्याख्यान हुआ। मैं तो नहीं समझा कि किस माने में इस संशोधन पर राजनारायण जी ने दुनियां भर के उसूल और दुनियां भर के नियम यहां सदन के सामने उपस्थित किये। जब जनरल डिसकशन हो रहा था उस समय अगर इतनी बात कही जाती तो उचित जान पड़ता, लेकिन इस समय तो सदन के सामने केवल यह प्रश्न उपस्थित है कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी का वेतन ६०० रु० माहवार हो या ४०० रुपये हो ? इस दो सौ रुपये के फर्क पर जो कहा जा सकता था वह माननीय सदस्य कह सकते थे। एक तरफ तो यह बात कही जाती है और माननीय राजनारायण जी ने इस बात को माना कि संविधान के अनुसार पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी का वेतन नियुक्त होना चाहिये। हमको उसे मुकर्रर करना है तो अगर वह यह मान लेते हैं तो उसके साथ में यह भी कह देते हैं कि यह विधेयक क्यों सदन के सामने उपस्थित किया गया ? मैं नहीं समझता कि अगर संविधान के अनुसार हमको पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज का वेतन नियुक्त करना है तो उसके लिये हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। हमें वह नियुक्त करना था और इसके लिये जरूरी था कि उनके वेतन के बारे में कोई न कोई विधेयक इस सदन के सामने आता। अगर हम बगैर विधेयक के उनको तनख्वाह देते हैं तो वह अवैध हो सकती है। इस माने में हमको इस विधेयक को लाना था। अब यह दूसरी शकल है कि यह सदन उनकी तनख्वाह ६०० रुपया रखना चाहता है या ४००, इसके लिये अलबत्ता हम लोग अपनी राय दे सकते हैं। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि जब हमारे माननीय राजनारायण जी यहां आन ड्यूटी रहते हैं तो उस वक्त वह २०० रुपया माहवार तनख्वाह लेते हैं और ३०० रुपया माहवार उनका भत्ता हो जाता है। ५०० रुपया माहवार वह यहां पर महज एक सदस्य होने के नाते पाते हैं, लेकिन एक पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी जो यहां साल भर रहता है और सिवाय उस कार्य के कि जो उसके सुपुर्द किया गया हो, दूसरा कोई कार्य कर नहीं सकता, वह इस बिल के हिसाब से ६०० रुपया महीना पा रहा है। हमारे माननीय सदस्य तो जब यहां से जाते हैं तो घर पर जा कर कोई दूसरा रोजगार कर सकते हैं, आमदनी भी कर सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी तो साल भर यहीं रहेगा और कोई दूसरा रोजगार नहीं कर सकता। तो उसके लिये आपने यह कह दिया कि उसकी तनख्वाह २५० होनी चाहिये, और साथ ही साथ वह ट्रेजरी बेंचेज से पूछते हैं कि क्या सिद्धांत है कि उसकी तनख्वाह ६०० रुपये कर दी गयी। मैं उन से पूछता हूं कि क्या आज तक, जब से वह सदन के सदस्य रहे हैं, उन्होंने कोई भी बिल इस सदन के सामने पेश किया कि वह जो ५०० रुपया महीना लेते हैं वह अधिक है और उसे उन्हें नहीं लेना चाहिये और इसमें संशोधन होना चाहिये? कभी भी इसके खिलाफ उन्होंने कोई आवाज नहीं उठायी तो आज वह किस मुंह से पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी की तनख्वाह २५० करने की बात कहते हैं ? क्या यह जो बात कहा जाती है कि ट्रेजरी बेंचेज से, कैबिनेट से और मुख्य मंत्री से हम आशा कुछ और करते थे, जो बेईमानी की बात कही जाती है और कहा जाता है कि हम नहीं समझते कि कांग्रेस के द्वारा किस तरीके से जनता का उद्धार होगा, ठीक है, मैं तो समझता यह हूं कि अगर वाकई ईमानदारी से काम होता, अगर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ईमानदार होती तो उसको इस तरह का विधेयक लाना चाहिये था कि सदन के सदस्यों की तनख्वाह इतनी होनी चाहिये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो आज गरीबों की दुहाई दे रहे हैं उनको चाहिये था कि वह ज्यादा तनख्वाह न लेते और ज्यादा तनख्वाह वापस कर देते। अगर वह ऐसा करते तो वह जनता के सामने आकर कह सकते थे कि यह चीज खराब है और हमको सिर्फ इतनी तनख्वाह मिलनी चाहिये। इससे ज्यादा हम नहीं लेते हैं। लेकिन जिस वक्त अपनी बात थी, अपनी जात का फायदा था उस वक्त हम पूरी पूरी तनख्वाह और भत्ता वही लेते रहे और मौज उड़ाते रहे, खाते पीते रहे, लेकिन आज इस किस्म की बातें सदन के सामने पेश करते हैं।

वह पूछते हैं कि सिद्धांत क्या है ? सिद्धांत बहुत खुला हुआ है। एक सीधी सी चीज है और वह यह कि किसी देश में भी आज देखें कि वहां की पार्लियामेंट के सदस्य क्या पाते हैं ? आप किसी देश का मुकाबिला कीजिये। यहां पर जो आज इस वक्त आन ड्यूटी लोगों को ५०० रुपया मिलता है उससे कहीं ज्यादा दूसरे देश के सदस्य लेते हैं। एक सदस्य जो कि यहां पर ६ महीने या ५ महीने रहता है वह इस देश के गरीब होने के नाते सिर्फ ५०० रुपये पाता है हालांकि दूसरे देशों में ज्यादा मिलता है। तो पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी जिससे ज्यादा गम्भीरता का काम लिया जाता है और जितना समय हम देते हैं उससे ज्यादा समय उनको देना पड़ता है। ऐसी हालत में अगर एक सदस्य ५०० रुपये यहां पर पाता है और जिसके बारे में कोई सदस्य उजर नहीं करता है उस हालत में अगर पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी को कुछ ज्यादा दिया जाता है और ५०० के स्थान पर उनको ६०० कर दिया जाता है तो इसमें कोई शिकायत की बात पैदा नहीं होनी चाहिये। स्तर तो यह है कि अगर कोई देश कोई सेवा किसी व्यक्ति से लेता है तो उस वक्त हमको यह देखना पड़ेगा कि एफिशियेन्सी जो हम चाहते हैं उसके अनुसार हमको उसे तनख्वाह देना है। यही आधार इसके नाप का होना चाहिये। अब यह तो नहीं है कि हम चन्द लोगों से बड़े-बड़े गम्भीर काम लें, वह २४ घंटों यहां पर काम करें और जिस वक्त चाहें उस समय देश के काम के लिये तैयार हों और हर वक्त जिस वक्त भी चाहें काम के लिये तैयार हों लेकिन उनके रहन-सहन का ख्याल न किया जाय। इसके लिये हमको यह भी देखना पड़ेगा कि नैचर आफ वर्क क्या है और दूसरे लोग उनसे क्या आशा करते हैं तो उसके हिसाब से उनको तनख्वाह देना है। यह मुनासिब बात है। अगर वह पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी हैं या डिप्टी मिनिस्टर हैं या मिनिस्टर हैं, उनसे हम ज्यादा काम लेना चाहते हैं, वह योग्य हैं, एजूकेशन में सुपीरियर हैं तो उनके रहन-सहन के लिये हमको उनके अनुसार ही देना जरूरी है। उसके मुकाबिले में जब यह देखते हैं कि दूसरे लोग उतने ही एजूकेशन के हैं उनको हम हजार या दो हजार देते हैं। अब सवाल यह आजाता है कि उसी स्तर के लोगों से हम बड़ा काम लेते हैं जो कि यहां पर आफिस में कार्य करते हैं तो हम केवल १० बजे से ४ बजे तक उनसे काम लेते हैं, लेकिन जो पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी हैं, वह जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ऊंचे किस्म का काम करते हैं। तो फिर ऐसी हालत में मैं नहीं समझता कि उनकी तनख्वाह के लिये किस तरह से यह कहा जा सकता है कि उनको बहुत ज्यादा दिया जा रहा है और यह कांग्रेस सरकार गरीबों का धन लूट रही है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि अगर आपके संशोधन के मुताबिक ही तनख्वाहों को कर दिया जाय तो इससे क्या बचत होगी ? आज जो भी कहा जा रहा है उससे क्या मैं यह समझूं कि अगर १०,१५ हजार रुपया बच जाय तो क्या इससे गरीबी दूर हो जायगी ? क्या ७,८ हजार रुपये को बचने से प्रदेश का बहुत फायदा होने वाला है ? अगर इसको बांटा जाय तो शायद एक एक पैसा भी नहीं पड़ेगा। तो उसकी वजह से क्या हम अपनी एफिशियेन्सी कम कर दें ? यह बिलकुल नामुनासिब है। इसलिये मैं यह समझता हूं कि जितनी भी बातें यहां पर कही गयी हैं वह केवल प्रोपेगेन्डा वैल्यू के लिये कही जा रही हैं। सिवाय इसके और कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके और कोई मायने नहीं हो सकते।

एक बात राजनारायण जी ने कही और मैं भी उसको मानता हूं कि १०० रुपये से लेकर एक हजार तक की तनख्वाह तक सब की होनी चाहिये। अगर १,००० रुपये के ऊपर की बात होती तो वे शिकायत कर सकते थे। लेकिन जब १,००० से कहीं कम हैं और उन्होंने

[श्री कुंवरकृष्ण वर्मा]

खुद इस बात को माना है तो उन्हें सोचना चाहिये कि काम के लिहाज से कोई बहुत ज्यादा तनख्वाह नहीं है। तो फिर यह बात कहां से आ जाती है कि कांग्रेस सरकार पूंजीवादी है और रूलिंग क्लास वह रखना चाहती है। मेरी समझ में ये सब बातें केवल प्रोपेगेंडा के लिये कही गयी हैं। इस समय सिवाय इसके और कोई प्रश्न नहीं कि ६०० रुपये या ४०० रुपये तनख्वाह होनी चाहिये। इसके पीछे सिद्धांत है और यह मुनासिब मालूम होता है कि ४०० किसी भी सिद्धांत पर आधारित नहीं है और इसलिये इस संशोधन को हमें नहीं मानना चाहिये।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंनेबड़े गौर से माननीय राजनारायण जी और अभी अपने भाई के भाषण सुने। वह यह जानना चाहते थे कि किस आधार पर ४०० रुपये का संशोधन रखा गया है। हमारी करांची की कांग्रेस के फंडामेंटल रिजोल्यूशन में यह कहा गया था कि किसी मिनिस्टर की तनख्वाह ५०० रुपये से ज्यादा नहीं होने पावे। हम समझते हैं कि हमारे पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी में या मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर में अधिक अन्तर नहीं होना चाहिये। अगर उनकी ५०० रुपये तनख्वाह रखी जाय तो उनके पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी की ४०० होनी चाहिये। ४०० रुपये के बाद १०० रुपये पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज को मकान के किराये के लिये दिया जाता है और वे इसमें रह सकते हैं। मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि यह रुपया हमारे माननीय पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी के लिये काफी हो सकता हो, इससे ज्यादा की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन जितनी हमारी आवश्यकतायें हैं उनकी सारी पूर्ति हम लोग खुद अपना प्रस्ताव पास करके करें, यह कहां तक शोभनीय होगा, यह मेरी समझ में नहीं आता। हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज को कुछ ज्यादा काम करना पड़ता है इसलिये उन्हें कुछ ज्यादा मिलना चाहिये। मुझे इसके बिलकुल उल्टा कहना है। इन लोगों के काम के लिये सारी हुकूमत की मशीनरी मौजूद है। अभी एक ड्राफ्ट बनाना हुआ कि सारी हुकूमत के लोग एक स्लिप पर उनके पास चले आते हैं। मैं नहीं चाहता कि विरोधी पक्ष के लोगों की तनख्वाह बढ़ाई जाय, लेकिन काम हमारे पास भी बहुत है, हमारे विरोधी दल के नेता के पास भी काम बहुत है। सारे प्रदेश की सरकार के खिलाफ बातें हमारे पास आती हैं और हमें भी काफी समय देना पड़ता है। जो तनख्वाह हमें मिलती है हो सकता है कि वह कम हो, लेकिन इसलिये कि हमारे पास काम ज्यादा है और ज्यादा लोग हमारे पास आते हैं, इसलिये हम अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात इस समय नहीं कर सकते हैं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, हमारे भाई ने अभी कहा कि सब टोटल ५०० रुपया का हो जाता है। यह ठीक है अगर हम कुरबानी कर सकते हैं, तनख्वाह न लेते अपना खर्चा अपने आप एक देश सेवक के नाते स्वयं उठाते, खाने और पहनने का, यह तो एक आदर्श की बात हो जाती, लेकिन हम ऐसा भी नहीं कर रहे हैं। हम तो ४०० रुपया की बात कह रहे हैं। लेकिन दुःख जब होता है जब कहा जाता है कि ५०० रुपया तो मेम्बरान का ही हो जाता है। असेम्बली कोई बारहों महीने तो बैठती नहीं है। इसलिये ५०० रुपये का तो प्रश्न ही नहीं आता है। अब रहा सवाल स्टेटस का। विधान सभा के किसी भी माननीय सदस्य का स्टेटस किसी भी मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी से कम नहीं है। अगर हम यह समझते हैं तो यह गलत समझते हैं। लेकिन माननीय मंत्री जी की ओर से उनके स्टेटस की बात तो आ जाती है लेकिन डेमोक्रेसी में जब विरोधी दल का भी वही स्टेटस है और जब उसके स्टेटस के रिकागनीशन की बात आती है तो कोई कुछ नहीं कहता। डेमोक्रेसी में जो प्रतिष्ठा लीडर आफ दी हाउस की है वही नेता विरोधी दल की भी है। उसका वही स्टेटस माना जाता है जो लीडर आफ दी हाउस का होता है, और डिप्टी लीडर का भी वही स्टेटस है जो हाफिज जी का है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, हमें मिलता क्या है? एक दफ्तर, एक चपरासी, लेकिन जो पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज हैं उनके पास एक हिन्दी का और दूसरा अंग्रेजी का स्टेनोग्राफर है और न वहां हिन्दी लिखाई जाती है और न अंग्रेजी। उनकी शार्ट हैन्ड को स्पीड भी वहां खत्म हो रही है। हमारे साथ मिल कर काम करें तो हमारे काम भी काफी हैं। अब हम लोग कैसे काम करें? क्लर्क रखने के लिये पैसे की जरूरत होती है। यह मैंने केवल इसलिये

कहा क्योंकि उसके साथ काम की बात कही गयी। हम नहीं चाहते कि कुछ बढ़ाया जाय। हमने ४०० इसीलिये रक्खा है कि हम पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी में ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहते। दिल्ली की पार्लियामेंन्ट में पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी को कुछ भी तनख्वाह नहीं दी जाती है। उसको वही तनख्वाह मिलती है जो मेम्बर को मिलती है, लेकिन हमारे यहां क्योंकि इतनी कम तनख्वाह है और हो सकता है कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी को कुछ ज्यादा जरूरत हो। इसलिये रामेश्वर लाल जी ने सोच समझ कर ४०० रुपया रख दिया। १००रुपया अलाउन्स का मिला कर उसके ५००रुपया हो जाते हैं। यह हम जानते हैं कि यह कम है और इससे भी उनका काम नहीं चल सकता, लेकिन नेतागीरी तो है, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी तो है, स्टेट के अन्दर नाम तो है, सब जगह पूछ तो होती है। हम लोग तो अपना खर्चा करके जाते हैं तब नेतागीरी करते हैं लेकिन वे सरकार के खर्च पर नेतागीरी करते हैं। हमारा उनसे कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है लेकिन क्योंकि हम विधान सभा में बैठे हुये विचार कर रहे हैं इसलिये हमारा विचार है कि मिनिस्टर को ५०० रुपया दिया जाय और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी क्योंकि उससे बहुत ज्यादा नीचा नहीं है इसलिये उसको ४०० रुपया दिया जाय। इसलिये जो प्रस्ताव रामेश्वर लाल जी ने रक्खा है मैं उसका समर्थन करता हूं।

हमारे भाई का जो संशोधन है वह केवल प्रोपेगेंडा नहीं है। हम दो सौ रुपया ले रहे हैं। मैं तो यह कहता हूं कि यह इन-आपरचून मोमेंट इसको लाने के लिये था। कहा यह जा रहा है कि साहब उनको ६ सौ रुपया मिल रहा था, वह इसको कानून के अन्दर ला रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमको आज यह मौका मिला कि यह तनख्वाह का प्रश्न है और इसलिये हम अमेंडमेंट ला रहे हैं। इसमें मिनिस्टर्स और डिप्टी मिनिस्टर्स की तनख्वाह का प्रश्न नहीं है नहीं हम उनके लिये भी कहते कि कम करो। लेकिन कोई क्लाज इसमें उसके लिये नहीं है। पार्लियामेंटरी सेक्रेटरियों की तनख्वाह का प्रश्न हमारे सामने आज पहली मरतबा आया है और जो ६ सौ रुपये मिलते थे उसको कानूनी रूप दिया जा रहा है। इसलिये आज हमारे सामने एक मौका है अपने विचारों को सदन के सामने रखने का और इसी उद्देश्य से हमने संशोधन रखा है कि उनकी तनख्वाह ४ सौ रुपये रख दी जाय ताकि उनको भी शिकायत न रहे और हमारे माननीय सदस्यों को भी शिकायत न रहे। इन शब्दों के साथ मैं माननीय रामेश्वर लाल जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामेश्वर लाल—मान्यवर, मैं अपने उन तमाम माननीय सदस्यों को जिन्होंने हमारे इस प्रस्ताव के समर्थन में या विरोध में अपने मत व्यक्त किये हैं, धन्यवाद देना चाहता हूं। उसका कारण यह है कि विरोधी दल के सम्मानित सदस्यों ने जो अपने विचार व्यक्त किये हैं इस प्रस्ताव के समर्थन में उन्होंने अपने कर्त्तव्यों को निभाया है, और उधर के बैठने वाले सदस्यों ने जो प्रस्ताव का विरोध किया है उन्होंने अपने तथा अपने साथ-साथ अपनी पार्टी की नीति का खोखलापन व्यक्त करने में सहयोग किया है। इसलिये मैं दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों को जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किये हैं, धन्यवाद देना अपना कर्त्तव्य समझता हूं।

श्रीमन्, मैंने बड़े गौर से माननीय सुरेशप्रकाश जी के भाषण को सुना और उनके भाषण के कुछ वाक्यों को मैंने नोट भी किया है। इधर के बैठने वाले लोगों को इंगित करते हुये उन्होंने कहा था कि इन्होंने ईमानदारी का सारा ठेका ले लिया है। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय सुरेशप्रकाश जी से निवेदन करना चाहता हूं, वे शायद इस समय सदन में उपस्थित नहीं हैं कि अगर वे जानना चाहते हैं कि ईमानदारी का ठेका हमारा है या नहीं तो उनको कुछ गहराई में जाना पड़ेगा, और उसमें ले जाने के लिये मैं उनका ध्यान

[श्री रामेश्वरलाल]

आकर्षित करना चाहता हूं कि अपने प्रान्त में क्या हम नहीं जानते कि आधी से अधिक आबादी ऐसी है जिनके खाने का ठिकाना नहीं है और जिनके घर में दो वक्त में से एक वक्त ही भोजन पकता है। इस सदन में इधर के भी और उधर के भी बैठने वाले माननीय सदस्यों ने कई अवसरों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन जमीन के बटवारे का प्रश्न माननीय गेंदा सिंह जी ने उठाया था, फिर भी माननीय कुंवरकृष्ण वर्मा को याद नहीं है और हो सकता है कि स्वभावानुकूल इस सदन में उपस्थित नहीं रहे हों, उनको याद नहीं है कि ऐसा प्रश्न कभी हमारी तरफ से उपस्थित किया गया है। श्रीमन्, यह प्रस्ताव उपस्थित किया गया था। मैं कहता हूं कि जमीन के बटवारे के प्रश्न को हल करने के लिये किछा में जमीन तोड़ी गयी। मैं माननीय सुरेशप्रकाश जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह देखें कि वह किछा में जमीन लेने वालों में इधर के बैठनेवाले माननीय सदस्य हैं या उधर के माननीय सदस्य हैं। श्रीमान्, जब देश में जनता भूखों मर रही है, खेती के लिये जमीन नहीं है, रहने के लिये मकान नहीं है, पहनने के लिये कपड़े नहीं हैं, खाने के लिये भोजन नहीं ह तब जब सरकार जमीन तोड़वाये तो विधान सभा की सदस्यता स्वीकार करने के बाद, विधान सभा के सदस्य किच्छा में तीस तीस और चालिस चालिस एकड़ जमीन लें जब उनकी कांस्टीट्यूएंशी और उनकी छत्रछाया में पले मजदूर और किसान खेती के लिये जमीन न पावें और हलवाई की दूकान पर जूठे पत्तल और दोने चाटते फिरें। अब सुरेश प्रकाश जी इसी से नापें कि इधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों ने जमीन किच्छा में ली या उधर के बैठने वाले सदस्यों ने जमीन ली? या मैं उधर बैठने वालों के नाम बतलाऊं जो अच्छी अच्छी सेलरी लेते हैं और जिनके भाई, भतीजे अच्छी अच्छी सुविधायें प्राप्त किये हुये हैं या उनके जो कि जमीनें जोतते रहते हैं। तो ईमानदारी किसकी है? ईमानदारी का पाठ इधर के बैठने वालों को पढ़ाने चले हैं। मुझे मालूम है कि इधर के बैठने वाले बहुत से माननीय सदस्य ऐसे हैं जिनके भाई बेटे पैसे के अभाव में पढ़ाई जारी नहीं रख सके हैं। मुझे यह भी मालूम है कि एफ० ए० और बी० ए० पास करने के बावजूद भी जिन्हें वर्षों नौकरी की तलाश में चक्कर काटना पड़ा है। मैं उधर के बैठने वालों से पूछूंगा और सुरेशप्रकाश जी से कहूंगा कि वह जांच करें कि माननीय गेंदासिंह जी या इधर का बैठने वाला कोई माननीय सदस्य किसी मिनिस्टर के पास गया हो, यह कहने कि हमारे बेटे को या भतीजे को थानेदार बना दो? क्या वह सबूत चाहते हैं? उधर के बैठने वाले अयोग्य आदमी भी अच्छे अच्छे पदों पर हैं। ऐसे गांव हैं जहां गांव का गांव इंफार्मेशन आफिसर बना बैठा है। ईमानदारी का सबूत फिर किसके पास है? ईमानदारी की बात करने वाले गहराइयों में जायं। मैं किसी व्यक्ति विशेष को गाली देना पसन्द नहीं करता लेकिन जब दिल जलता है तो कड़ुवी बात निकलती ही है। भाई, भतीजे और बाप का बाजार खुला हुआ है। कौन ऐसा पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी है, डिप्टी मिनिस्टर है या ट्रेजरी बेंचेज पर बैठने वाला है जिसका कोई आदमी बेकार हो, थानेदार न हो, डिप्टी कलेक्टर न हो, या मेडिकल कालेज में डाक्टरी के लिये दाखिला न हासिल किया हो। (एक सदस्य—मैं हूं श्रीमन्, जिसका कोई नहीं है) तो श्रीमन्, ईमानदारी का ठेका हमने लिया है। आप हमें गालियां देकर, बेईमान कह कर असलियत को छिपा नहीं सकते।

जहां तक माननीय सुरेशप्रकाश जी ने पार्लियामेंटरी सेक्रेटरियों की दवाइयों के सम्बन्ध में अपना भाषण दिया, उसे गौर से मैंने सुना। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय सुरेशप्रकाश जी से और उधर के बैठने वाले माननीय मंत्रियों, सभासचिवों और माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि क्या उन्हें यह नहीं मालूम है कि अपने प्रांत में अस्पतालों की संख्या क्या है, डाक्टरों की संख्या क्या है, दवाइयों का प्रबंध क्या है? लाखों पर एक अस्पताल और एक डाक्टर पड़ता है। तो फिर उस देश में उस प्रान्त में रहने वाले मंत्रियों, उपमंत्रियों और विशेष व्यक्तियों के लिये विशेष प्रयोजन किया जाय, विशेष व्यवस्था की जाय और लाखों रुपया सालाना व्यय किये जायं या उन लोगों की सेवा सुश्रुषा में लगाया जाय जो दवा के अभाव में, डाक्टर के अभाव में दिन प्रति दिन अपनी जिन्दगी खोते चले जा रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में यह आवश्यक है

कि हम अपना खर्च कम से कम करें। हम अपनी लक्जरीज कम से कम करें और हम त्याग और बलिदान ज्यादा से ज्यादा करें, और जो हमने सीखा है उसका प्रतिपादन करें। इसलिये श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस सूझ-बूझ के साथ मैंने यह प्रस्ताव उपस्थित किया था। जहां तक कुंवरकृष्ण वर्मा जी का संशोधन है, मेरा दावा है कि उधर के बैठने वालों की बात का ही वह संशोधन समर्थन करता है। कुंवरकृष्ण वर्मा जी ने कहा कि हम लोग अगर १,००० से ऊपर नहीं देना चाहते तो ६०० तो १,००० से कम है उसके देने में क्यों विरोध करते हैं? हम यह कहते हैं कि १,००० रुपये से ज्यादा और १०० रुपये से कम किसी का न हो। वर्मा जी ने १,००० को घटा कर तो ६०० कर दिया लेकिन जो १०० से कम पाते हैं उनको बढ़ा कर १०० नहीं किया। हमारी पार्टी के सिद्धांतों की गैर जानकारी में कुंवरकृष्ण वर्मा जी ने यह कहा, यह चार्ज हम पर लगाया कि हमने यह आवाज आज तक क्यों नहीं उठायी? श्रीमन्, हमने बार बार आवाज उठायी, कोई ऐसा भाषण, कोई ऐसा दिन नहीं गया जब हमने अपने प्रान्त में फैलती हुयी इस विषमता को बहुत तगड़े शब्दों में, क्रांतिकारी ढंग पर रखने की चेष्टा नहीं की, और आज भी हमने रखा है। हम आज सुनाना चाहते हैं, सदन कान खोल कर सुन ले। यदि आप इस तरह की बात करेंगे और मनमाने ढंग पर जनता के एकत्रित धन को आपस में बांटने की बात करेंगे तो वह दिन दूर नहीं है जब आप को इसका मुआविजा देना पड़ेगा। माननीय सुरेश प्रकाश जी ने यह कहा कि १९५७ का चुनाव आने वाला है। लेकिन यहां के भाषण बाहर काम नहीं करेंगे। मैं चुनाव की बात नहीं कहता। मैं यह नहीं कहता कि यहां के भाषण बाहर काम करेंगे या नहीं। मैं जानता हूं कि जादूगरी का पिटारा आपके पास है। चुनाव में वोट किसी को पड़ेंगे, नाम आपका निकलेगा। मैंने मान लिया कि जादूगर आप हैं। लेकिन जादूगर स्वयंसिद्ध भगवान नहीं होता। वह सत्य नहीं है असत्य है। जब तक जनता जादूगर की जादूगरी का भेद नहीं जान पाती तब तक वह धोखा खा सकती है, लेकिन जिस दिन उसका परदा फाश होगा तो आपको जानकारी हो जायगी कि यहां के भाषण बाहर काम करेंगे या नहीं। यह तो एक सत्य की बात है। यह तो आपके कांग्रेस के अधिवेशन में जो प्रस्ताव पास हुआ था कि पांच सौ रुपये से अधिक नहीं लेंगे, वह बात है। लेकिन बहुमत आज आपके पास है, जैसा पास करना चाहें पास कर लें। यह आपको अधिकार है। लेकिन हमारा भी कर्त्तव्य है और उससे प्रेरित हो कर हमने यह प्रस्ताव आपके सामने रखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि सदन इस पर गम्भीरता से विचार करेगा।

†स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो यह संशोधन उपस्थित किये गये हैं वह स्वीकार नहीं हैं। इस विषय में बहुत भावुकता से काम लिया गया है और बहुत भावुकता के साथ यहां पर कुछ बातें भी कही गयी हैं। उन सब का उत्तर दे कर मैं इस माननीय सदन का समय नहीं लेना चाहता। जो कुछ तर्क उपस्थित किये गये वह इसी सदन के सम्मानित सदस्यों ने आपस में उनके उत्तर दे लिये। उनको दोहरा कर मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता। एक बात मैं अवश्य स्पष्ट कर देना चाहता हूं। सुनने से कुछ ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि यह जो सभा सचिवों की तनख्वाह अब मुकर्रर की जा रही है इस विधेयक के द्वारा वह शायद आज मुकर्रर की जा रही है। उसमें शायद कोई बढ़ोत्तरी की जा रही है। ऐसी बात नहीं है। यह जो ६ सौ रुपये मासिक वेतन सभासचिवों का है यह उसी समय से मिलता है जिस समय से वह सभासचिव बने हैं। कम से कम ९ साल की तो मुझे याद पड़ती है कि इन सभासचिवों की यही तनख्वाह है और प्रति वर्ष यह दी जाती है। बजट का अवसर भी आता है। उस अवसर पर भी हमारी क्या नीति है, क्या किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है, किस तरह से शिक्षा होनी चाहिये, किस समाजवाद की तरफ हम जाना चाहते हैं, किस तरह से हम समानता ला सकते हैं? इन सब की चर्चा बजट के समय भी हो जाती है। इसलिये मैं दोबारा उन चीजों को दोहरा कर कोई समय लेना उचित नहीं समझता हूं।

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कैलाश प्रकाश]

एक बात की जरा मुझे तकलीफ हुई । माननीय राजनारायण जी इस समय यहां नहीं हैं । शायद उनका स्वभाव है कि अपनी बात कहें, दोहरा-दोहरा कर कहें और फिर इस सदन में वह बैठने का कष्ट भी न उठायें ।

श्री उपाध्यक्ष—वह सदन में उपस्थित हैं ।

श्री कैलाशप्रकाश—क्षमा कीजिये ।

एक सदस्य—अभी आये हैं ।

श्री राजनारायण—मैं आपके द्वारा.....

श्री उपाध्यक्ष—आप कृपा कर के बैठ जायं ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—मैं इससे ज्यादा निवेदन के लिये समय देना नहीं चाहता ।

श्री राजनारायण—यह पार्लियामेंटरी पद्धति....

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य बैठने की कपा करें ।

श्री कैलाशप्रकाश—माननीय राजनारायण जी ने एक बात कही कि इन सभा सचिवों को जो वेतन दिया जा रहा है यह इस कारण दिया जा रहा है कि उनका चुनाव आने वाला है और उस चुनाव के लड़ने के लिये वे पैसे का संचय करना चाहते हैं । मैं माननीय राजनारायण जी को बता देना चाहता हूं कि जितने सभा सचिव यहां पर आज काम कर रहे हैं उनको बहुत दिनों से यही वेतन मिल रहा है, बहुत दिनों से यही रहा है और उनको भी अच्छी तरह उसकी जानकारी होगी । उन सभा सचिवों को इतना प्राप्त करने पर अपने पास से खर्च करना पड़ता है और इस कारण से खर्च करना पड़ता है कि इलेक्शन तो सबको लड़ना है, इस सदन के सभी सदस्यों को लड़ना होगा केवल सभासचिवों को ही नहीं करना है । इसलिये मैं यह निवेदन करके पुनः इस संशोधन का विरोध करता हूं और आशा तो क्या करूं कि वे उसको वापस ले लेंगे । जहां तक वैधानिक प्रश्न उपस्थित किया गया पुनः उस पर मुझे कुछ कहना नहीं है । माननीय उपाध्यक्ष उस पर तो आपकी व्यवस्था पहले ही हो चुकी है कि यह वैधानिक है ।

श्री हरिप्रसाद (जिला पीलीभीत)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि ६०० रुपये सभा सचिव पायेंगे वे अपने घर से खर्च करते हैं तो एक चपरासी जो ४५ रुपया पाता है .....

श्री उपाध्यक्ष—यह तो आप बहस कर रहे हैं, प्रश्न नहीं । आप कृपया बैठ जायं ।

प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) की पंक्ति २ में अंक "६००" के स्थान पर अंक "४००" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री राजनारायण—श्रीमन्, पार्लियामेंटरी पद्धति में जब कि जनता किसी बात को लेकर के सदन के सम्मानित सदस्यों को सुनाने के लिये सदन के बाहर आती है तो, अभी जैसा पटने में हुआ, विधान सभा की कार्यवाही चल रही थी और वहां निवेदन किया गया कि माननीय मंत्री लोग जा करके सुनें । यहां पर सोशलिस्ट पार्टी की ओर से हजारों की तादाद में इस बिल के विरोध में लोग आये हैं । मैं चाहता हूं कि इस विधेयक पर इस समय .....

श्री उपाध्यक्ष—कृपया आप बैठ जायं, मैं आपको आज्ञा नहीं देता ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं क्लोजर मूव करना चाहता हूं। इसकी तो मुझे आज्ञा देंगे।

मैं चाहता हूं कि इस विधेयक पर विचार करना बन्द कर दिया जाय और इसलिये चाहता हूं कि जो जनता यहां सामने आकर.....

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य बैठ जाने की कृपा करें। मैं समझता हूं कि वैधानिक नहीं है।

श्री राजनारायण—तो श्रीमन्, मैं आपसे यह स्पष्ट बताना चाहता हूं कि आपकी व्यवस्था के विरोध में मैं इस सदन में बैठना अपने लिये उचित नहीं समझता हूं। इसलिये आपकी व्यवस्था का विरोध करते हुये सदन के बाहर जाता हूं और जो बाहर हजारों की तादाद में जनता आयी है प्रदर्शन करने के लिये.....

श्री उपाध्यक्ष—मैं माननीय सदस्य को बिल्कुल मौका नहीं देना चाहता हूं। कृपया वे अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री राजनारायण—मैं आपकी रूलिंग के विरोध में जा रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—यह तो आपकी खुशी है।

(श्री राजनारायण सदन के बाहर चले गये।)

श्री रामहेतसिंह (जिला मथुरा)—श्रीमन्, जो खंड ३ के विरोध में मैंने दो संशोधन रखे हैं वे दोनों एक ही से हैं लिहाजा में दोनों को एक ही साथ रखना चाहता हूं।

खंड ३ के उपखंड (२) की पंक्ति १ के शब्द "सचिव" के बाद शब्द "तथा विधान मंडल के सदस्य" रख दिये जायं।

तथा

खंड ३ के उपखंड (२) की पंक्ति ४ का शब्द "और" निकाल कर उसके स्थान पर शब्द "किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि सभा सचिव" रख दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, इन दोनों को मिला कर इस तरह से हो जाता है कि "प्रत्येक सभा सचिव तथा विधान मंडल के सदस्य अपने कार्यकाल की पूरी अवधि में ऐसे परिमाण में जिसकी व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों में की जायगी, सज्जित लखनऊ में बिना किराया दिये एक निवास स्थान के उपयोग का अधिकारी होगा किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि सभा सचिव ऐसे समय तक जिसमें पूर्वोक्त निवास स्थान की व्यवस्था न की जाय, १०० रुपया मासिक प्रतिकर पाने का अधिकारी होगा।"

उपाध्यक्ष महोदय, यह साफ है। इसमें ज्यादा कहने की कोई गुंजाइश नहीं। लिहाजा मैं इसे पेश करता हूं।

श्री कैलाशप्रकाश—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। जहां तक मैं समझ पाया यह विधायकों के निवास स्थान के विषय में है। विधायकों के निवास स्थान के विषय में धारा ६ के अन्तर्गत काफी व्यवस्था है और उसी धारा में कुछ संशोधन भी हैं इसलिये वहां इस पर विचार हो जायगा। यहां मुझे इस बात की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती और मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य यहां से इसको वापस ले लेंगे और वहां जब धारा ६ में यह प्रश्न आवे तब वह इसको उपस्थित करेंगे।

श्री रामहेतसिंह—मैं वापस लेता हूं

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री रामेश्वरलाल—मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं: खंड ३ के उपखंड (२) की पंक्ति ५ के शब्द "जाय" के बाद के शब्द निकाल कर शब्द "मकान किराया पाने का अधिकारी होगा जो ५० रु० से किसी भी हालत में अधिक न होगा" रख दिये जायं ।

यह श्रीमन्, मैंने लिखकर भेज दिया था आपके पास ।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य अपना संशोधन संशोधित रूप में पेश कर रहे हैं । माननीय मंत्री जी को उसकी सूचना मैं समझता हूं मिल गई है ।

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं । उसकी सूचना नहीं मिली है ।

श्री उपाध्यक्ष—मैं उसे भेज देता हूं ।

श्री रामेश्वरलाल—श्रीमन्, अगर आप इस विधेयक के खंड ३ के उपखंड (२) को देखें वह मैं आपके सामने पढ़ देना चाहता हूं । इसमें है कि प्रत्येक सभा सचिव अपने कार्य-काल की पूरी अवधि में ऐसे परिमाण में जिसकी व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों में की जायगी सज्जित (फर्निश्ड) लखनऊ में बिना किराया दिये एक निवास स्थान के उपयोग का अधिकारी होगा और ऐसे समय तक, जिसमें पूर्वोक्त निवास स्थान की व्यवस्था न की जाय १ सौ रुपया मासिक प्रतिकर भत्ता पाने का अधिकारी होगा ।

मान्यवर, इस खंड के उपखंड २ के अनुसार जब आप ध्यान से देखेंगे तो यह ज्ञात होगा कि लखनऊ में सज्जित मकान जब तक नहीं प्राप्त हो जायगा हमारे मंत्रियों को, तब तक उन्हें सौ रुपया प्रतिमास भत्ता मिला करेगा । मैं यह समझता हूं जैसा कि मैंने पहले भी अपने विचार व्यक्त किये थे कि इसकी आड़ में बड़ा अनिष्ट होने वाला है इसलिये कि यदि सुसज्जित जो मकान हैं, फर्निश्ड घर जो हैं, उसकी परिभाषा नहीं की जायगी तो यह संभव हो सकता है कि हमेशा कोई घर असुसज्जित ही रहा करे, इसलिये कि १०० रुपया प्रतिमास भत्ता घर का मिला करे । श्रीमन्, इसलिये मैंने संशोधन रखा है कि उन्हें ५० रुपये से अधिक मकान का किराया नहीं मिलेगा । इसके बाद भी श्रीमन्, मुझे निवेदन करना है कि हम एक गरीब देश के निवासी हैं और उसकी गरीबी का चित्रण करना मैं इस अवसर पर आवश्यक भी नहीं समझता । लेकिन मैं यह समझता हूं कि जो देश गरीब हो और गरीबी में रहने वाले वहां के इन्सान बिना घरबार के हों, वैसे देश में फर्निश्ड घर की व्यवस्था करना उनके नुमाइन्दों के लिये, व्यवस्थापकों के लिये, उनकी धरोहर की रक्षा करने वालों के लिये उचित नहीं है । श्रीमन्, मैं सिर्फ लखनऊ में ही माननीय मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करूंगा कि मेडिकल कालिज के पास वाले मैदान को देखें ।

(इस समय ४ बजकर ४ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

फुट-पाथों पर रहने वाले लोगों को देखें जिनके पास घर की व्यवस्था नहीं है, जिसकी हमारी जिम्मेदारी है । मजदूरों की हालत को देखें कि किस तरह छोटे से गंदे कमरे में १०–१०, १५–१५ मजदूर वास करते हैं । इस सारे चित्र का अवलोकन करने के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि सुसज्जित घर का मिलना जो पूंजीवादी व्यवस्था का प्रतीक है, उचित नहीं है ।

सुसज्जित का अर्थ तो बड़ा विचित्र सा है । उसका मतलब यह हो सकता है, जैसा कि देखा गया है कि जाड़े में अगर वह बिस्तर वाली चारपाई हो तो उसके साथ ऐसी व्यवस्था भी हो जो ठंडक न लगने दे, अथवा गरमी में इस प्रकार का इन्तजाम हो कि गरमी न सतावे । और भी बहुत सी चीजें हैं । तो यदि विधेयक प्रस्तुत करते हुये माननीय प्रस्तावकर्त्ता ने सुसज्जित भवन का कोई अर्थ नहीं डाला है तो मेरा यह अर्थ लगाना गलत नहीं होगा । इसलिये मैं चाहता हूं कि हर एक पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी को ५० रुपये घर का किराया दिया जाय, यदि सरकार उन्हें मकान न दे सके निवास के लिये । इन्हीं भावनाओं से प्रेरित होकर मैं यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं और समझता हूं कि सदन इसे स्वीकृत करेगा ।

श्री कैलाशप्रकाश---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह संशोधन स्वीकार नहीं है और बात स्पष्ट है कि जो माननीय सदस्य ने संशोधन उपस्थित किया है ५० रुपये के किराये का, संभवतः वह भी जानते होंगे कि लखनऊ में ५० रुपये किराये का मकान कैसा मिल सकता है और किस किस्म का मिल सकता है। मैं इसमें कुछ अधिक कहना नहीं चाहता, किन्तु मैं इतना अवश्य समझता हूं कि लखनऊ में जो मकानों के किराये की दर है उसकी आज जानकारी माननीय सदस्य को भी होगी। इसलिये वह यदि इस पर विचार करेंगे तो इस संशोधन को वापस लेना ही उचित समझेंगे, क्योंकि सौ रुपये की जो यह चीज रखी गयी है वह अधिक नहीं है।

श्री रामेश्वरलाल---श्रीमन्, मैंने माननीय मंत्री जी के भाषण को बड़े गौर से सुना और मैं इस पर बहुत विशेष बहस नहीं करना चाहता। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि लखनऊ में घरों के किराये की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुये मंत्री जी ने मेरी जानकारी को चुनौती दी। मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि क्या विधायक निवास लखनऊ में नहीं है जहां हम १० रुपया देकर रहते ह। श्रीमन्, मेरा प्रस्ताव जो है वह यह कि जब उनको सरकार रहने के लिये मकान न दे सके तब तक ५० रुपया किराया मिले, इससे अधिक न मिले और यदि सरकार दे तो हमें कोई एतराज नहीं है। हम तो कहते हैं कि सरकार दे। शायद मंत्री जी ने गौर से पढ़ा नहीं या ध्यान नहीं दिया। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी इस पर पुनः विचार करें और यदि संभव हो तो इसे स्वीकार करें।

श्री कैलाशप्रकाश---मुझे यह संशोधन स्वीकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) की पंक्ति ५ के शब्द "जाय" के बाद के शब्द निकाल कर शब्द "मकान किराया पाने का अधिकारी होगा जो ५० रुपये से किसी भी हालत में अधिक न होगा" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री जगन्नाथ मल्ल---श्रीमन्, यह जो खंड ३ है इसका मैं विरोध करता हूं। मैं नहीं चाहता कि यह खंड इसमें रखा जाय और वह इसलिये कि पहले तो मैं समझता हूं कि संविधान के अनुसार सभा सचिवों की तनख्वाह के बारे में हमें कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। अभी मुझसे पहले इस संशोधन पर भाषण करते हुये २,४ सदस्यों ने यह कहा कि आप विधान का जिक्र तो करते हैं लेकिन आप चाहते हैं कि इसको रखा जाय। तो मैं समझता हूं कि उनको कोई दिक्कत इसका विरोध करने में नहीं होगी, क्योंकि इसका विरोध करने से यह बिलकुल साफ हो जाता है। मैं नहीं कहता कि उनकी तनख्वाह इसमें रखी ही जाय। मैं कहता हूं कि इस धारा को ही इसमें से निकाल दिया जाय क्योंकि यह संविधान के अनुकूल नहीं है। इसके अलावा जहां तक तनख्वाह का सवाल है माननीय कुंवर कृष्ण वर्मा ने कहा कि विरोध पक्ष के मेम्बरों ने सदस्यों की तनख्वाह या एलाउन्स कम करने के लिये कभी नहीं कहा। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि अगर माननीय कुंवर कृष्ण वर्मा जी की याददाश्त ठीक है, जिसकी नहीं है तो उनको मालूम होना चाहिये कि जिस वक्त मेम्बरों का बिल आया था उस वक्त हमने कहा था कि १५० रुपये तनख्वाह और साढ़े ७ रुपये भत्ता रखा जाय, लेकिन उनको खयाल नहीं। दूसरी चीज यह है कि यह तो ठीक है कि शासकीय आर्डर के मुताबिक पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी लोग अब तक ६०० रुपये तनख्वाह और १०० रुपये मकान का किराया पाते रहे हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क यह पड़ रहा है कि जो उनको सुसज्जित भवन मिलेगा वह १०० रुपये में नहीं मिल सकता है। उसके लिये इस सरकार को ३--४ सौ रुपये महीने व्यय करने पड़ेंगे। तो यह जो २--३ सौ रुपये महीने का ज्यादा खर्च होगा यह बोझ तो जनता पर ही पड़ेगा। इन कारणों से मैं इस धारा का विरोध करता हूं और चाहता हूं कि इसको इस विधेयक से निकाल दिया जाय।

श्री कैलाशप्रकाश—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री जगन्नाथमल्ल—श्रीमन्, मैंने तो कोई प्रस्ताव नहीं रखा, मैंने तो उस धारा का विरोध किया है।

श्री अध्यक्ष—वह भी एक तरह का प्रस्ताव ही होता है।

श्री कैलाशप्रकाश—कारण इसके पहले ही दिये जा चुके हैं। उनको मैं दोहराना नहीं चाहता।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ४

यात्रिक भत्ता ४—(१) प्रत्येक सभा सचिव को एक सौ रुपये मासिक परिवहन भत्ता (conveyance allowance) दिया जायगा।

(२) इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों द्वारा नियत किये जाने वाले प्रतिबन्धों और निरोधों (conditions and restrictions) के अधीन प्रत्येक सभासचिव, सार्वजनिक कार्य के संबंध में की गयी यात्राओं के लिये निम्नलिखित के पाने का अधिकारी होगा:—

(क) विमान, रेल या सड़क से की गयी प्रत्येक यात्रा के लिये उन दरों पर यात्रिक भत्ता (travelling allowance) जो राज्य सरकार की सेवा में कार्य करने वाले प्रथम श्रेणी के गजेटेड आफिसर्स को प्राप्य हो, और

(ख) दैनिक भत्ता (daily allowance) जो मैदानों में दस रुपये तथा पहाड़ों पर पंद्रह रुपये की दर से होगा।

श्री रामेश्वरलाल—मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि "खंड ४ का उपखंड (१) निकाल दिया जाय"।

श्रीमन्, खंड (१) यह है कि प्रत्येक सभा सचिव को १०० रुपये मासिक परिवहन भत्ता दिया जायगा। मैं इसलिये चाहता हूं कि इसको निकाल दिया जाय, क्योंकि खंड ३ के द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई है कि सभा सचिव को ६०० रुपये मासिक वेतन मिलेगा और १०० रुपये प्रतिकर भत्ता मिलेगा। तब श्रीमन्, फिर इसकी क्या आवश्यकता है कि १०० रुपये परिवहन भत्ता उनको दिया जाय और इसके साथ-साथ जब वह दौरे में जायं तो उनको आने जाने का जो किराया है, वह भी उनको दिया जाय चाहे वह हवाई जहाज से जायं, या रेल से जायं या सड़क से जायं। ऐसी परिस्थिति में मैं समझता हूं कि यह जो १०० रुपये मासिक परिवहन भत्ता रखा गया है वह अनावश्यक है और देश की पूंजी को बचाने के लिये यह आवश्यक है। इसलिये मैंने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, मैं माननीय रामेश्वर लाल जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं, जिसमें कहा गया है कि खंड ४ के उपखंड (१) को निकाल दिया जाय। श्रीमन्, खंड (१) में यह बतलाया गया है कि प्रत्येक सभा सचिव को १०० रुपये मासिक परिवहन भत्ता मिलेगा। इस विधेयक में यह भी व्यवस्था की गई है कि जब पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी बाहर जायंगे तो रेल, विमान या सड़क से अलग अलग यात्रा व्यय मिलेगा। ऐसी परिस्थिति में १००रुपये

मासिक परिवहन भत्ता पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी को देना शोभ नीय नहीं होगा और जब सरकार के हर काम में अल्प बचत योजना लागू की जाती है तो इस गिने गिनाये १०० रुपये को काट कर सरकार इस बात का परिचय देगी कि अल्प बचत योजना के अनुसार पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी और सरकारी कर्मचारियों में कोई अन्तर नहीं है। श्रीमन्, आप देखेंगे कि इस सरकार ने पिछले साल कई जिलों के चपरासियों की वर्दियों का रुपया इसलिये काट लिया कि उस पर अल्प बचत योजना लागू की गई थी। हमारे विधायक निवास के चपरासियों को वर्दी नहीं दी जाती है इसलिये कि सरकार के पास पैसा नहीं है। केवल ४,००० रुपया उनकी वर्दी में लगेगा और इस रुपये की बचत के लिये सरकार उनको वर्दी नहीं दे सकती। लेकिन यहां के पार्लियामेंटरी सेक्रेटरियों को घर से आने जाने के लिये १०० रुपया मासिक परिवहन भत्ता मिलेगा। मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है। सरकार को इसमें साफ होना चाहिये। मैं तो देखता हूं कि सभा सचिव अधिकतर मंत्रियों और उपमंत्रियों की कारों में आते जाते हैं। और मैं तो यह भी कहता हूं कि उन्हें यहां से घर तक पैदल भी चले जाना चाहिये और इस तरह करने में कोई हर्ज नहीं है। इसके अलावा ६०० रुपया मासिक जो उनको दिया जाता है उसमें से भी अगर वह १० रुपया मासिक इसके लिये खर्च कर लें तो कोई नुकसानदेह बात नहीं है। मैं समझता हूं कि उनको यह १०० रुपया मासिक देना अनुपयुक्त है। और मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह और उनके साथी अपने कथन और अपने कामों में समानता लायें। जो कुछ आप कहते हैं उसको आप करने की कोशिश कीजिये। यह गैर-मुनासिब है कि यहां के और विधायक निवास के चपरासियों की वर्दी के लिये तो हम कहें कि पैसा नहीं है और सभा सचिवों को परिवहन भत्ता देने की बात करें। मैं आपके द्वारा सदन से निवेदन करूंगा कि वह माननीय रामेश्वरलाल जी का संशोधन स्वीकार करें।

श्री कैलाशप्रकाश---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और आवश्यक समझता हूं कि जो सभा सचिव यहां रह कर काम करते हैं उनको परिवहन के लिये आवश्यकता है और इसीलिये यह जो १०० रुपये मासिक की व्यवस्था की गई है यह उचित है, इसको सदन स्वीकार करे।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ४ का उपखंड (१) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामेश्वरलाल---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (२) की पंक्ति ३ के शब्द "सार्वजनिक कार्य" के स्थान पर शब्द "सरकारी कार्य" रख दिया जाय।

श्रीमन्, यह मेरा संशोधन एक ऐसा संशोधन है कि जिसको स्वीकार करने में माननीय मंत्री जी को बहुत कठिनाई नहीं होगी। श्रीमन्, मैं उधर बैठने वालों को कुछ खरीखोटी सुनाने की नियत से इस संशोधन को नहीं लाया हूं। मैं अपने कुछ अनुभवों और तथ्यों के आधार पर कुछ निवेदन करूंगा और उसी के साथ मेरा यह सुझाव है और वह इसको स्वीकार करें इस गरज से मैंने यह संशोधन उपस्थित किया है। सरकारी और सार्वजनिक कार्यों में मैं अन्तर समझता हूं और मैंने देखा है कि हमारे मंत्री और उपमंत्री और सभा सचिव सरकारी कार्यों के नाम पर, सार्वजनिक कार्यों के नाम पर जातिवाद, सम्प्रदायवाद आदि का प्रचार करने के लिये जाते हैं। श्रीमन्, पिछड़ी जाति का सम्मेलन, हरिजनों का सम्मेलन, राजपूतों का सम्मेलन, कायस्थों का सम्मेलन या अहीरों का सम्मेलन के नाम से परचे छापे जायं और उसमें हमारे मंत्रिगण जायं तो मैं समझता हूं कि यह जातिवाद के सिवाय और किसी चीज का प्रचार नहीं है। हमारे जिले में अभी पिछली

[श्री रामेश्वरलाल]

७ तारीख को इस तरह का सम्मेलन हुआ था उसमें इस सदन के कई सदस्य और मंत्री-गण लोग वहां पर पहुंचे थे। श्रीमन्, यदि ऐसी सभाओं में जाने के लिये मंत्रियों को छुट्टी हो और उसके लिये भत्ता मिले और आने जाने का भी भत्ता मिले तो मैं समझता हूं कि जातिवाद और धर्मवाद के नाम पर साम्प्रदायिक भावनाओं के प्रचार करने में बड़ा बल मिलेगा। इसलिये यदि सरकारी कामों में जाने के लिये, सरकारी कार्यों में जाने वाले लोगों के लिये भत्ता दिया जाय तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। इसलिये मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है और मैं समझता हूं कि इसमें माननीय मंत्री जी को मानने में कोई अड़चन पैदा नहीं होगी और कम से कम इसको वह अवश्य स्वीकार करेंगे।

श्री रामसुभग वर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन माननीय रामेश्वर लाल जी ने रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं श्रीमन्, अगर यह जो खंड ४ का उपखंड (२) मान लिया जाय जिसमें यह लिखा हुआ है कि 'इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों द्वारा नियत किये जाने वाले प्रतिबन्धों और निरोधों के अधीन प्रत्येक सभासचिव, सार्वजनिक कार्य के सम्बन्ध में की गयी यात्राओं के लिये निम्न-लिखित पाने का अधिकारी होगा :

(क) विमान, रेल या सड़क से की गयी प्रत्येक यात्रा के लिये उन दरों पर यात्रिक भत्ता जो राज्य सरकार की सेवा में कार्य करने वाले प्रथम श्रेणी के गजटेड आफिसर्स को प्राप्य है, और

(ख) दैनिक भत्ता जो मैदानों में दस रुपये तथा पहाड़ों पर पन्द्रह रुपये की दर से होगा।"

अगर यह पास हो जाय तो इस तरह से जनता के पैसे का दुरुपयोग के सिवाय और कुछ नहीं होगा। श्रीमन्, मैं अनुभव के आधार पर बतलाता हूं कि आज कल कोई भी काम जो सार्वजनिक नाम पर होते हैं जैसा कि रामेश्वरलाल जी ने बताया कि ज्यादातर आज देहातों में जो मीटिंग हुआ करती हैं उनमें सरकार के मंत्री, सभासचिव या उपमंत्री जाते हैं तो यह कांग्रेस पार्टी के प्रचार करने के लिये, कांग्रेस के नाम पर तो कोई इस तरीके से सभा होती नहीं, हरिजनों के नाम पर सभा बुलायी जाती है और उसमें सब लोग इकट्ठा होते हैं उसमें मंत्री और सभासचिव जाते हैं तो सरकार के कर्मचारी कलेक्टर, तहसीलदार उनके स्थानों को घेरे रहते हैं। वह अपने जिलों से और अपने इन्तजाम से अपने यहां की कार में बैठाकर सभा तक उनको पहुंचाते हैं। वहां जाकर उस मंच पर जिस कार्य के लिये वह जाते हैं वह नहीं करते बल्कि पार्टी का प्रचार करते हैं। इसी तरह से पिछड़ी जाति की सभा रखी जाती है और उसमें मंत्री, सभासचिव या उपमंत्री उसका उद्घाटन करने के लिये जाते हैं और पिछड़ी जाति की सभा के नाम पर सभा की जाती है और पार्टी का प्रचार किया जाता है। श्रीमन्, मैं आपके सामने यह कहूं कि सार्वजनिक सभा में मंत्री जाय तो बहुत सुविधा मिलती है लेकिन और कोई जाय तो वह सुविधा नहीं मिलती है। एक मर्तबा का मैं जिक्र बतलाऊं। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, हमारे यहां दुढी क्षेत्र...

श्री अध्यक्ष—वैयक्तिक बात न कहें तो अधिक अच्छा हो।

श्री रामसुभग वर्मा—मैं किसी और के बारे में नहीं कह रहा हूं। माननीय मंत्री हमारे यहां मीटिंग में जाने वाले थे। मैंने उनसे अनुरोध किया कि मुझे भी साथ ले चलें और उन्होंने आश्वासन दिया कि चले चलना। मगर चलते समय मुझे चकमा दे दिया कि हवाई जहाज में एक ही आदमी की जगह है और मैं नहीं चल सकता। मैं

एक पिछड़ी जाति का होते हुये मालूम नहीं मंत्री जी को मुझसे छूने का डर हुआ। लेकिन मैं वहां कुछ गाड़ी से और कुछ साइकिल पर, वहां पहुंचा और उनका स्वागत किया। उन्होंने पूछा तो मैंने कहा कि आपकी मेहरबानी से मैं आगया। वहां सार्वजनिक सभा सरकारी तौर से रखी गई थी और सारे जिले के पटवारी और सरकारी कर्मचारी जमा हुए थे। सारे जिले के कांग्रेस कार्यकर्ता भी थे। लेकिन वहां सरकारी काम न होकर एक पार्टी का प्रचार हुआ, यह उचित नहीं है। इसलिये माननीय रामेश्वर लाल जी का संशोधन मान लिया जाय तो किसी को भ्रम नहीं होगा माननीय मंत्री जी रुपये का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। इसलिये मैं उनसे कहूंगा कि इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री रामहेत सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं रामेश्वरलाल जी के संशोधन का विरोध करता हूं। सार्वजनिक और सरकारी कार्य की व्याख्या वे कैसे करेंगे? मान लीजिये कि एक सड़क का निर्माण मैंने श्रमदान से कराया और उसके सिलसिले में एक जलसा करता हूं कि जनता में उत्साह हो। मैं एक सभासचिव को वहां पर आमन्त्रित करता हूं और यह चाहता हूं कि किसी प्रकार से जनता में भावना हो कि निर्माण कार्य ज्यादा से ज्यादा हो जिससे राष्ट्र की और हमारे प्रदेश की उन्नति हो। मैं इस भावना से उन्हें बुलाता हूं कि समाज का कार्य हो। तो ऐसे अवसर पर अगर कोई सभासचिव जाता है सार्वजनिक कार्य के लिये तो माननीय रामेश्वरलाल जी कैसे साबित करेंगे कि सभासचिव सरकारी कार्य के लिये गये, सार्वजनिक कार्य के लिये नहीं। या किसी पार्टी के कार्य के लिये गये। मालूम नहीं वह इसे कैसा कार्य कहेंगे। मैं तो इसे सार्वजनिक कार्य कहूंगा। श्री रामेश्वरलाल जी उसको सरकारी कह सकते हैं। इसी तरह अगर किसी अस्पताल के निर्माण का सवाल है, मैं उसके लिये किसी सभासचिव को बुलाता हूं या और कोई पब्लिक का आदमी उनको बुलाता है, इसलिये कि उनके आने से पब्लिक में ज्यादा चन्दा हो लेकिन उसके लिये भी हमारे विरोधी भाई कह सकते हैं कि वे सरकारी कार्य से गये और वहां प्रचार किया। अध्यक्ष महोदय, यह एक भ्रम है।

जहां तक हरिजनों का सवाल है यह सरकार की नीति है कि हरिजनों का उद्धार हो। इसके लिये सरकार जो स्कीम चलाती है, उसमें अगर वह चाहती है कि पूर्णतया उसको सफलता प्राप्त हो तो सरकार को अपने उस उद्देश्य को हरिजनों को बताने के लिये जो उनके सम्मेलन होते हैं उनमें कहना चाहिये कि हम क्या क्या कर रहे हैं और स्वराज्य होने के बाद हमने उनको क्या क्या सुविधायें दी हैं। अगर उस सम्मेलन में पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी अथवा मिनिस्टर साहब भाषण देते हैं और अपनी नीति को पब्लिक के सामने रखते हैं तो अध्यक्ष महोदय, इसे हम सार्वजनिक कार्य कहेंगे अथवा सरकारी कार्य। यह एक ऐसी चीज है जिसकी अलग अलग व्याख्या नहीं की जा सकती है।

मान लीजिये मैं गांव समाज का प्रधान हूं। हम लोग परती जमीन में कुछ पेड़ लगवाना चाहते हैं और उसके उत्सव के लिये मैं माननीय मंत्री जी को आमंत्रित करता हूं। वहां पर मंत्री जी जाकर कहते हैं कि "पेड़ लगाना बहुत उत्तम है, विज्ञान बताता है कि उसमें हमें बहुत लाभ होते हैं" इसी प्रकार अगर और भी उद्देश्य और कारण उसे बताते हैं जिससे जनता उत्साहित होती है या जनता पर असर पड़ता है तो मैं तो इसे सार्वजनिक कार्य ही कहूंगा। अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसी चीज है कि इससे हमारा दायरा बहुत सीमित हो जाता है और हम अपने कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिये हमारे मित्र का जो संशोधन है वह ठीक नहीं है और जो विधेयक में रक्खा हुआ है वही उचित है, वही रहना चाहिये।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने संशोधन प्रस्तुत करने वाले महाशय का भाषण नहीं सुना लेकिन जहां तक सार्वजनिक और सरकारी कार्य की व्याख्या है उसमें कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है। जहां तक मेरा अनुभव है मंत्रिगण जो भी दौरा करते हैं उसको सार्वजनिक नाम अवश्य दिया जाता है। लेकिन उस सार्वजनिक की व्याख्या यह है कि अगर एक सोशलिस्ट भी अगर किसी कार्य का संचालन करता है, उद्घाटन कराता है, किसी सड़क का निर्माण कराता है, अथवा कोई स्वतंत्र व्यक्ति कोई सार्वजनिक कार्य कराता है तो उसके उस कार्य में भी मंत्रियों को भाग लेना चाहिये। लेकिन प्रायः देखा जाता है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा या कांग्रेस मैन द्वारा जो कार्य संचालित होता है उसमें ही मंत्रिगण जाते हैं, अथवा डिप्टी मिनिस्टर या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में सार्वजनिक कार्य का तो नाम है। इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, मेरा यह अनुभव है कि जो मंत्रिगण जाते हैं वे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सुपरविजन में काम करते हैं। जितने मंत्री हैं, मेरा अपना ऐसा मत है, कि वे सारी जनता के हैं। जब वे सारी जनता के हैं तो उनको यह नहीं होना चाहिये कि कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता में ही वे कार्य करें। लेकिन जब वे जाते हैं तो कांग्रेस कमेटी के मंत्री उनको इन्ट्रोडयूस कराते हैं। कोई सभा हो कांग्रेसी व्यक्तियों को ही उसमें भाषणों की प्राथमिकता दी जाती है। मैं चाहता नहीं हूं कि किसी बात का आपके सामने उदाहरण दूं, लेकिन अभी मेरे जिले में एक उद्घाटन हुआ। उस क्षेत्र के एम० एल० ए० कोई दूसरे थे लेकिन जिले के दूसरे एम० एल० ए० को नाम लेकर बुलाया गया। मेरा अपना विचार यह है कि जब ऐसे उद्घाटन हों तो उसी जगह के एम० एल० ए० को जो वहां का प्रतिनिधि हो, चाहे वह कांग्रेस पार्टी का हो, अथवा सोशलिस्ट पार्टी का हो किसी भी पार्टी का हो, चाहे अपनी पार्टी का हो, चाहे दूसरी का, वहां की जनता का जो प्रतिनिधि है उसको यह मौका देना चाहिये कि सार्वजनिक कार्यों में मीटिंगों में या दूसरे प्रकार के कार्यों में जब जायं तो वहां के प्रतिनिधि उनका इंट्रोडक्शन दें। हो सकता है कि वह इन कार्यों में अपनी उदासीनता दिखाये और आमंत्रित करने पर भी न आये। ऐसी हालत में यह आवश्यक नहीं है कि वह इंट्रोडयूस करें ही लेकिन उनको आमंत्रित जरूर किया जाना चाहिये। जो दूसरी पार्टियों के एम० एल० ए० हैं, जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं उनके लिये आवश्यक है कि वे जनता के प्रतिनिधि होने के नाते उनको अधिकार हो कि उनको यह अवसर दिया जाय कि जब सार्वजनिक कार्यों के बहाने मंत्रीगण दौरा करते हैं और टी० ए० चार्ज करते हैं, और जो सार्वजनिक व्यय उनके ऊपर होता है तो वह किसी भी पार्टी विशेष से या किसी व्यक्ति विशेष से आमंत्रित होकर न जाया करें। ऐसी परिस्थिति में या तो सरकार की ओर से कोई एलान बिल्कुल साफ साफ हो जाना चाहिये कि सार्वजनिक कार्यों के अर्थ वही नहीं है जो कांग्रेस पार्टी या किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता द्वारा संचालित सार्वजनिक कार्य हैं।

किसी भी पार्टी द्वारा या किसी भी जनता के प्रतिनिधि द्वारा अगर उनको किसी सार्वजनिक कार्य के लिए आमंत्रण आता है तो उसमें उनको अवश्य जाना चाहिये। जो शिक्षा सम्बन्धी संस्थायें हैं, चाहे वह कांग्रेस पार्टी या किसी कांग्रेसी कार्यकर्ता द्वारा संचालित हो अगर उनमें मंत्रीगण या दूसरे अधिकारी लोग जाते हैं और वहां पर सब प्रकार के कार्य करते हैं तब मैं यह कहता हूं कि दूसरी पार्टियों द्वारा जो संचालित स्कूल हैं उनके लिये भी यदि आमंत्रित किया जाय तो वह लोग नहीं जाते हैं। यह मेरा निजी अनुभव है। उनको जाना चाहिये। मैं नहीं जानता कि पार्टी का क्या आदेश है लेकिन मेरा यह निश्चित मत है कि अगर वे सार्वजनिक कार्य होने का दावा करते हैं तो उनको किसी भी पार्टी विशेष या व्यक्ति विशेष द्वारा आयोजित आयोजनों में अवश्य जाना चाहिये। और अगर इस प्रकार की कोई व्याख्या नहीं की जाती है तो फिर मैं माननीय रामेश्वर लाल जी के प्रस्ताव से सहमत हूं कि किसी भी पार्टी द्वारा या किसी भी व्यक्ति विशेष द्वारा संचालित कार्यों में मंत्री लोग न जायं। यदि यह भाव हो तो

इस संशोधन को स्वीकार हो जाना चाहिये। इसलिये मैंने अपना विचार प्रकट किया चूंकि जैसे पहले ही मैंने कहा था कि मैंने संशोधक महोदय के भाषण को नहीं सुना, लेकिन मेरा निजी अनुभव है कि सार्वजनिक कार्य के नाम पर किसी पार्टी विशेष या किसी व्यक्ति विशेष द्वारा संचालित सार्वजनिक कार्यों को सार्वजनिक कार्य नहीं समझना चाहिये, और अगर इस प्रकार से संचालित कार्यों में ही केवल सार्वजनिक कार्यों का नाम लेकर मंत्रिगण जाते हैं तो डिमोक्रेसी के लिये यह अच्छा उदाहरण नहीं है, क्योंकि जनतंत्र का यह नया चैप्टर है और इसमें माननीय मंत्रियों को आदर्श उपस्थित करना चाहिये और जनता के प्रतिनिधि होकर केवल जनता द्वारा संचालित कार्यों में ही भाग लें।

श्री हरिप्रसाद—माननीय अध्यक्ष महोदय ,माननीय रामेश्वरलाल जी ने जो संशोधन रखा है म उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। सार्वजनिक का मतलब मैं नहीं समझा कि सार्वजनिक किसको कहते हैं? क्या सार्वजनिक उसको कहते है कि किसी मंत्री ने जाकर किसी जलाशय पर एक ईट रख दी ? तो क्या उस ईंट से कोई बिल्डिंग खड़ी हो सकती है ? माननीय मंत्री जी ने एक ईंट रखने पर दो सौ रुपये खर्च किया। अगर यही दो सौ रुपये एक मजदूर को दे दिये जायं और उस मजदूर की मजदूरी एक रुपये प्रतिदिन हो, तो वह दो सौ रुपये में बिल्डिंग बनाकर खड़ा कर सकता है। आजकल मंत्री लोग और सभासचिव जहां गांवों में दौरा करते हैं उसके बाद यहां आकर डींगें मारते हैं कि हम प्रदेश के कोने-कोने का हाल जानते हैं। मैं क्या पूछ सकता हूं कि यहां ४३१ एम० एल० ए० हैं क्या वे सब के हाल जानते हैं? क्या वह सबको जानते हैं जो कोने-कोने की बात जानने की बात कहते हैं। माननीय कैलाशप्रकाश जी और अली जहीर साहब जो यहां बैठे हैं, अध्यक्ष महोदय आपने मेरा नाम ले दिया वर्ना शायद वह यह भी न जानते होते कि मेरा नाम क्या है और मैं कहां का रहने वाला हूं। अगर वह जानते हैं तो मैं बैठा जाता हूं और वह बतला दें कि मैं कहां का रहने वाला हूं। जब वह ४३१ लोगों को नहीं जानते तो सूबे भर की डींग कैसे मारते हैं? किसी जिले में जाते हैं देखना भालना कुछ नहीं, रानी चन्द्रावती जी के यहां दावत खा आते हैं देख कर क्या जाते हैं? बात भी तो किसी से नहीं करते।

श्री अध्यक्ष—जरा अपनी भाषा को पार्लियामेन्टरी भाषा के दायरे में ले आइये।

श्री हरिप्रसाद—भाषा बनाना मुझे आता नहीं, ज्यादा लेक्चर देना भी नहीं आता सीधीसादी बात कहनी आती है। मंत्रियों ने उद्घाटन करना एक काम बना रक्खा है जनता के हित की कोई बात नहीं देखते। अगर पान और बीड़ी की दूकानों का उद्घाटन करने का भी काम आ जाये तो वहां भी दौड़े चल जायंगें। तो इस काम से जनता का कोई हित होने वाला नहीं है। जनता के पैसे का इससे दुरुपयोग ही होता है। सार्वजनिक कार्य में पान बीड़ी का उद्घाटन तो नहीं आता और न सरकारी कार्य में यह आता है। सरकारी कार्य में कचहरी और पुलिस का काम देखें, जनता की जो तकलीफें हैं उनको सुने, लेकिन जनता की बात को कोई नहीं सुनता। अगर कहीं इंस्पेक्शन करने गये तो दो चार आदमी जो लल्लो चप्पो और जी हजूरी करने वाले हुए उनकी बात को सुना और जनता की बात नहीं सुनी और वक्त हुआ तो किसी धार्मिक संस्था में चले गये उसका उद्घाटन कर दिया। कुछ कौमी बातों की तरफ एक दफा झुके तो नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान बन गया, आगे मालूम नहीं कौन-कौन तान बनने वाले हैं। इस तरह से बार-बार उद्घाटन करने में जनता का पैसा खर्च न करें। अगर ऐसा करेंगे तो सारा पैसा उद्घाटन करने में खर्च हो जायगा और इस तरह से जनता के पैसे का दुरुपयोग होता रहेगा और वक्त भी बरबाद होता रहेगा। मंत्री जी से

[श्री हरिप्रसाद]

कहूंगा कि हर जिले में जाकर जनता की बात सुने, उससे निकटतम सम्पर्क स्थापित करें और जनता के दुख और तकलीफ को मिटायें तो अच्छा है। अगर केवल उद्घाटन में ही जाते हैं तो यह बात समझ में नहीं आती। अगर करना है तो जनता के हित के काम करें। रामेश्वरलाल जी ने जो सरकारी कार्य बढ़ाया है उसका मैं इसीलिये समर्थन करता हूं और मंत्री जी से आशा करता हूं कि इस तरह की वाहियात बातों में न पड़ें।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया।)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के सिलसिले में कुछ ऐसी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं जिससे सरकार की प्रतिष्ठा बढ़े और इस संशोधन के स्वीकार कर लेने से किसी सरकारी काम में भी दिक्कत न पड़े। माननीय रामेश्वरलाल जी के संशोधन पर जो माननीय रामहेतसिंह जी ने यह कहा कि सरकारी और सार्वजनिक शब्दों में क्या भेद है तो भेद करना वाकई कुछ कठिन मालूम होता है। सार्वजनिक का मतलब जो अब तक लगाया जाता रहा है सरकारी शब्द से ही उसका सम्बन्ध रहा है। पब्लिक सर्वेन्ट सरकारी कर्मचारी को कहते हैं। पब्लिक परपज़ जो है उसकी डेफीनीशन कुछ जगहों पर तो है और हमारा ऐसा खयाल है कि संभवतः पहले अगर इस पब्लिक पर्पज़ का कुछ अधिक दृढ़ता के साथ विचार किया जाता था जैसा आज नहीं होता। इधर जो हमारे कुछ सदस्यों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया कुछ अकारण नहीं है।

सही बात तो यह है कि अब बेचारे पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी हमारे सामने इस विधेयक में आते हैं। लेकिन जो माननीय सदस्यों की भावना है वह उन बेचारे पार्लियामेंटरी सेक्रेटरियों के सम्बन्ध में तो है ही, उनके साथ-साथ माननीय मंत्रीगण और माननीय उपमंत्री गण के काम करने के तरीके पर उनका गुस्सा है, नाराजगी है। और इस सिलसिले में अब वह कहते हैं अपनी बात जो अनुभव उनका है। उस अनुभव पर आधारित जो उनका विचार है वह व्यक्त करते हैं। यह बात सही है जैसा कि माननीय रामसुभग जी ने कहा कि कुछ तो सीमा होनी चाहिये। मिनिस्टर साहब स्वयं क्यों नहीं विवेक से काम लेते हैं कि सार्वजनिक और असार्वजनिक कौन कार्य हैं? अगर वह स्वयं विवेक से काम लें तो शायद यह झगड़ा न खड़ा हो। जैसा कि माननीय रामहेत सिंह जी ने कहा सार्वजनिक हित में सड़क बनाते हैं और सड़क का उद्घाटन करने को वह मंत्री जी से कहते हैं। मंत्री जी को जाना चाहिये। मैं कहता हूं कि कोई आपत्ति नहीं। उनके पास समय हो वह जायं। लेकिन इसका ध्यान रखें कि यदि वह सार्वजनिक कार्य है तो सार्वजनिक कार्य में किसी को रोका नहीं जा सकता। हमें ऐसे उदाहरण मिले हैं कि जिन जगहों पर माननीय मंत्रियों को बुलाया गया उन्होंने उसका राजनीतिक सम्मेलन नाम रखा, जिले का राजनीतिक सम्मेलन मंडल का राजनीतिक सम्मेलन उनमें भाग लेते हैं, और अगर वह सरकार का राजनीतिक सम्मेलन हो तो हर आदमी उसमें शिरकत कर सकता है। उसमें भेद नहीं करना चाहिए कि फलां झंडे वाला नहीं आयेगा, अमुक झंडे वाला ही आ सकता है। अगर मिनिस्टर साहब किसी राजनीतिक सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं, और सार्वजनिक धन के खर्च पर वह जाते हैं तो मैं कहता हूं कि क्यों न सभी राजनीतिक पार्टियां उसमें शिरकत करें। सभी राजनीतिक पार्टियों को शिरकत करने का हक है। और अगर मिनिस्टर साहब इस राजनीतिक सम्मेलन में हिस्सा लें, मैं कहता हूं कि जिस दल से चुनकर वह मिनिस्टर हुए हैं, उसके राजनीति सम्मेलनों में हिस्सा लेने का अपनी पार्टी का काम करने का उन्हें अख्तियार है। केवल यह ध्यान रखा जाय कि जिस वक्त पार्टी के कामों और चुनावों में पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी, डिप्टी मिनिस्टर और मिनिस्टर साहब तशरीफ ले जायं उस वक्त सरकारी साधनों का उपयोग न हो। सरकारी साधनों का जिस वक्त उपयोग होता है उस वक्त कष्ट होता है। यह एक सिद्धान्त की बात है।

जिस पर हमारे मिनिस्टरों को बेरहमी के साथ आचरण करना पड़ेगा। अगर बेरहमी के साथ आचरण नहीं करेंगे तो हमको जो सबक सिखा रहे हैं माननीय रामहेत सिंह जी वह बेकार होगा। माननीय अली जहीर साहब ने फरमाया कि हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि इधर बैठे हुए हैं, माइनारिटी में बैठे हुए हैं। मैजारिटी से पास हो जायगा, कानून से सारा लाभ उधर बैठे हुए उठायेंगे। मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि सारे संसार की किसी जगह का उदाहरण दें कि विरोधी दल ने जिस कानून का विरोध किया हो और जब वह कानून बन गया हो तो उसके उल्टा विरोधी दल चलता हो जब तक कि कोई विशेष परिस्थिति न उत्पन्न हो जाय। किसी मुल्क में आप बतायें, माननीय अली जहीर साहब हमें बतायें तो हम यह सोचेंगे। मैं तो कुछ बेवकूफी करता भी था और अब भी करता हूं। मैंने पता लगाया कि तुलसीराम जी थर्ड क्लास का किराया लेते हैं और अपने वेतन में से भी कुछ कम लेते हैं। तो मेरी समझ में यह बात आयी, सचमुच यह बात बड़ी गलत मालम हो रही है, थर्ड क्लास का ही किराया लेना चाहिए। जिस दरजे में सफर करे उसी का किराया ले। लेकिन अक्ल की बात हमें अब भी वह नहीं मालूम होती। बहुत कम सफर ऐसे होंगे जिनमें मैंने फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास का किराया लिया होगा।

लेकिन क्या हुआ उससे ? क्या माननीय अली जहीर साहब ने हमारा अनुकरण किया ? माननीय चीफ मिनिस्टर साहब ने अनुकरण किया ? मैं गरीब आदमी हूं, दो सौ रुपया वेतन पाता हूं, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं कि किस तरह से उसे खर्च करता हूं। १ हजार और १२ सौ रुपया हमारे मिनिस्टर साहबान पाते हैं तो उनको भी तो कुछ अनुकरण करना चाहिये। तो मैं बहुत अदब से गुजारिश करना चाहता हूं कि एक मर्यादा हो जाय। केवल यह कहना कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी लोगों के लिये यात्रिक भत्ता सार्वजनिक नाम पर दिया जाय उसमें कोई आपत्ति हमको नहीं है अगर सचमुच वे सरकारी काम से जाते हैं। माननीय रामहेतसिंह जिस काम से बुला रहे हैं उसमें मुझे आपत्ति नहीं है सड़क का उद्घाटन करने में, किसी चीज का उद्घाटन करने जायं। लेकिन कुछ एक कोड हमारा बनना चाहिये। हमारा देश बन रहा है, नई डेमोक्रेसी है, प्रजातन्त्र है। यह भी कहा जाता है कि सारे संसार की डेमोक्रेसी से हमारी डेमक्रेसी कुछ उत्तम होगी। ठीक राह दिखाने वाली होगी। मैं और मुल्कों के बारे में सुनता हूं कि जो मिनिस्टर हैं वह मिनिस्टर बसों पर चलते हैं, बसों में चल करके अपनी गुजर कर लेते हैं। मैं सेन्ट्रल के मिनिस्टरों को देखता हूं कि उनको सरकारी गाड़ियां नहीं मिलती। हमारे मिनिस्टर साहबान का २०-३० हजार की गाड़ी के बिना काम नहीं चलता है और वह भी दो वर्ष के बाद बदल दी जाती हैं क्योंकि वह शान के खिलाफ़ हो जाती है। तो मैं कहता हूं कि ठीक है, सही है, हम सारी सुविधायें देने को तैयार हैं लेकिन जरा मुल्क की तरफ तो देखा जाय। सारे मुल्क की तरफ देख करके तब इन सुविधाओं को प्राप्त किया जाय और उन मर्यादाओं को जो हम कायम करके दूसरे मुल्कों को भी शिक्षा दे सकते हैं, सबक सिखाने को कह सकते हैं, वह भी हमें करना चाहिये। हम कहते हैं इस बात को, माननीय हाफिज जी और डा० सम्पूर्णानन्द जी बैठे हैं, देश के नेता हैं, बुजुर्ग हैं इनके प्रति लोगों की श्रद्धा है। तो जिनके प्रति लोगों की श्रद्धा है उनके आचरण ये हैं, उनके कहने के अनुसार जो इधर बैठे हुए हैं उनसे इन्फीरियर हैं। यह बात समझी हुई है कि आज माननीय हाफिज जी पावर में हैं, डेमोक्रेसी है, और अगर डेमाक्रेसी के सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं हाफिज जी, तो उनको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि कभी वे वहां से उठ करके यहां बैठ सकते हैं और यहां बैठने के बाद वही सारे कुकर्म करने लगेंगे। मैं क्षमा चाहूंगा कि मैंने कुकर्म कह दिया, जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है वही करने लगें तो मैं पूछता हूं कि उस तरफ के बैठने वालों को शिकायत होगी या नहीं ?

[श्री गेंदासिंह]

आज जाते हैं माननीय मंत्री लोग, अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में जाते हैं, हमारे वोस्त जो इधर बैठे हैं उनके क्षेत्र में जाते हैं, और उनको वहां खरी-खरी गालियां सुनाते हैं। जो यहां बैठे हुए हैं उनको कहते है जनता में कि वे निकम्मे हैं इनको वोट देकर गलती की। अगर तुमने वोट न दिया होता तो तुम्हारे क्षेत्र का काम बन जाता, नेशनल ऐक्सटेंशन सर्विस ब्लाक होता, यहां कम्यूनिटी सेन्टर होता, अस्पताल खुलता। लेकिन तुमने तो उन लोगों को वोट दे दिया जो उधर बैठते हैं, विरोधी हैं, इसलिये तुम्हारे यहां काम नहीं होगा। मिनिस्टरों के जो जिम्मेदार लोग हैं उनके ऐसे भाषण हैं। अब अध्यक्ष महोदय, बतायें आप कि यह सार्वजनिक पैसा जो हम मंजूर करते हैं वह इसलिये मंजूर करते हैं कि जा करके चुनाव की बातें करो? यह बहुत ही अनुचित बात है और इन अनुचित बातों को रोकना चाहिये। मैं जानता हूं और कहता हूं इस बात को कि आज जिस जगह पर कांग्रेस है शायद उतनी शक्ति देश में आगे आने वाले जमाने में किसी राजनीतिक दल को नहीं मिलेगी। इतनी बड़ी शक्ति रहते हुए यह बहुत छोटा काम है। क्या है विरोधी दल? जो चाहें सो पास कर लीजिये विरोधी दल क्या कर सकता है, उसकी कौन सी शक्ति है? श्री राजनारायण उठ कर चले गये, हम लोग अगर उठ कर चले जायं तो क्या बिगाड़ लेते हैं? हम आपके विवेक से अपील करते हैं और उनकी बात को सुनकर कम से कम उस पर विचार तो करिये। इसलिये मैं कहता हूं कि इस सिलसिले में मुझे यह कहने का साहस हुआ उसके लिये मैं क्षमा चाहूंगा और मैं क्षमा चाहूंगा अपने बुजुर्गों से, अपने माननीय मंत्रियों से कि जो बात मैंने कही है वह थोड़ी सी कड़वी है।

माननीय हाफिज़ जी ने शुरू में ही कह दिया कि अपोज़ीशन लीडर ने जो कुछ कहा वह जैसी माकूल बातें वह पहले कहा करते थे, उस तरह की बातें नहीं कहीं। मैं क्या कहूं। मेरे क्षेत्र में या दूसरे क्षेत्र में माननीय हाफिज़ जी गये होते और इस तरह की बातें वहां कहते तो मैं कहे बगैर न रहता। मैं ज़रूर कहूंगा और मैं माननीय मन्त्रियों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि उनको कहने का हक है, मैं उनका हक नहीं छीनना चाहता, मैं सोचता हूं कि उनको कहने का हक है। वह जो चाहें हमको कहें, निकम्मा बनायें या जो चाहें बनायें, लेकिन कम से कम सरकारी घोड़े पर न जायं, सार्वजनिक घोड़े पर न जायं। वह कांग्रेस के घोड़े पर बैठ कर चाहे जहां जायं और चाहे जहां आयें। लेकिन यह बुरा काम है और बुरा काम करने के लिए यह सरकारी घोड़े नहीं हैं। वह तो अच्छा काम करने के लिए हैं। बुरा काम करने के लिए सब दलों के पास घोड़े हैं, उस पर वह जायं।

एक बात और कहूंगा। यह बुरा उदाहरण वह पेश कर रहे हैं। जो लोग प्रबन्ध करते हैं, सरकारी अफसर जो उस तरह का प्रबन्ध करते हैं वह प्रबन्ध तो कर देते हैं हमारे मिनिस्टर साहबान के लिए, उपमंत्रियों के लिए, और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरियों के लिए लेकिन आपस में बैठ कर कहते हैं कि यह हमको उसूल सिखाने चले हैं। जो अपने ही उसूलों में गिरे हुए हैं वह हमको उसूल क्या सिखायेंगे? यह हमारी सर्विसेज़ को डिमारलाइज़ इस प्रकार से करते हैं। और यह हमारे जैसे लोगों की हिम्मत पस्त करता है। मैं मानता हूं कि आप हमसे आगे चलने वाले बुजुर्ग हैं, आपको कोई बात हमको नहीं पसन्द आयी, यहां बैठ कर हमने उसका विरोध किया, लेकिन हम आपसे यह उम्मीद नहीं करते हैं कि आप वहां बैठ कर ऐसे काम करेंगे जो देश की आंख में खटकता रहेगा और जिसकी वजह से दुनिया आपको बुरा कहेगी। ऐसी उम्मीद हम आपसे नहीं करते हैं। इस दृष्टि से देखने के नाते हमारा आप बाहर चाहे जो भी नाम रख दीजिए। कुछ हमारे दोस्त हैं जो हमको कहा करते हैं सहयोगी नेता.....

श्री सीताराम शुक्ल—बात तो ठीक कहते हैं।

श्री गेंदासिंह—शुक्ल जी अगर ऐसा समझते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। डेमोक्रेसी में मैं समझता हूं कि अगर साथ बैठ करके दो बातें करने की स्थिति न पैदा कर सकें तो यहां बैठने की जरूरत ही नहीं है। इतने में तो सहयोग हम करते ही हैं। हम ऐसी स्थिति नहीं पैदा करना चाहते हैं कि हमारी बात आप न सुन सकें और आपकी बात हम न सुन सकें, और दोनों आपस में विचार विनिमय न कर सकें। डेमोक्रेसी में इस बात की जरूरत होती है और उस दर्जे तक सहयोग करने से शुक्ल जी हमको रोकेंगे तो डेमोक्रेसी के सिद्धान्तों का विरोध करेंगे और आज जो कोई भी ऐसा करता है वह विरोध करता है, ऐसा मैं मानता हूं। तो अध्यक्ष महोदय, मुझे और कुछ कहना नहीं है। मैंने अपनी भावनाओं को व्यक्त कर दिया और मैं समझता हूं कि सरकार को इन बातों पर विचार करके, जो माननीय रामेश्वरलाल जी ने संशोधन रखा है उसमें भेद करने के ख्याल से, उस संशोधन को स्वीकार कर लें तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५९ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१६ जनवरी, १९५६।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२९ पर)

नाम जिला	नाम तहसील	परती भूमि जो अब तक भूमि प्रबन्धक समितियों द्वारा बन्दोबस्त किया गया	आबादी भूमि जो प्रबन्धक समितियों द्वारा बन्दोबस्त किया गया	आसामी को दी जाने वाली भूमि का जो भूमि प्रबन्धक समितियों द्वारा बन्दोबस्त किया गया
जौनपुर ..	शाहगंज	१५.९४ एकड़	....	....
	केराकत	१२.०९ एकड़	०.२० एकड़	०
	जौनपुर	७.६२ एकड़	...	...
	मड़ियाहूं	११३.३१ एकड़	....	...
	मछली शहर	११५.९१ एकड़	....	३.३१ एकड़
योग ..		२६४.८७ एकड़	०.२० एकड़	३.३१ एकड़

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३२ पर)

ज़िला जालौन की तहसील कालपी में कदौरा बावनी राज्य के गांवों की भूमि की श्रेणियां और प्रति एकड़ लगान का सर्किल रेट का विवरण-पत्र ।

बन्दोबस्त हल्का	कछार तरी	कछार १	कछार २	कछियाना तुर्शवा	गौहान आबी	गौहान खाकी	मार १ आबी	मार १ खाकी
सर्किल १ (अ)	१० ८	७ ४	४ ८	१०	६ ४	५ १२	७	५ १२
सर्किल १ (ब)	१० ४	७	४ ४	९ १२	६	५ ८	६ १२	५ ८
सर्किल २ (अ)	१०	६ १२	४	९ ८	५ १२	५ ४	६ १०	५ ४
सर्किल २ (ब)	९ १२	६ ८	३ १२	९ ४	५ ८	४ १२	६ ८	५
सर्किल ३ (अ)	९ ८	६ १४	३ ८	९	५ ४	४ ८	६ ६	४ १४
सर्किल ३ (ब)	९ ४	६	३ ४	८ १२	५	४ ४	६ ४	४ १२

बन्दोबस्त हल्का	मार २ आबी	मार २ खाकी	कावर १ आबी	कावर १ खाकी	कावर २ आबी	कावर २ खाकी	पड़वा १ आबी	पड़वा १ खाकी
सर्किल १ (अ)	६ १२	४ ६	६	४	६	३ ४	५ ८	३ १०
सर्किल १ (ब)	६ ८	४ ४	५ १४	३ १४	५ १४	३ २	५ ४	३ ८
सर्किल २ (अ)	६ ६	४ २	५ १२	३ १२	५ १२	३	५	३ ६
सर्किल २ (ब)	६ ४	४ ०	५ ८	३ १०	५ ८	२ १४	४ १२	३ ४
सर्किल ३ (अ)	६ २	३ १४	५ ४	३ ८	५ ४	२ १२	४ १०	३ २
सर्किल ३ (ब)	६ ०	३ १२	५	३ ४	५	२ १२	४ ८	३

बन्दोबस्त हल्का	पड़वा २		राकड़ खास		राकड़	मामूली	
	आबी	खाकी	मोटी	पतली आबी	खाकी	खाकी १	खाकी २
सर्किल १ (अ)	.. ५ ८	.. २ १४	.. ३ २	.. ४	.. २ १० ..	२ २	.. १ १४ ..
सर्किल १ (ब)	.. ५ ४	.. २ १२	.. ३ ..	.. ३ १४	.. २ ८ ..	२ ..	.. १ १२ ..
सर्किल २ (अ)	.. ५ ..	.. २ १०	.. २ १४	.. ३ १२	.. २ ६ ..	१ १४	.. १ १० ..
सर्किल २ (ब)	.. ४ १२	.. २ ८	.. २ १२	.. ३ १०	.. २ ४ ..	१ १२	.. १ ८ ..
सर्किल ३ (अ)	.. ४ १०	.. २ ६	.. २ १०	.. ३ ८	.. २ १२ ..	१ १०	.. १ ६ ..
सर्किल ३ (ब)	.. ४ ८	.. २ ४	.. २ ८	.. ३ ६	.. २	१ ८	.. १ ४ ..

कवीरा बावनी राज्य के गांवों के अतिरिक्त, जिला जालौन की तहसील कालपी में भूमि की श्रेणियों (Classification of soil) और प्रति एकड़ लगान के सर्किल रेट का विवरण-पत्र

बन्दोबस्त हल्का	सर्किल संख्या	गौहान		मार		काबर			
		१	२	१ आबी	१ खाकी	२ आबी	२ खाकी	आबी	खाकी
मुस्तकिल ..	१	८	४ ४ ..	३ १२ ..	३ ८ ..	३ ४ ..	३	२ ८ ..	
	२	६	३ १२ ..	३ ६ ..	३	३	२ ८ ..	२ ८ ..	
	३	८	३ १२ ..	..	३	३	२ ४ ..	२ ४ ..	
	४	.. ..	४ १२ ..	३ ४ ..	३ ४ ..	२ ८ ..	.. ..	..	
	५	५	३ ८ ..	..	२ ६ ..	२ ६ ..	..	..	
	६	६	..	..	..	..	..	..	
दोवारा ..	१	..	..	..	..	..	..	..	
	२	..	..	..	२ ४ ..	२ ४ ..	..	..	

	पड़वा												राकड़						कछार			तीर		
	१						२																	
	आबी			खाकी			आबी			खाकी			मोटी			पतली								
मुस्तकिल	३	१२	०	३	४	०	३	०	०	२	१२	०	१	१४	०	१	८	०	४	०	०	..		
	२	४	०	२	४	०	..			..			१	१२	०	१	४	०	..			..		
	३	४	०	३	४	०	२	६	०	२	६	०	१	१२	०	१	४	०	३	८	०	..		
	३	८	०	२	६	०	२	१२	०	२	२	०	१	१२	०	१	४	०	४	०	०	१०	०	०
	२	४	०	२	४	०	१	१४	०	१	१४	०	१	१२	०	१	२	०	५	०	०	१०	०	०
	४	०	०	४	०	०	२	१२	०	२	१२	०	२	०	०	१	४	०	५	४	०	४	८	०
बेवारा	४	०	०	४	०	०	..			..	..	..	२	०	०	१	८	०	६	०	०	१२	०	०
	२	४	०	२	४	०	..			..			१	१४	०	१	८	०	५	०	०	६	०	०

अनुपूरक विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३३ पर)

पाही लगान के प्रति एकड़ रेट की सूची

किस्म जमीन	आबी फ़ी एकड़	खाकी फ़ी एकड़
भार १, २ ..	..	२)	२)
कावर १ , २ ..	..	२)	१॥)
पहुवा १ , २ ..	..	१॥)	१॥)
राकड़ ..	..	१॥)	१॥)
कछियाना ..	..	२)	२)
कछार ..	..	२)	२)
गौहान ..	..	२)	१॥)

सत्यमेव जयते

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४१ पर)

उत्तर प्रदेश में अबी बीजाश्व घोड़ों (stallions) के स्थापित केन्द्र और उनके रख-रखाव पर व्यय की सूची—

क्रम-संख्या	जिला	घुड़शाला का नाम	बीजाश्व की संख्या	व्यय का विवरण १९५४–५५	गर्भाधान की संख्या १९५४–५५	रिमार्क
१	सहारनपुर	दुधला	१	१,१००	२४	
२	मथुरा	कोसी कलां	१	९७६	२५	१७-१०-५४ से स्थापित हुआ।
३	मथुरा	शहजादपुर टप्पा	१	८९७	१७	२६-६-५४ से स्थापित हुआ।
४	मथुरा	सदाबाद	१	८८७	२७	
५	एटा	एटा	१	१,६००	२५	
६	एटा	गरहा	१	१,५००	४३	
७	एटा	अलीगंज	१	१,६००	४३	
८	मैनपुरी	अलीपुर पट्टी	१	१,३२२	७२	
९	मैनपुरी	शिकोहाबाद	१	१,६००	६०	
१०	शाहजहांपुर	कंधार	१	६००	५२	
११	मुरादाबाद	स्टैलियन डिपो	१	१,६००	१३	
१२	बिजनौर	बिजनौर	१	८४९	१५	
१३	बदायूं	सहसवां	१	१,४००	४२	
१४	बदायूं	दातागंज	१	१,३१६	५२	
१५	नैनीताल	बाजपुर	१	१,०००	२६	
१६	गोंडा	वेटरनरी अस्पताल	१	१,५००	१७	
१७	बहराइच	" "	१	१,५००	२१	
१८	बाराबंकी	दोतवा धान	१	९८४	२	पुराना स्टाक ७-११-५५ को बेंच दिया गया।
१९	इटावा	वेटरनरी अस्पताल	१	१,३८०	१८	
२०	बांदा	बांदा	१	१,७१८	१२	
२१	फर्रुखाबाद	वेटरनरी अस्पताल	१	१,१००	१९	
२२	कानपुर	रूरा	१	१,१५०	३०	
२३	कानपुर	पुखरायां	१	१,२३३	२२	
२४	कानपुर	घाटमपुर	१	१,२५०	७	

विभाग द्वारा किये गये घोड़ों के प्रजनन के विकास के कार्य का विवरण

घोड़ों और खच्चरों का प्रजनन कार्य सहारनपुर, बिजनौर, मैनपुरी, एटा, इटावा, मथुरा और कानपुर जो चुने हुये जिले हैं, उनमें विशेष रूप से किया जा रहा है। इन जगहों पर ३६ बीजाश्व और २ खच्चर सांड (stallions) प्रजनन कार्य करते हैं। सन् १९५४–५५ में इन सांड़ों ने ४९२ गर्भाधान किये। अभी तक सहारनपुर, मथुरा, एटा, इटावा मैनपुरी

तथा कानपुर के चुने हुये जिलों में ९ नई घुड़सालों का निर्माण किया गया है, जिनमें से कानपुर में सब से अधिक संख्या में घाटमपुर, नरवल और पुखरायां नामक स्थानों पर स्थापित किये गये हैं।

मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ और बुलन्दशहर जिले जहां विशेषरूप से घोड़ा प्रजनन कार्य "आरमी रिमाउन्ट डिपो" द्वारा किया जा रहा है, को छोड़कर बाकी जिलों में १६ घोड़े और २ खच्चर सांड़ प्रजनन कार्य में लगे हुये हैं और उन्होंने १९५४–५५ में २८५ गर्भाधान किये हैं। गैर चुने हुए जिलों के जिला बोर्डों को ५,२६० रु० १५ आना सरकारी निर्धारित दर से घोड़ों के रख-रखाव के लिये दिये गये हैं।

मुरादाबाद बीजाश्व शाला में ४ काठियावाड़ी घोड़ियां और एक काठियावाड़ी बीजाश्व, जो पहिले से ही रक्खे जा रहे हैं, के अतिरिक्त काठियावाड़ी जाति की ८ घोड़ियां और एक बीजाश्व खरीदे गये हैं। राजा साहब मोरवी ने भी एक काठियावाड़ी बीजाश्व का उपहार दिया है। मुरादाबाद बीजाश्व शाला से काठियावाड़ी जाति की ५ घोड़ियां और एक बीजाश्व चक गंजेरिया फार्म, लखनऊ को स्थानान्तरित किये गये।

मुरादाबाद बीजाश्व शाला काठियावाड़ी घोड़ों के पालने के अतिरिक्त क्षेत्र से वापस लिये हुए बीजाश्वों के विश्राम तथा दवा-दारू की सुविधा का भी प्रबन्ध करता है।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४१ पर)

५६—अन्य रीजनों की तुलना में आगरा रीजन में गत तीन वर्षों में शुद्ध लाभ निम्नलिखित था :—

रीजन	१६५२–५३		१६५३–५४		१६५४–५५	
	रु०	आ० पा०	रु०	आ० पा०	रु०	आ० पा०
आगरा ..	+२,६३,७२६	८ १०	+१,६१,६८४	७ ८	+८,२३,१३४	३ १
इलाहाबाद ..	+५,६०१	५ ३	+२,०२,५३५	१० ६	+२,१६,८७०	१२ ११
बरेली ..	+३,७५,८०७	२ ७	+३,६४,८१४	२ ७	+५,४२,५६८	७ २
गढ़वाल ..	+२,३४५	१० ५	+७७,४३३	११ ६	+४३,३५७	६ ६
गोरखपुर ..	+१,०६,१६७	१ ६	+२,७६,२२०	५ १	+६,५८,८५६	० ५
कानपुर ..	—४,४३,४२०	१० १	—८२,२४६	५ ०	+१३,०७८	७ ६
कुमायूं ..	+३३,३४५	१० ४	+१,४६,०२१	० ५	—१०,०६६	० ५
लखनऊ ..	+६८,५५१	१२ ८	+२,२३,४५४	६ ६	—२०,२५६	८ ३
मेरठ ..	+१,२७,६६६	१३ ४	+५,८०,४६८	१ ६	+१०,३५,६०७	१० ०
योग ..	+५,७२,८२७	७ १	+१६,५०,७१२	१२ ३	+३३,०६,१२०	७ २

+लाभ का आंकड़ा प्रकट करता है।

—हानि का आंकड़ा प्रकट करता है।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४२ पर)

आजमगढ़ जिले में रोडवेज विभाग में कार्य करने वाले व्यक्तियों की सूची

पदों के नाम	आजमगढ़ स्टेशन	आजमगढ़ मुख्य कार्यालय	आजमगढ़ वर्कशाप
१	२	३	४
सहायक जनरल मैनेजर	..	१	..
ट्रैफिक सुपरिन्टेन्डेन्ट	१	..	..
सीनियर स्टेशन इंचार्ज	१	..	..
आसिस्टेंट ट्रैफिक इन्सपेक्टर	२	..	..
जनरल क्लर्क ..	..	२	..
जूनियर क्लर्क ..	३	८	१
एकाउन्ट्स क्लर्क ..	..	२	..
बुकिंग क्लर्क ..	४	१	१
सहायक बुकिंग क्लर्क	११	..	१
सीनियर फोरमैन ..	..	..	१
मिकैनिक ..	..	..	२
सहायक मिकैनिक. .	..	..	२
असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन	..	..	२
असिस्टेंट स्टोर कीपर	..	..	१
कन्डक्टर ..	२७	..	..
ड्राइवर ..	२९	..	..
ब्लैक स्मिथ ..	..	..	१
असिस्टेंट कैशियर ..	..	१	..
पेन्टर ..	..	..	१
अप होल्सटरर ..	..	..	१
कार्पेन्टर ..	..	..	२
क्लीनर ..	..	..	१३
फिटर ..	..	..	१०
ट्रैफिक क्लीनर ..	२	२	२
मजदूर ..	६	..	२०
चौकीदार ..	४	१	३
पानी वाला ..	१	..	..
मेहतर ..	१	..	..
चपरासी ..	..	१	..
अर्दली चपरासी ..	..	१	..
योग	९२	२०	६४

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४२ पर)

आजमगढ़ जिले में हरिजन कर्मचारियों की सूची

१	२	३	४
ड्राइवर	१	..	..
क्लीनर	..	..	६
ट्रेफिक क्लीनर	१	..	..
मजदूर	२	..	१
चौकीदार	..	..	१
चपरासी	..	१	..
योग ..	४	१	८
कुल योग ..	..	..	१३

संसद भवन

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४४ पर)

विधान सभा के वर्तमान सत्र के १९वें सोमवार के लिये श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी के तारांकित प्रश्न संख्या ६६ के उत्तर में उल्लिखित तालिका।

क्रम-संख्या	ट्रैक्टर का (Make)	ट्रैक्टर का माडल	ट्रैक्टर की अधिकतम चाल मील प्रति घंटा में		
			हमवार सड़क पर	जुताई करते समय	हैरोइंग करते समय
१	एलिस चामर	.. एच० डी० ७	५.००	२.९७	५.००
२	एलिस चामर	.. एच० डी० १०	६.०३	४.६२	६.०३
३	एलिस चामर	.. एच० डी० १९	७.००	३.००	७.००
४	कैटर पिलर	.. डी० ४	५.४०	३.७०	५.४०
५	कैटर पिलर	.. डी० ६	५.८०	४.४०	५.८०
६	कैटर पिलर	.. डी० ७	६.००	४.६०	६.००
७	कैटर पिलर	.. डी० ८	४.८०	३.७०	४.८०
८	आलिवर	.. ८०	५.६०	४.१७	५.६०
९	आलिवर	.. ८८	१२.३८	४.५०	७.२५
१०	आलिवर. .	.. ९९	१६.६३	२.६२	८.३८
११	आलिवर	.. बी० डी०	५.४१	३.४५	५.४१
१२	आलिवर	डी० डी०	४.८८	३.०६	४.८८
१३	आलिवर	.. एफ० डी० ई०	४.९५	३.६७	४.९५
१४	फोर्डसन	रो क्राप्स	५.३७	३.८५	५.३७
१५	फोर्डसन	.. यूटिलिटी	५.३७	३.८५	५.३७
१६	एम० एम०	यूसरीज	१४.८०	४.४०	६.४०
१७	फाउलर सीड्स	.. एफ० डी० ३	४.५०	३.७०	४.५०
१८	इन्टर नेशनल	.. डब्लू० डी० ९	१६.२५	४.६२	५.६३
१९	इन्टर नेशनल	.. टी० डी० ९	५.३०	३.९०	५.३०
२०	इन्टर नेशनल	.. टी० डी० १४	६.००	३.६०	६.००
२१	इन्टर नेशनल	.. टी० डी० १०	६.२०	३.६०	६.२०
२२	मैसी हैरिस	.. ३० के	१०.७४	३.८२	५.३५
२३	मैसी हैरिस	४४ के	१२.२८	४.४३	५.७५
२४	मैसी हैरिस	.. ५५ के	१२.०७	४.२२	५.२१
२५	फोर्डसन ..	.. टी० ओ० २०	९.८४	३.४२	९.८४

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २०१ एस० ए०—१९५६—७९६